Haryana Vidhan Sabha

Debates

30th January, 1969

Vol. I-No. 2

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 30th January, 1969

	Pages
Supplementaries to Starred Question No. 167	(2)1
Supplementaries to Starred Question No. 122	(2)6
Starred Questions and Answers	(2)7
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45	(2)18
Unstarred Questions and Answers	(2)28
Adjournment Motion	(2)38
Question of Privilege	(2)38
Call Attention Notices	(2)38
Bill—	
The Haryana Family Planning—, 1969 (Withdrawn)	(2)40
Resolution—	
Regarding prohibiting the manufacture and sale of alcoholic drinks in the State	(2)49
Walk-out	(2)72
Resumption of discussion on the resolution regarding prohibiting the manufacture and sale of alcoholic drinks in the State	(2)73
Walk-out	(2)76
Resumption of Resolution regarding prohibiting the manufacture and sale of alcoholic drinks in the State	(2)76-81

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, the 30th January, 1969

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Chandigarh, at 2-00 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 167

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेगे कि वहां धारा 144 लगाने

के क्या कारण थे?

मुख्य मंत्री : धारा 144 तब. लगाई जाती है जब नुकसे– अमन का खतरा होता है ।

श्री मंगल सैन : इतनी अक्ल तो ह में भी है और हम जानते हैं कि कब लगाई जाती है, ले किन मै यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई रिटर्न ऐप्लीकेशन आई थी क वहां नुकसे–अमन का खतरा है?

मुख्य मत्री : मैजिस्ट्रेट जब समझता है कि किसी जगह अमन को खतरा हे, तो चाहे रिटन हो या न हो वह खुद असैसमैट करके ही लगा सकता है।

Mr. Speaker : I think we should accept what he says. After all he is not the District Magistrate. The officer who is responsible, knows what he is doing.

श्री मंगल सैन : आगने फरमाया है कि जब कह समझता है लगा सकता है परून्तु मै यह जानना चाहता हुं कि इस केस मे उनके ऐसा समझने के क्या कारण थे ?

मुख्य मंत्री : मैजिस्ट्रेट के जो जूडीशल अख्तियारात हो त हे उनमें मै नही ज। सकता, यह उसका अपना काम है और वह खुदबखुद दफा 144 लगाने के लिये कम्पिटेन्ट है ।

Mr. Speaker : The point here is that there is a responsible officer n the district for law and order. If he is to justify every single thing he does in writing or otherwise you will agree, he will not be able to function. So I think it is rather difficult.

श्री मंगल सैन : मेरी अर्ज यह है कि यह स्टेट के एडी मनिस्ट्रेट हैड है और उन से जब कोई प्रश्न किया जाता है तो वह सारे कागजात लाते हैं और उस बारे मे उनके पास फाइल पर सारे फैक्टस है । तो मै पूछना चाहता हूं कि फाइल पर क्या रीजन्ज दिये गये है क किस कारण से दफा 144 लगाई है या ऐसे ही उनको लगाने का ख्याल आ गया?

मुख्य मंत्री : फाइल पर रीजन्ज दिया जाना कोई जरूरी नहीं होता है।

श्री मंगल सैन : नारमली मैजिस्ट्रेट लिखा करता है कि फलां ने आकर शिकायत की, उसने मौका देख कर ऐसा करना समझा बगैरह बगैरह । यह सारी बात आती है यह तो नहीं की ऐसे ही उठ कर धारा 144 लगा दी जाती है और भी कालेजिज हैं, वैश कालेज है दूसरे है' वहां भी इलैक्शन होते हैं, लेकिन वहां कहीं यह धारा नहीं लगी । तो केवल वहां जाट कालेज में ही कौन सी आफत आ गई थी जो ऐसा किया?

Mr. Speaker : The Deputy Commissioner must have received certain complaints whether in writing or verbal or it might have been his own assessment. So lot us not question that part of the matter.

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि किस मैजिस्ट्रेट को आपने वहाँ भेजा था?

मुख्य मत्री : रिस० डी० ओ०, सिवल, रोहतक ।

श्री मंगल सन : क्या मैजिस्टेट साहिब, जहां मीटिंग हो रही थी, वहाँ उसके अन्दर विराजमान थे या बाहर?

मुख्य मंत्री : यह केस अदालत में चल रहा है और यह मामला सबजुडिस है, इस लिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कौन कहां था?

श्री मंगल सैन : मैने कोई और बात नहीं पूछी है, और जो सवाल किया है, जिसका जवाब आपने पढ़ा है उस के बारे में ही पूछा है

कि मैजिस्ट्रेट साहिब जिन्होंने ऐसा किया, क्या वह वहां अन्दर बिराजमान थे या बाहर बिराजमान थे? अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो अलैहदा बात है ।

मुख्य मंत्री : मेंबर साहिब को शायद पता नहीं कि क्या मर्यादा इस बारे में होती है । यह केस अदालत में चल रहा है और जो मैजिस्ट्रेट वहां मौका पर था. उसकी वहां एवीडैस हो सकती है और इस सारी चीज को वहां देखा जाना है । इस लिए यह सब–जुडिस केस है ।

श्री मंगल सैन : मैं मर्यादा भी और कायदे कानून भी जानता हूं कि कौनसी बात पूछी जा सकती है और कौन सी नहीं । स्पीकर साहिब अगर आप कह देंगे कि यह पूछना वाजिब नहीं है तो मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : हमें सोचना चाहिये कि यह मामला सब–जुटिस है । श्री मंगल सैन. मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 61 आदमी पकड़े गए क्या उन में दूसरे पक्ष के लोग भी पकड़े गए?

मुख्य मंत्री : जी हां, दोनों पक्षों के पकड़े गए है ।

श्री मंगल सैन : आप ने एक पक्ष के लोगों की ही लिस्ट दी है और दूसरों की नहीं दी है । क्या आप बतायेंगे कि दूसरे पक्ष के लोगों के नाम क्या हैं?

मुख्य मंत्री : इस लिस्ट में सभी के नाम दिए गए हैं । फिर बता देता हूं । एक तरफ के हैं सर्वश्री सूबेदार भले राम, मास्टर राम दयाल, आनन्द सिंह, रणबीर सिह, बलबीर सिंह, हरद्वारी, बलबन्त चंद राम, प्यारे, भरतू, धर्म, दलीप, दरिया सिंह, रणपत, किदारा बगैरा और दूसरे पक्ष के हैं सर्वश्री जागे भगवाना, हर किशन, रणधीर, हरि सिंह, जागर, पिरथी, सरदारा, चंद राम, बगैरा । श्री मंगल सैन रू यह दूसरे पक्ष वाले कब पकड़े गए हैं?

मुख्य मंत्री : यह सभी 25 दिसम्बर को पकड़े गए थे ।

श्री मंगल सैन : यह जो आपने फरमाया है कि वहां के प्रैजीडैटं ने तार दिया था उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उस तार में क्या लिखा है वह बता दें?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब इस वक्त तार की कापी मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी इनक्वायरी कराई थी और उससे साबित हुआ था कि जो ऐलीगेशन्ज लगाए गए थे वह गलत थे ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब कल उन्होंने कहा कि वह पूरे तौर पर तैयार होकर आयेंगे, लेकिन आज फिर बात बीच में ही रह गई और वह बता नहीं रहे हैं कि उस तार में क्या लिखा था? मैने उस बारे में सपलीमैटरीज पूछने थे लेकिन वह बता नहीं रहे है' । इस तरह तो मुझे मेरे प्रविलेज से डिपराइव किया जा रहा है । यह सारी इनफरमेशन इनके पास होनी चाहिए थी और इनको तैयार होकर आना चाहिये था ।

Mr. Speaker : Do you have the copy of that in office ? Anyway he will find it out and give that information.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मेरी सबमिशन यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिब इस औगस्ट हाउस में गलत इन्फमेंशन दे रहे है' । इन्हें आप और टाईम दे दे मै फिर इन से पूछ लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : तार के बारे में आपका कल जवाव मिल जायेगा।

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहिब, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि जो इन्क्वायरी हुई थी उस की रिपोर्ट के साथ तार भी वापिस आया था या नहीं?

Mr. Speaker : It must have come as the Chief Minister has stated. Let him find it out. He will let you know the position tomorrow. I may, however, observe at this stage that we have got 24 Questions on the List for today and we have already taken 12 minutes. If we continue to proceed in this way, most of the bon. Members will be deprived of their privilege to put their Questions on today's List. So, let us adopt a procedure by which we can minimise the number of Supplementaries.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, यह बहुत इम्पार्टेट मैटर है और इस में गवर्नमैंट ने बड़ी हाई हैडिडनैस की है । इस आप ऐसे हॉ अनकाल्ड न रखें । कम से कम एक प्रश्न पर चार पांच स्पलीमेंटरी पूछने की इजाजत दी जाए । बाकी जैसे आपकी मर्जी हो वैसा कर लें । मेरी तो यही सबमिशन है ।

Mr. Speaker : I shall now allow only 4/5 supplementaries on a Question. If, however, the Question is rather important, I will allow two more supplementaries. On this Question, I think, we had already al out ten supplementaries. Let us. therefore, have no more supplementaries on this Question.

श्री मंगल सैन : मैं मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब से आप हकूमत में आये हैं, आपने बहुत बेकायदगियां की हैं । रिवाड़ी में कालेज पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की कैथल और पलवल में भी ऐसा ही चक्र चलाया । क्या जाट कालेज, रोहतक में भी आपकी उसी पालिसी का परिणाम है जो आपने रिवाड़ी, कैथल और पलवल में अपनाई थी?

Mr. Speaker : As the Question relates to the Jat College, Rohtak, only, the hon. Member should confine his supplementaries to this College alone.

Shri Ram Saran Chand Mital : The hon. Member is speaking irrelevant.

Shri Mangal Sein : I am absolutely relevant, Sir.

Shri Ram Saran Chand Mital : A question or supplementary should not contain any insinuation. It should only ask for information.

श्री मंगल सैन : मैं पालिसी की बात जानना चाहता हूं और कोई बात नहीं है।

Mr. Speaker : The hon. Member's Question pertains to the Jat Heroes' Memorial College, Rohtak. So, he may ask any

question about this and should not connect it with other institutions or things. A supplementary is allowed to seek information pertaining to the subject matter of the Question. If the hon. Member wants any information on that account, I have no objection.

चौधरी चांद राम : क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस हाउस के एक कांग्रेसी मैम्बर को, जो कि एक विशेष उम्मीदवार के हिमायती थे, उनको मीटिंग में अन्दर जाने से किसी अफसर ने रोका था?

मुख्य मन्त्री : गवर्नमैटं के पास इस किस्म की कोई शिकायत नहीं पहुंची ।

चौधरी चांद राम : मैम्बर ने खुद कहा है कि मुझे रोका गया और जब उसने कहा कि मैं लिख कर देता हूं, कि तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है तो.... (व्यवधान) । क्या चीफ मिनिस्टर साहिब उन मैम्बर साहिबान का नाम बतायेंगे कि वे कौन थे?

Chief Minister : As nothing has come to the notice of the Government in this connection, there is no point in asking any question about it.

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेगे कि जो आदमी बन्दी बनाये गए थे उन में महन्त श्रेयो नाथ, जो कि पहले इस हाउस के मैम्बर थे उनको भी गिरफतार किया गया ।

मुख्य मंत्री : जी नहीं ।

श्री मंगल संन : स्पीकर साहिब, मैं चीफ मिनिस्टर साहिब की इस बात को चौलज करता हूं । ये हाउस में रोग इन्फर्मेशन दे रहे हैं (व्यवधान) ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, मुख्य मन्त्री साहिब गलत कह रहे हैं' । उन को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन किया गया था जिस दिन इजलास हुआ था । चाहे आप इसकी इन्कवायरी करा ले ।

मुख्य मंत्री : जब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो महन्त श्रेयो नाथ जी उन के साथ थाने में चले गए । वे थाने में अपने आप जाकर बैठ गये और तब तक बैठे रहे, जब तक बन्दियों को अदालत में न भेज दिया गया ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मेरी बात सच हो गई और पहले मुख्य मन्त्री साहिब ने रौंग इन्फर्मेशन दी थी । इसलिए यह मामला प्रविलिज कमेटी को जाना चाहिये । यह पब्लिक इन्टैस्ट का मामला है इस पर गौर होना चाहिये ।

Mr. Speaker : The Chief Minister has stated that he was not arrested. He only accompanied the people. He was there for some time.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मेरी सबमिशन यह है कि मैने आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से पूछा था कि महन्त श्रेयो नाथ जी को पुलिस ने अरैस्ट किया था या नहीं । इस सवाल के जवाब में

उन्होंने कहा कि ' 'नहीं'' । लेकिन जब इनकी सारी पोल खुलने लगी तो कहने लगे कि वे अपने आप थाने में चले गए । स्पीकर साहिब आप फौज से आये हैं, आपको सब पता है कि लोग दिन भर थाने में बैठे रहते हैं और फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखते । मैने खुद श्रेयो नाथ जी को थाने में बैठे देखा है । पुलिस वाले दिनभर थाने में बिठाये रखते हैं और फिर वाद में पर्चा दर्ज करते .. हैं ।

Mr. Speaker : I think, the question is not based on facts. The Chief Minister has made it clear that he was not arrested. He only accompanied the poeple.

मलिक मुख्तियार सिंह : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेगे कि महन्त श्रेयो नाथ जी को धारा 107 और 151 के अधीन गिरफ्तारी दिखाई गई थी? क्या उन के कागजात दिखायेंगे?

मुख्य मंत्री : जी नहीं, जब उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया, तो उनके कागजात क्या दिखायें?

चौधरी चांद राम : क्या मुख्य मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि महंत श्रेयो नाथ जी सरकारी गाड़ी में बैठ कर थाने में गये थे या अपने आप ही चले गए? मुख्य मंत्री रू इस बात का हमें पता नहीं कि कैसे गये, गाड़ी में बैठ कर गये थे या किसी और तरह से ।

Chaudhry Chand Ram : It is ,a very serious matter. It should be enquired whether Mahant Shreo Nath was taken in the same *Garri'* in which other people were taken to the Thana.

The Chief Minister is stating things which are not based on facts.

चौधरी जय सिंह राठी : जैसा अभी मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि वे खुद ही थाने में चले गए थे । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब वे थाने गये थे तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था?

मुख्य मंत्री : मैने पहले ही जवाब दे दिया है कि उनको गिरफ्तार किया ही नही गये।

अब्दुल गपफार खां : क्या महन्त श्रेयो नाथ को लौक–अप में बन्द. कर दिया गया था? मैं अपोजीशन के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अगर वे थाने में नहीं गए थे और उन्हें बन्द नहीं किया गया था तो अरैस्ट कैसे हो गये थे?... श्री अध्यक्ष रू अभी टैलीग्राम चीफ मिनिस्टर साहिब के पास आ गई है । अव जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए ।

श्री मंगल सैन : खान साहिब की उमर 80साल से ऊपर हो गई है, उन्हें माईन्ड नहीं करना चाहिये । खैर, स्पीकर साहिब, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हुं कि इस तार में क्या लिखा हुआ है?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब इस तार में लिखा हुआ है कि :–

The telegram is "This meeting of the Managing Committee of Jat College, Rohtak and allied Institutions resolves to bring to the notice of the Government great high handednes and partisanship displayed by Chaudhri Ram Narain Singh,

S.D.O., Civil, Rohtak, in stopping the Bohar voters including Jamadar Resal Singh, Member of the Executive Committee, Mahant Shereo Nath ex-Minister of Haryana Government from exercising their right of vote for the election of the President of the Committee and to Boot in arresting them in spite of the fact that there was apprehension whatsoever of disturbance of law and order had the Bohar Voters been allowed thorn right of franchise. Further Chaudhri Ram Narain Singh allowed in fact instigated unauthorised persons to make use of forged card pan poets to get admission to the assembly of voters in the voting compound and thus made a serious attempt to upset the election arrangements made by the Executive Committee. Chaudhri Ranbir Singh M.L.A. explaind the whole position, high-handedness of Chaudhri Ram Narain Singh clearly and it was as a result of his exposition that the above resolution was passed by the Managing Committee. The Managing Committee requests the Government for an immediate enquiry into the high handedness of Chaudhri Ram Narain Singh, S.D.O., Civil, Rohtak".

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस तार के ऊपर जो इनक्वायरी की गई उसके कंटैंट्स क्या हैं?

मुख्य मंत्री : इनक्वायरी के कंटैन्टस को इन डीटेल में बताने. की आवश्यकता नही मगर इस तार के कंटैन्ट्स और एलिगेशनज को गल्त पाया गया है ।

श्री मंगल सैन : इस तार के ऊपर जो इन्क्वायरी की वह किसने की

मुख्य मंत्री : एस० पी० रोहतक ने ।

Mr. Speaker : We will now come to the next question. Supplementaries to Starred Question No. 122 please.

***SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 122**

श्री हरि सिंह यादव : क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि कुछ खाने लाइम स्टोन की रिजर्व की था?

मुख्य मंत्री : किस जगह के बारे में आप पूछ रहे हैं? मैने डिटेल दी है हरेक के सामने कि किस खान की क्या पोजीशन है

श्री हरि सिंह यादव : बोताना, डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ ।

मुख्य मन्त्री : प्रश्न में तो आपने एक्सप्लोरेशन के बारे में पूछा था वह आपको बता दिया गया । रिजर्व की या न की, यह तो यदि आप अलग नोटिस देंगे तो बता दिया जाएगा । (विध्न)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Number of Sub-Inspectors of Police belonging to Scheduled Caskes, in the State

***115. Shri Daya Krishan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Sub-Inspectors of Police in the State as on 1st April, 1968, and how many of them belong to Scheduled Castes ;

(b) the stops which the Government proposes to

take in making up the deficiency, if any, in the percentage of Scheduled Castes Sub-Inspectors of Police and the period within which that deficiency is likely to be made up ?

Shri Bansi Lal : (a) 285, 8.

(b) No direct recruitment is made in the rank of Sub-Inspector of Police. However, the promotion to the rank of Sub Inspector is made from amongst A.S.Is. who qualify in the Upper School Course. Due consideration is given to A.S.Is. who belong to Scheduled Castes/Tribes while making selection for the Upper School Course. Rules are also relaxed in their favour in an endeavour to fill up vacancies, reserved for them.

श्री दया कृष्ण : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ए० एस० आई० की रिकरूटमैट के वक्त, जो कि एस० आई० की पोस्ट के लिए प्रमोशन का बे स है, शड्यूल कास्टस कई रेशो को पूरा किया जाता है ?

मुख्य मंत्री : वैसे पूरा करने की कोशिश की जाती हूँ, लेकिन यह कवश्चन आप का सब–इंस्पंक्टरों के मुतालिक है और सब–इंस्पैक्टरो की रिकरूटमैटं डायरैक्ट नहीं होता।

श्री दया कृष्ण : क्या ए० एस० आई० की रिकरूटमैंट के वक्त शड्युलड कास्टस की रेशो को पूरा किया जाता है और क्या मौजुदा रेशो जो सब–इंस्पैक्टरों की है उसमें शड्युलड कास्टस की रे शौ को पूरा करने की सरकार कोशिश करेगी?

मुख्य मंत्री : ऐसा है कि सब–इस्पैक्टरो का रिकरूटमैट डायरैक्ट नहीं है और प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है । इसलिये ए ० एस ० आई ० होने के वक्त में ही हमको उसका ध्यान रखना पड़े गा । अब हमने रूल्ज भी रिलैक्स किए हैं और पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं कि उनको उसका शेयर मिले ।

चौधरी रण सिंह : स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी बताया कि सारी हरियाणा स्टेट में एलिस के 285 सब–इंस्पैक्टरों में से केवल 8 सब–इंस्पैक्टर शैड्यूलडकास्ट और शड्युलड ट्राइब के हैं । यह परसेन्टेज बहुत लो है । इसलिये मै आपके द्वारा उनसे जानना चाहता हूं कि इसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या तरीका अख्तियार करना है और कब तक करेंगे?

मुख्य मंत्री : यह बात दुरुस्त है कि यह परसैप्टेज बहुत लो है । मगर यह बहुत पहले से चली आ रही हूँ । अब हमने रूल्ज रिलैक्स किए हैं और भरसक कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह रिजर्वेशन पूरी हो ।

चौधरी रण सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि शड्यूलड कास्टस ए० एस० आईज० को प्रमोट करने के लिये ये क्या रियायतें देंगे ताकि परसैन्टेज पूरी हो जाए?

मुख्य मंत्री : सबसे पहली बात तो यह है कि हरिजन कैन्डिडेट्स को वैटेज में कुछ रियायत दी जाती है । फिर उनको फिजिकल फिटनैस में भी कुछ रिलैक्सेशन दी गई है और वैसे भी

इंस्ट्रक्शन्ज हैं कि मैक्सिमम पौसिबल कोशिश इस बात की जाए कि हरिजन लिए जाएं ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, मुख्य मन्त्री महोदय ने अभी हाऊस में बताया कि 285 सब–इंस्पैक्टरों में से केवल 8 सब–इंस्पैक्टर शड्युल्ड कास्टस के हैं । स्पीकर साहिब, यह बड़ी हैरानी की बात है कि 22 साल की आजादी के बाद भी केवल 8 पोस्टें शड्युल्ड कास्टस को 285 पोस्टों में से मिली हैं, जो कि बहुत लो परसैटेज बैठती है, जबकि आर्डर ये हैं कि जब कभी भी वेकेन्सी किसी भी कैटेगरी में होगी, तो वह शड्युल्ड कास्टस को जाएगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि इन पोस्टों के लिए शडयुल्ड कास्टस के लोग क्यों नहीं लिए गए?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, पिछले 21/22 साल तक क्यों नहीं लिए गए? इस का कारण तो यह रहा कि चान्द राम जी जैसे इन–एफिशिएन्ट आदमी हमारी कांग्रेस में थे । अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैँ कि उस कमी को पूरा किया जाए । श्री मंगल सैन रू स्पीकर साहिब, यह इन–एफिशिएन्ट जैसे शब्द का प्रयोग करना बड़ी बुरी बात है ।

चौधरी चांद राम : मैं तो चाहे इन–एफिशिएन्ट रहा या एफिशिएन्ट रहा । इस बात को तो जाने दीजिए । मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता । मैं तो आपके मरा उनसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं. कि हरिजनों को उनका डयू शेयर देने के लिए ये कौन से

कदम उठाएंगें? मेरे वक्त में तो 50 जगहें यदि भरनी होती थीं तो 25 शड्युलड कास्ट्स लिए जाते. थे ।

मुख्य मत्री : जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि हमने वैटेज और फिजिकल फिटनेस तया दूसरी चीजों में हिरजनों को रियायतें देने के लिए बाकायदा इंस्ट्रक्शंज जारी की हैं और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हरिजन लिए जाए ।

चौधरी चांद राम : यह हिदायतें तो बहुत पुरानी चली आ रही हैं । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो स्टैप्स उठाएं है उनमें कोई नये स्टैप्स भी उठाएं हैं या वही पुराने ही हैं । अगर वही पुराने हैं तो उन्होंने इसमें कौन सा तने मारा हूं ।

मुख्य मंत्री : तीर मारने से तो आदमी मर जाता है । अगर चौधरी चान्द राम जी कोई अच्छा तरीका सजैस्ट करेंगे तो हम जरूर अमल में लायेंगे ।

चौधरी चांद राम : क्या आप छः पुलिस अफसरों में से चार पुलिस अफसर शड्युल्ड कास्टस के भर्ती करने को तैयार हैं, जिन में डी० एस० पी०, एस० पी० और एस० आई० वगैरह हों?

मुख्य मंत्री : यह सजैशन तो चौधरी चान्द राम जी मुझे मिल कर दे दे, जैसा ठीक होगा बैसा कर लेंगे ।

चौधरी चांद राम : मेरा तो पोजिटिव सुझाव यही है कि अगरू चार आप भर्ती करें तो उनमें से आधे शड्युल्ड कास्टस के भर्ती करें ।

Mr. Speaker : My observation is that such important matters cannot be decided in this manner. These things require very serious consideration.

Chaudhry Chand Ram : Assurance is always given on the floor of the House.

Mr. Speaker : The Leader of the House has mentioned twice that they will relax certain conditions in the case of Harijan candidates. I think, it should suffice. But, if the hon. Member has any suggestion, he may certainly give it to him.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, मैने तो पहले ही पौजेटिव सुझाव दिया हुं कि अगर आपने चार भर्ती करने हैं तो उनमें दो शड्युल्ड कास्टस के भर्ती किए जये । अगर हमारी गवर्नमैंट आयी तो हम आधी रेशो कर देंगे ।

Shri Shya m Chand : I want to know whether the Chief Minister knows that there is a judgement of the Supreme Court that there must he reservation for promotion in class II and III posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

मुख्य मन्त्री : इस सवाल में जनाव केवल सब–इन्सपैक्टरी के वारे में पूछा गया था इसके आनरेबल मैम्बर सैपरेट नोटिस दें ।

Shri Shyam Chand : The post of Sub-Inspector is included in class II and III posts and there is specific judgment of the Supreme Court that there must be reservation for promotion in these classes of posts for Scheduled Castes/Tribes.

मुख्य मन्त्री : सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई ऐसा डिसीजन है तो उसे ग्यान में रखा जाएगा ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, पिछले सैशन में इसी गवर्नमैट ने यह ऐशोरेन्स दी थी कि हम रिजर्वेशन इन परोमोशन पर गौर करेंगे और जल्दी ही इस मामले का फैसला करेंगे । क्योंकि राष्ट्रपति राज के वक्त क्लास थी और टू के अन्दर रिजर्वेशन इन परोमोशन रोक दी थी । अब मै इस सरकार से पूछना चाहता हुं कि क्या उन्होंने कोई कदम उठाये हैं?

Chief Minister : Ti is still under consideration.

Cbaudhry Chand Ram : How long will the Government take to finalise this matter ?

(No reply).

SHIFTING OF HEADQUARTERS OF JIND DISTRICT

***235. Chaudhry Narain Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—.

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Headquarter of Jind District to Kaithal ; if so when the same is likely to be finalised ;

(h) whether Government is also considering any proposal to create a new district in the State, if so, the name thereof ?

Shrimati Om Prabha Jain (Finance Minister) : (a) No.

(b) No.

श्री सत्य नारायण सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब यह वताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर, जीन्द को यह चिट्ठी लिखी गयी थी जिसमें यह लिखा हुआ था? The very existence of district Jind is under very active consideration of the Government.जब कि इस डिस्ट्रिक्ट को पार्लियामैटं के ऐक्ट के अनुसार कायम किया गया थ । तो फिर ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी गयी?

मुख्य मंत्री : ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई ।

श्री सत्य नारायण सिंगोंल : ऐ सी चिट्ठी चीफ मिनिस्टर साहिब के रिकार्ड मे मौर द हूँ और वे जान बूझ कर डिनाई कर रहे हैं ।

(कोई जवाब कहीं दिया गया)

श्री दया कृष्ण : क्या फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा यह बतलाने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट जीन्द में जो आफिसिज के लिए बिल्डिंगें बनेगी वे कब तक शुरू हो जायेंगी?

वित मन्त्री : लैन्ड इक्वायर करने के लिए दफा चार का कर Notification दिया गया है, जब इसकी Formaities पूरी हो जाएंगी, तभी आगे काम चलेगा ।

श्री दया कृष्ण : इन बिल्डिगों को बनाने के लिये बजट में कितना पैसा रखा गया है?

वित्त मन्त्री : यह तो अगले साल के बजट में पता लग सकेगा । इस वक्त मैं कुछ नहीं बतला सकती ।

LATHI- CHARGE ETC IN A VILLAGE IN TEHSIL KAITHAL

DISTRICT KARNAL

***192. Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the police resorted to lathi charge orfiring in any village of tehsil Kaithal, district Karnal on 28th December, 1968 or 29th December, 1968, if so, the reasons therefor and the number and names of the persons who received injuries or who died as a result there of ?

Shri Bansi Lal : The police did not resort to lathi charge or firing in any village of tehsil Kaithal, district Karnal, on 28th December. 1968 or 29th December, 1968.

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सिवन गांव में दिसम्बर 28 या 29 तारीख को या तीस तारीख करे कोई लाठी–चार्ज हुई या गोली चली?

मुख्य मंत्री : आनरेबल मैम्बर ने सवाल में 28 और 29 तारीख के बारे में पूछा था यहां तीस दिसम्बर का तो कोई जिक्र ही नहीं है ।

श्री मगल सैन : जब पुलिस उन गरीब हरिजनों की मर्जी के खिलाफ जबर्दस्ती नसबन्दी करने के लिये ले जा रही थी, उसै समय दूसरे लोगों ने रोका तो क्या उन पर लाठी–चार्ज नहीं किया गया?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब मैं इस सवाल का जवाब दे चुका है और इसमें कोई सप्लीमैटंरी एरायज नहीं होता है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मैं इस मामले में आपकी रूलिंग चाहता हूं । क्या यह फैक्ट नहीं है और दुनिया जानती है कि सिवन गांव में गोली चली? यह घटना 29 दिसम्बर को सुबह के वक्त की है और तीस तारीख को तो यह अखवारों में भी खबर छप गई थी । मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या कोई मन्त्री यहां हाउस में इस प्रकार को गल्त बातें कह सकता है?

Mr. Speaker : I am afraid, officially it was a slip on your part when you asked whether the police resorted to lathi-charge or firing in any village of tehsil Kaithal, district Karnal, on 28th or 29th December, 1968, and a reply to this question has been given by the Chief Minister. Therefore, you must suffer for your slip. But, if you would like, T am prepared to accept another short notice question on the subject.

Chaudhry Chand Ram : Supplementary, Sir.

Mr. Speaker : No supplementary now. Answer with regard to lathi charge or firing on the 28th or 29th December, 1968. has been given.

चौधरी चांद राम : इस सवाल में लिखा हुआ है कि क्या 29 तारीख को कोई लाठी चार्ज हुआ या वहां पर पुलिस से कोई मुठभेड़ हुई, या वहां गांव के अन्दर पुलिस पहुंची हो ।

Mr. Speaker : The Chief Minister has already said 'No'.

Chaudhry Chand Ram : Then, Sir, may I put another supplementary question.

चौधरी चाव राम : स्पीकर साहिद मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं क्या तीस जनवरी को इस मामले पर वहां कोई झगडा हुआ.....

श्री अध्यक्ष : चौधरी चान्द राम तीस जनवरी तो आज है ।

Chaudhry Chand Ram : 30th December, I am sorry.

स्पीकर साहिब मैं कह रहा था कि क्या 29 तारीख को जो झगडा हुआ था, उसके बारे में लोगों को गिरफतार करने के लिए पुलिस गई हो और फिर गोली चलायी गयी हो ।

(कोई जवाव नहीं दिया गया)

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहिब, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 29 तारीख को डी० एस० पी० राज सिंह सिवन गांव में पुलिस के साथ लोगों को गिरफतार करने के लिए गए थे?

मुख्य मन्त्री : इस सवाल में लाठी–चार्ज और फाइरिंग का जिक्र है गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं है ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 29 दिसम्वर को लाठी–चार्ज हुआ था या नहीं?

Chief Minister : The answer has already been given.

Malik Mukhtiar Singh : I resent the attitude of the Chief Minister very much. हम सप्लीमैटंरी पूछते हैं तो क्या हमें यह इस में कार्नर डाउन करना चाहते हैं ? सप्लिमैंट्री का मतलव क्या

है अगर उन्होंने जवाब ही नहीं देना तो । हम इन्फर्मेशन सीक करना चाहते हैं ।

Mr. Speaker : You may ask in this way-'what else did happen on that day ?

मलिक मुख्तियार सिंह : सप्लिमैट्री तो जनाव मैं अपने मुह से करूंगा मेरे मुंह में नहीं डाला जा सकता । मैं पूछना चाहता हूं कि 29 तारीख को सिवन गांव में श्री राज सिह, डी० एस० पी० पहुंचे थे या नहीं, वहां पर लोगों की नसबन्दी करवाने के लिये?

मुख्य मंत्री : इस में नसबन्दी का सवाल महीं हैं । 29 तारीख को वहां लाठी–चार्ज नहीं हुआ ।

Mr. Speaker : I think we have discusecd this matter as far as possible. Since the on. member wants to put some more supplementaries, I can help (him) in another way. We will accept short notice question about this. Then you will have plenty of time.

मलिक मुख्तियार सिंह : आप ने फरमाया था कि 29, 80 और 28 के बारे में सवाल पूछे जा सकते है ।

Mr. Speaker : Probably he does not have the information.

(Shri Mangal Sein rose to speak.)

Mr. Speaker : For a second please. I must also allow other members to put their supplementaires.

श्री रणधीर सिंह : क्या मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूं कि सीवन गांव के अन्दर लाठी चार्ज के दौरान में किसी को मौत हुई?

Mr. Speaker : But the reply was that nothing happened on 28th and 29th.

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बतायेंगे कि 29 तारीख को सिवन गांव का जो थाना लगता है उस में कोई केस रजिस्टर किया गया था?

मुख्य मत्री : उन्होंने केस रजिस्टर होने की इन्फर्मेशन नहीं मांगी, फायरिंग और लाठी चार्ज की मांगी थी और वह मैने बता दिया है ।

चौधरी चांद राम : इसी लिए कल हुमने एडजर्नमैट मोशन का नोटिस दिया था ताकि गवर्नमैटं को अपनी पोजीशन वाजा करने का मौका मिल सके । स्पीकर साहिब आपने जो शार्ट नोटिस क्वैश्चन अलाऊ किया है, उस पर सप्लिमेनट्री खुले तौर पर पूछने की इजाजत दे दें तो आप की मेहरबानी होगी ।

(Shri Mangal Sein rose to speak)

Mr. Speaker: I think 1 should ma ke another observation. This highlights the importance that the hon. Members should devote more care in framing their questions.

(Shii Mangal Sein rose to speak.)

Mr. Speaker : Next question.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, अगर हमने एक आध दिन मिस भी कर दिया था, तो इन का फर्ज था कि वह स्पोर्टसमेन को तरह बाहिर आएं और हर चीज का बहाना न बनाने की कोशिश किया करें ।

EX-GRATIA GRANTS AND CONCESSIONS TO THE FAMILIES OF SOLDIERS KILLED IN MINOR CONFLICTS WHILE GUARDING THE FRONTIERS OF INDIA

***174. Major Amir Singh Chaudhry :** Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) whether similar ex-gratia grant and other concessions, as llowed by the State Government to the families of the soldiers, who were either killed or disabled due to enemy action in the last conflict between India and Pakistan in 1965, continue to be granted to the families of those soldiers, who have either been killed or disabled thereafter in various minor conflicts and skirmhes s with opposing troops while guarding the frontiers of the country; and

(b) if not so, the reasons therefor ?

Chief Minister : (a) Yes.

(b) Does not arise.

चौधरी बनवारी राम : स्पीकर साहिब पिछला सैशन 15 दिन रहा और अब भी दो तीन दिन सैशन को हो गए हैं और श्री बंसी लाल जी तकरीबन हरेक केस का जवाब देते रहे हैं, लेकिन पता नहीं

सिवन केस के बारे में जवाब देने के लिए क्यों घबराते हैं? सिवन में जो कुछ इन्होंने करवाया है उस का तो पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बतायेंगे कि 1965 का पाकिस्तान ऐग्रेशन जब खत्म हो गया, उस के बाद आज तक ऐक्स ग्रेशिया ग्रांट का कोई रुपया दिया है?

मुख्य मंत्री : जी हां, लेकिन उस के फिगर्ज कुलैक्ट नहीं कर पाए । वह अगर चाहे तौ आप नोटिस दे दें, मैं पता करके बता दूंगा ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : बौम्डीला के अन्दर जो जवान मारे गए थे, क्या उनके नाम भी इस में हैं?

मुख्य मंत्री : मैं पता करके बता सकता हूं, इस के लिए नोटिस चाहिये । राव बीरेंन्द्र सिंह रू क्या मुख्य मन्त्री साहिब बतायेंगे कि आज जो बार्डर पर जवान मारे जाते हैं उनको भी रिक्त ग्रेशिया ग्रांट आप देंगे?

मुख्य मंत्री : जी हां ।

TRANSFER OF TEACHERS

***117. Shri Daya:** Will the Chief Minister It pleased to state —

(a) the total number of teachers of Government Schools transferred during the financial year 1968-69 (up to 30th November, 1968) in the state ;

(b) whether it is a fact that the transfers of teachers are generallly made at the end of the year ; if so, the circumstances under which the transfers referred to in part (a) above have been made during the mid-term ;

whether it is also a fact that the teachers have been transferred to places beyond the radius of 20 miles from their place of residence ;

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the present policy of transfer of teachers ?

Shri Bansi La1 : (a) 1,5.907.

(h) Yes. These transfers were effected as a result of the new Government Policy to post teachers beyond a readius of 20 miles from their residence.

(c) Yes.

(d) No.

श्री दया कृष्ण : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बतायेंगे कि यह ट्रास्फ्रज की पालिसी किस बिना पर बनाई गई थी?

मुख्य मंत्री : इस की वजह यह है कि बहुत से टीचज अपने अपने गांवों में या कहीं आस पास बैठे थे और वह अपने घरों का काम ज्यादा करते थे, या लोकल पोलिटिक्स में लगे रहते थे जिस के कारण पढ़ाई के काम में हर्ज होता था ।

श्री दया कृष्ण : क्या यह बात चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में है कि अव भी बहुत से टीचर 20 मील की दूरी तक स्कूटरों पर या बसों पर जाते हैं और रात को अपने घरों में आ जाते हैं और गवर्नमैंट की इस पालिसी का कोई खास फायदा महीं पहुंचा?

मुख्य मत्री : मेरे नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं है । अगर ऐसा होता है तो उस की जांच करेंगे । बाकी इस किस्म का रेजोल्यूशन पहली सरकार ने भी पास किया था । लेकिन इम्पलीमैट नहीं हुआ था लेकिन हमने वह इम्पलीमैट किया है ।

Shri S. P. Jaiswal : May I know what was the total amount paid to the teachers on account of T.A. and D.A.

मुख्य मंत्री : इस के लिए सेपेरेट सवाल आया है, उस के जवाब में यह चीज आ जाएगी ।

श्री दया कृष्ण : क्या मुख्य मन्त्री साहिब के नोटिस में यह दात है कि इन ट्रांस्फर्ज की वजह से टीचर्ज में बेहद बेचौनी पाई जाती है?

मुख्य मन्त्री : इन–राईटिंग तो किसी की कोई विशेष रिजेन्टमैटं नहीं आई जबानी जबानी कोई खुश या नाराज हो सकता है ।

श्री मंगल सैन : मुख्य मंत्री साहिब ने बताया कि कई खुश हो सकते हैं और कई नाराज भी हो सकते हैं । मैं इन से जानना चाहूंगा कि क्या यह बात इन के नोटिस में नहीं आई कि प्रैस में

और पलेटफार्म पर उनकी ही यूनियन ने इन के ऐक्शन को कण्डेम किया है?

मुख्य मत्री : स्पीकर साहिब हर आदमी की इंडीविजुअल राए होती है । लोक हक में भी बोलते है और खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ही रहेगा ।

श्री मंगल सैन : मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से जानना चाहूंगा कि गवर्नमैटं की इस पालिसी की वजह सेटीचर्ज के अंदर जो बढती हुई बेचौनी है, उसको दूर करने के लिए सरकार अपने इस फैसले को वापिस लेने के लिए तैयार है कि नहीं?

मुख्य मंत्री : इतनी बेचौनी नही है कि इस पालिसी को बदला जाए, बल्कि हस पालिसी को पसंद ज्यादा किया गया है ।

चौधरी चांद राम : क्या यह हकीकत है कि टीचर्ज जो हैं इन में बहुत से ऐसे केसिज हैं कि बीवी एक जगह पर है और हसबैंड को कहीं और लगा रखा है और उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलते, जबकि यह गवर्नमेंट की स्टैंडिंग इन्सट्रक्शन्ज हैं और डिपार्टमैट्स में कि वाईफ और हसबैडं को इकट्ठा रखा जाए । क्या कारण है कि एजूकेशन डिपार्टमैटं में वह पालिसी फालो नहीं की जा रही?

मुख्य मंत्री : जहां किसी की रिप्रेजैटेशन आती है तो वहां कोशिश की जाती हुँ कि हसबैड और वाइफ को इकट्ठा रखा जाए ।

श्री दया कृष्ण : अगर तजरुबा से यह पालिसी फायादामद साबित न हो तो क्या दस को वापिस ले लेंगे?

मुख्य मंत्री : यह तो अभी तजरुबा हो रहाहै साल दो साल के बाद देखा जायेगा, अगर कोई वात नोटिस में आई ।

चौधरी नारायण सिंह : क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा सरकुलर है कि हसबेंड और वाईफ को एक स्कूल में नही रखा जा सकता है?

मुख्य मंत्री : ऐसा कोई सरकुलर नहीं है ।

राय बीरेन्द्र सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि टीचर्ज को अपने घरों से दूर तबदील करने की पालिसी के खिलाफ जाकर बादमें, दोबारा कितने टीचर्ज को सरकार ने पोलिटिकल ग्राउंडज पर घर के नजदीक तबदील किया है ।

मुख्य मंत्री : पोलिटिकल ग्राउंड पर एक भी तबदील नहीं किया गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या उनको पता है कि अखबारों में छपा है कि जाटुसाना के एक पोलिंग स्टेशन पर चीफ इलैक्शन कमिशनर की मौजूदगी में यह बात साबित हुई कि एक टीचर को पोलिंग से सिर्फ एक दिन पहले तबदील करके लाया गया और वह कांग्रेसी उम्मीदवार का एजंट के तौर पर काम करता हुआ पकड़ा गया?

मुख्य मंत्री : मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई बात नहीं आई है । पड़ताल करके देख लेंगे अगर कोई ऐसी बात हुई है । और अगर कोई केस हुआ है तो उस की जांच करलेगे । श्री मंगल संन रू क्या टीचरों पर जो आफत आई है, वह इस लिए आई है कि मुख्य मंत्री जी के मुकाबले पर चौधरी देवा सिंह खड़े थे? (हंसी)

राव बीरेन्द्र सिह : जिस टीचर का मैंने जिकर किया है उसे एक कांग्रेसी का पोलिश एजंट वनाने के लिए तबदील किया गया । क्या होम सैक्रेटरी से उन्हें इस बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट मिली कि वहां पर ऐसा हुआ?

मुख्य मंत्री : मैं जिस रोज जाटूसाना हल्का में था, होम संक्रेटरी मुझे नहीं मिले । मैने कहा हूँ कि मैं केस मंगा कर देख लूंगा कि क्या बात है?

चौधरी चांद राम : जिस वक्त इन तबादलों की हिदायात जारी की गई, तो क्या उन में यह भी कहा गया था कि हस बैंड और वाईफ डिसटर्ब न किया जाए, अगर इकट्ठे लगे हुए है?

मुख्य मंत्री : ऐसी हिदायत नहीं की जा सकती थी । अगर हसबैडं और वाइफ अपने गांव में लगे थे, तो वाइफ को वहीं रहने दिया और हसबैड को तबदील किया हो । अगर वाइफ जहां हसबैंड गया है वहां जाना चाहे तो ऐसा किया जा सकता है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : अगर चीफ मिनिस्टर साहिब की खिदमत में लिस्ट बना कर दी जाए कि कितने टीचर्ज को पोलिटिकिल ग्राउंड पर वापिस अपने गांव तबदील किया है, तो वे क्या ऐक्शन लेंगे?

मुख्य मंत्री : जो मुनासिब ऐक्शन होगा वह लिया जाएगा ।

महंत गंगा सागर : इन्होंने फरमाया है कि टीचर्ज की तरफ से उनको कोई रीप्रेजैटेशन इसके खिलाफ नहीं मिली है, वरना वह इस फैसला को बदल देते । क्या वह वायदा करते हैं कि अगर वह इसके खिलाफ रीप्रेजेंट करें तो इस फैसला को दूरुस्त कर लेगे?

मुख्य मंत्री : मैने यह नहीं कहा कि फैसला बदल लूंगा ।

चौधरी चांद राम : क्या यह ठीक है कि एक आदमी ने जब इनको कहा कि टीचर्ज को बहुत तकलीफ है इस लिये इस फैसला को बदल दो तो इन्होंने उसे कहा कि मैं दूसरा मुहमम्द तुगलक नहीं बनना चाहता? (हंसी)

महंत गंगा सागर : जो टीचर्ज लिख कर देंगे क्या उन गरीबों को परेशान तो नहीं करेंगे? बेचारे परेशान हैं और जब यह मुहम्मद तुगलक की मिसालें देते हैं तो वह दिल मसोस कर रह जाते हैं ।

Mr. Speaker : In reply to an earlier question by Shri Daya Krishen, the Chief Minister has stated that if this experiment proved a failure he would reconsider the whole scheme. So the reply already given should satisfy the Member.

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या आपने इस बात का अंदाजा लगाया है कि जब से टीचर्ज मास सकेल पर तबदील हुये हैं तब से बच्चों की तालीम का बेड़ा गरक हो रहा है?

मुख्य मंत्री : मेरी इतलाह तो यह है कि इसके बाद से तो स्कूलों में अच्छा काम हो रहा है ।

चौधरी चांद राम : क्या आपको इस बात का एहसास है कि टीचर्ज के तबादले बहुत दूर हुये हैं और वहां उनको रहने के लिये मकानात नहीं मिलते हैं?

मुख्य मंत्री : मेरे पास ऐसी कोई शिकायात नहीं है और सरकार मकान बना कर दे भी नहीं सकती है ।

चौधरी नारायण सिंह : इन्होंने बताया कि कोई ऐसा सरकुलर नहीं कि हसबेड और वाइफ एक स्कूल में नहीं रह सकते । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई सरकुलर हो और उस पर अमल हो रहा हो, तो क्या यह समझा जाये कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो अब कहा है उसके बाद वह रद्द हो गया है?

मुख्य मंत्री : ऐसा कोई सरकुलर नहीं है ।

चौधरी अब्दुल रजाक खा : जनाब ज्याट पंजाब में भी कुछ हालात की नजाकत को देखते हुये मुस्लिम मुलाजमीन को मुराआत दी गई थी और उनको दूर दराज के इलाके में तबदील नहीं किया जाता था । मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से जानना चाहता हूं कि

हालात की नजाकत के पेशेनजर और यह देखते हुये कि मुस्लिम मुलाजमीन परेशान हैं क्योंकि उनको मकान नहीं मिलते, उनके बारे में दोबारा गौर करके उनको तबदील नहीं करेंगे?

मुख्य मंत्री : मुलाजमीन में फर्क नहीं रखा जा सकता, मुलाजम सब एक जैसे हैं ।

चौधरी अब्दुल रज्जाक खां : हालात की नजाकत के मुताबिक आपको उन पर गौर करना चाहिए ।

Rao Birender Singh : Mr. Speaker, Sir, the hon. Chief Minister has just said that he makes no difference between the minority community and others in the State. I think the Government is bound to give special concession to minority community. May I, therefore, ask the hon, Chief Minister, through you, if he has changed the policy of giving necessary safeguards to the minorities ?

Mr. Speaker : I am afraid, the question hour is over now.

श्री मंगल सैन : अध्यक्ष महोदय इस पर सप्लीमेंटरी पोस्टपोन कर दें ।

Mr. Speaker : We have already spent more than 20 minutes on this question.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Merit List of Haryana Area Scholars

***175. Major Amir Singh Chaudhri :** Will the Chief Minister be pleas ed to state :-

(a) year-wise merit list positions (along with percentages) secured by Haryana area scholars, in various examinations (separately) conducted by Panjab University, after the formation of Haryana State ;

(b) if there are vast disparities in the performance in various examinations, details of the steps taken by Government to remove the draw back responsible there for ?

Shri Bansi Lal : (a) A statement giving the requisite information (Annexure) is laid on the Table of the House.

(b) The disparities in the performance which exist in respect of certain examinations are likely to disappear with the expansion of Higher Education in Haryana.

Seria l No.	Name of the Examination and serial number up to which merit list is maintained by the Panjab University	Total number of candidate s of Haryana State out of the Joint Merit List	Percent age
1		2	3	4
1	Matriculation	625	350	56 %
2	Higher Secondary	211	60	28.4 %
3	Higher Secondary	547	155	28.3 %

4	Pre-University	250	89	36 %
5	13.A /B.Sc. Part I	595	230	38.6 %
6	B.A Part II	18	7	39%
7	B.Sc Part II	23	11	47.9 %
8	B.Sc. Part III	25	10	40%
9	B.A. Part III	61	17	27.9 %
10	Pre-Medical	65	11	17%
11	Pre-Engineering	46	10	21.7
12	B.Ed.	49	10	20%

Merits List of Haryana Scholars (Pertaining to year 1967)

1	2		3	4
1	Matriculation	529	317	59.9 %
2	Higher Secondary Part I	201	49	24.3 %
3	Higher Secondary Part II	401	120	29.9
4	Pre-University	214	71	33.1
5	B.A./13.Se. Part I	103	41	39.7 %
6	B.A. B.Sc. Part II (Combined List),	32	8	25 %
7	B.Sc. Part III	12		16.6 %
8	B.A. Part III	23	9	39.1 %
9	Pre-Medical	41	9	21.9 %
10	Pre-Engineering	20	4	20 %

11	B. Ed.		
	43	2	4.6

Government College for Women, Rohtak

***169.Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Government College for Women, Rohtak from its present location to some other place; if so, the name of the place to which the same is proposed to be shifted together with the time by which the said proposal is likely to materialise?

Shri Bansi Lal : Yes. The College is proposed to be shifted to the present site of the District Jail, Rohtak, as soon as the Jail is shifted to the new site. It is not possible to indicate the time by which this proposal is likely to materialise.

Industrial Colony at Rohtak Town

***170.Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government is considering any proposal to construct any Industrial Colony or Industrial area at Rohtak Towns if so, the site where the same is likely to he constructed together with the action taken in this direction so far and the time by which the construction of the said Industrial area is likely to be completed?

Shri Bansi Lal: Yes.

The State Government have already issued Notification dated 16th August, 1968 under the Lard Acquisition Act. 1894 for acquisition of land measuring 63 Acres 2 Kanals and 8 marlas

for setting up of an Industrial Development Colony in village Kutana near Rohtak. Process for the announcement of award is under way. The development of this Industrial Colony is likely to he completed in the next financial year.

Loans advanced under the Industrial Development Scheme

***125. Shri Hari Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount of loan advanced under the Indus trial Development Scheme for setting up industries during the last 10 years in the areas now forming p of the State of Haryana ;

(b) the total amount of said loan still outstanding even after the expiry of period prescribe d for the recovery thereof together with the reasons therefor ?

श्री बंसी लालः (क) 1,59, 85,423 रुपए ।

(ख) 29,18,839 रुपए ।

ऋणी व्यक्ति देय किश्तों को अदा करने में असफल रहे और राज्य उद्योग अधिनियम, 1935 के उपबन्धों के अधीन कणों की उगराही करने के प्रयत्न किए जा रहे है ।

Desert Development Schemes Included in Fourth Five-Year Plan

***176. Major Amir Singh Chaudhri:** Will the Minister for Finance **be** pleased to state—

(a) districtwise particulars of the areas, which have been proposed to be included in the desert development in the Fourth Five-Year Plan;

(b) total proposed allocation of funds for the purpose, along with districtwise and year-wise break up thereof;

(c) the details of the schemes, which have been approved and included in the said Plan for execution;

(d) whether execution of various schemes is to be carried out under the supervision and guidance of some Centrally-sponsored body of the State Government in the development department is supposed to execute the same in normal way; and

(e) time within which the execution of this plan is supposed to be started?

श्री बंसी लाल (मुख्य मन्त्री) : चौथी पचवर्षिय योजना में मरुस्थल क्षेत्रो को रोक थाम से सम्बन्धित कार्यक्रम के अधीन जिला महेंद्रगढ तथा हिसार और रोहतक जिलों के कुछ भागों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

(ख तथा ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मरु विकास बोर्ड द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है । अभी तक जिला वार योजना–वार बंटवारा तैयार नहीं हुआ है क्योंकि मरुस्थल विकास बोर्ड ने कुछ नए आदेश दिए हैं और इनके

अनुसार सभी योजनाओ को फर से तैयार करना है । अभी योजनायें नही बनाई गई है ।

(घ) ये योजनाएं सामान्य प्रकार से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के नियन्त्रण तथा देख रेख में कार्यन्वित की जायेगी ।

(ड) सन 1969–70 के दौरान इन योजनाओं पर कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

Prohibition in the State

***116. Shri Daya Krishan:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether Government is considering any proposal to introduce prohibition in the State;

(b) if so, whether prohibition is proposed to be introduced in the whole of the State or some parts thereof;

(c) in case prohibition is introduced in part of the State, would Jind district suit for the purpose;

(d) whether it is a fact that liquor shops have been opened near the bus stands and this have become nuisance to the Public;

(e) whether Government intend to issue orders that the liquor shoes should not be opened within a radius of 200 yards from the bus stand ?

Shrimati Om Prabha Jain : (a) The matter of introduction of prohibition is under the careful consideration of Government.

(b) The form in which prohibition will be introduced in the State has yet to be considered by Government.

(c) Does not arise.

(d) It is a fact that some liquor shops are at present functioning near bus stands. In case the Hon'ble Member feels that any particular liquor shop has resulted generally speaking, in a public nuisance. Government would be glad to look into the matter and to consider the feasibility of shifting such a liquor shop on particulars being provided by the Hon'ble Member.

(e) Government have already issued. orders to the effect that liquor shop should not in the future be allowed to he situated in close vicinity of. bus stands.

Warabandi in Village Hatt , Tehsil Safidon

***229. Shri Satya Narain Syngol :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the date when the warabandi started in village Hatt, tehsil Safidon and the approximate time within which it is likely to be c ompleted ?

Shri K.L. Poswal: Warabandi in village Hatt was started on 24th August, 1968. Out of 10 outlets serving this village warabandi on 8 outlets will be completed by April, 1969; but for remaining 2 outlets warabandi can only be completed after consolidation in village Seenk is completed, which is held up on account of a Civil Writ.

Civil Station at Jind

***234. Chaudhry Narain Singh :** Will the Minister for Public

Works be pleased to state—

(a) the reasons for not taking the construction of Civil Station at Jind in hand so far;

the approximate titre likely to be taken to start this work ?

Discretionary Grant of Minister for Public Works

***154. Shrimati Chandravati :** Will the Minister for Public Works e pleased to state—

(a) the total amount of discretionary grant at his disposal and the amount so far disbursed by him for his own constituency out of the said grant ;

(b) the details of the amount out of the said grant disbursed by him in other constituencies, districtwise, together with the purpose for which the said amount was disbursed ?

Chaudhri Khurshed Ahmed (Health and Development Minister) :

(a) Part I Rs 50,000

Part II Nil. (up to 31-12-1968)

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Details of the Discretionary Grants by the Public Works Minister, the allotment orders in respect of which have been issued during the current financial year 1968-69 (upto 31st December, 1968) are as under:—

Serial No.	Purpose with place and District	Amount of grant given
	District Gurgaon	Rs
1	For water supply scheme for Bishambhar Lal High School, Khol, Tehsil Rewari	2,500
2	Construction of building of Gurukul Vidyapeeth, Godpuri, Tehsil Palwal	5,000
3	For the purchase of library books and addition in the building etc. of Jain High School, Rewari	2,500
	District Karnal	
4	For purchase of equipment etc. and construction of Dispensary Kamalia Bhawan, Model Town, Panipat	1,000
5	For purchase of sports material, village Panchayat Atta, Tehsil Panipat	1,000
	District Ambala	
6	For the construction of Hostel for Mukand Lal College, Yamuna-	5,000
	nagar	
	District Jind	

7	For the purchase of medicines, library books etc. for Shri Bhagvad Bhakti Ashram, Jind	2,000
	District Mahendragarh	
8	For the construction of boundary wall of Primary School, Rai Malikpur, Tehsil Narnaul	2,000
9	For the construction of boundary wall of High School at Nangal Durgu, Tehsil Narnaul	5,000
	Total	26,000

Distribution of Discretionary Grant to an Individual

***155. Shrimati Chandravati** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he has distributed any amount out of the discretionary grant placed at his disposal to any one individual ; if so, the name and the address of such individual ?

Chaudhri Khurshed Ahmed (Health Minister) : Part 1.—No. Part II.—Question does not arise.

Vasectomy Operations in the district Karnal

***213. Shri Randhir Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state -

(a) the amount of expenditure being incurred on

each vasectomy operation together with the categories of persons to whom the said amount is given ;

(b) the total expenditure incurred so far in district Karnal on the said operations ?

Chaudhri Khurshed Ahmed : (A) In accordance with the Government of India's pattern, a sum of Rs 30 is to be spent on each vasectomy operation. The detail of which is given as under :—

	Rs
(a) Incentive to promotor/Convessor	6
(b) Individual undergoing operation	10
(c) Incentive to Doctor	5
(d) Cost of Medicines Drugs	5
(e) Incentive to the paramedical staff including nursing staff	3
(f) Food/Refreshments	1
Total	30

(B) A sum of Rs 83,720 has been incurred on vasectomy

operations during the. year 1968-69 (uptil 31st December, 1968).

Inclusion of certain Panchayats of districts Karnal and Hissar into district Jind

***236. Chaudhry Narain Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state whether Government have received any representation on behalf of the Panchayats of Rajaund, Assandh and Narnaund Blocks of district Karnal and district Hissar, for their inclusion in district Jind ; if so, the action so far taken thereon ?

Shrimati Om Prabha Jain (Finance Minister) : (a) Yes—

representation for inclusion of the Rajaund Block area in the Jind District was received.

(b) As the Government is not re-organising the districts as yet, the question of taking any action on it does not rise.

Embezzlement cases instituted against Sarpanches of Gram Panchayats and Chairmen, Panchayat Samitis

***126. Shri Hari Singh Yadav :** Will the Minister for Health be pleased to state the number of embezzlement cases withdrawn by the present Government out of those which were instituted by the former Government against the Sarpanches of Gram Panchayats and Chairmen of Panchayat Samitis and of Zila Parishads together with the reasons therefor ?

चौधरी खुरशीद अहमद : (अ) ग्राम पंचायतों के सरपंच—कोई नहीं ।

(ब) चेयरमैन पंचायतों समिति–कोई नहीं ।

(स) चेयरमैन, जिला परिषद्–कोई नहीं ।

Cases instituted against Sarpanches of Panchayats/Samitis and Chairmen of Zila Parishads

***127. Shri Hari Singh Yadav :** Will the Minister for Health be pleased to state the total number of Sarpanches and Chairmen of Panchayat Samitis and Zila Parishads against whom cases have been instituted by the present Government so far together with the total number and nature of such cases and the names of the relevant Gram Panchayats/Panchayat Samitis/ Zila Parishads.

चौधरी खुरशीद अहमद : (अ) ग्राम पंचायतों के सरपंच– ।।

(ब) चेयरमैन, पंचायत समिति–कोई नहीं ।

(स) चेयरमैन, जिला परिषद् –कोई नहीं ।

(.ज) ऐसे केसों की कुल संख्या और उनके नाम :–

संख्या	जिला	पंचायत का नाम	प्रकार
1	अम्बाला	(1) बालाना	श्री अजमेर सिंह, सरपंच के विरुद्ध

		409 आईपीसी. धारा, गबन का केस ।
	(2) पिपली वाला	श्री रंजीत सिंह, सरपंच के विरुद्ध धारा 409 आई. पी. सी. में रु० 2, 255 का गबन ।
	(3) तमनैली	श्री संत राम सरपंच के विरुद्ध धारा 409 आई. पी. सी. में रु० 5,700 का गबन ।
	(4) नाहौनी	श्री राजा राम, सरपंच के विरुद्ध धारा रू 375 / 342 / 343 आईपीसी. के आधीन झुस लिये दजं किया कि उस ने श्रीमती भागरथी को खिलाफ कानून हिरासत में रखा और शील भंग किया
2	करनाल (1) बाल रगबआ	श्री घेसू राम, सरपंच के विरुद्ध धारा 409 आई. पी. सी. के . अधीन रु० 3,000 का गबन ।

3	रोहतक	(1) लाडपुर	श्री उदय सिंह के विरुद्ध धारा 409 आईपीसी. के अधीन सूखे दूध का गबन ।
4	हिसार	(1) मेरा	श्री हरि नारायन, सरपंच के विरुद्ध धारा 409 के अधीन 43,000 इटों और 300 मन चूना का गबन ।
		(2) नारा	श्री तेल राम, सरपंच के विरुद्ध वारा 409 आईपीसी. के अईधीन रु० 8,000 मरा गबन ।
		(3) नटार	श्री सोम नाथ, सरपंच के विरूद्ध 409 धाका के अधीन आई.पी.सी. के आधीन पंचायत फंड का गबन ।

(4) नाखोसरन श्री रतीराम, सरपंच के विरुद्ध धारा

409 आई.पी.सी. के अधीन

रु० 6,066 का गबन ।

5 जीन्द (1) भूटानी श्री राम सरूप, सरपंच के विरुद्ध

धारा 409 आईपीसी के अधीन

Surplus Land in the State

68. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Finance be pleased to state -

(a) the total area of land declared as surplus land in Haryana, districtwise, up to 31st December, 1968, and the area of the said land allotted to tenants up to that date ;

(b) the reasons, if any, for not allotting the remaining surplus land so far ;

(c) within what period the remaining surplus land is likely to be allotted ;

(d) the area of the allotted surplus land possession of which has not been given to the allottees up to 31st December, 1968.

Shrimati Om Prabha Jain : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement regarding surplus land in the State

(Area in Standard Acres)

Serial No.	Name of District	The total area of land declared as surplus in Haryana district-wise, upto to 31st December, 1968	The area of the said land allotted to the tenants upto that date	The reasons, if any, for not allotting the remaining surplus land so far	Within what period the remaining surplus land is likely to be allotted	The area of the allotted surplus land possession of which has not been given to the allottees upto 31st December, 1968
		(a) Part (i)	(a) Part (ii)	(b)	(c)	(d)
1	Rohtak	21,041-9 3/4	16,553-1	(1) Most of the area is under stay orders from the High Court	When the stay orders are vacated by the High Court	818-10
2	Hissar	85,309-3	41,795-51	(2) In some cases the tenants are not willing to go outside their	Ditto	1,906 1/4

				villages		
3	G urgaon	11,325-10	6,542-4 3/4	(3) The proper utilisation of surplus area is also under the consideration of	Ditto	981-141
4	Karnal	45,989-151	12,246-4 1/2	the Committee on Tenancy Laws, which is evaluating the work of re-settlement	Ditto	167-12
5	Ambala	8,128-4	2,695-3 3/4	of tenants in accordance with the provisions of Punjab Security of Land	Ditto	55-11
6	Jind	6,584-00	1,506-00	Tenures Act, 1953, and the Utilisation of Surplus Area Scheme, 1960, framed	Ditto	557-00
7	Mohinderg	826-131	744-13	under Section 32(j) of the Pepsu Tenancy and	Ditto	161-9

arh

Agricultural Lands Act, 1955.

Water-supply and Sewerage Schemes

69. Shri Daya Krishan : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of water-supply and of sewerage schemes in Towns and villages completed in the years, 1966-67, 1967-68 and during the period from 1st April, 1968 to 31st December, 1968 in the State, separately ;

(b) whether it is a fact that the progress of work of this Branch is not according to the schedule ;

(c) the steps the Government propose to take to accelerate the progress of this Branch in the future ?

Shri Bansi Lal : (a) The number of Water-supply and Sewerage Schemes completed under the National Water-supply and Sanitation Programme, is as under :—

Urban	1966-67	1967-68	1-4-68 to 31-12-68
(i) Water-supply Schemes	3 Towns	1 Town	1 Town
(ii) Sewerage Schemes			1 Town
Rural—			
Piped water-supply schemes	2 villages	26 villages	47 villages

(b) No.

(c) The Government is advancing loans and grant-in-aid to Local Bodies for financing their Water-supply and Sewerage Schemes in Urban areas and subsidy and grant-in-aid in Rural areas under the National Water-supply and Sanitation Programme. Due to paucity of funds, adequate funds are not made available by the Sanitary Board for the various schemes, and the works are taken in hand according to the availability of funds.

Elections of Municipal Committees in the State

83. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Health be pleased to state --

(a) the number and names of Municipal Committees in the State where the elections are due but have not been held together with the date since when the elections are due ;

(b) the approximate time within which the said elections are expected to be held ;

(c) the reasons, if any, for not holding the elections in time?

(b) The elections to these Municipal Committees will be held as soon as their delimitation proposals have been finalised and the electoral rolls are ready.

(c) The elections to these Municipal Committees could not be held because in some cases the delimitation proposals were not complete and in others the electoral rolls needed revision.

Chaudhri Khurshed Ahmed :(a) Elections to 21 Municipal Committees have become due. The dates from which the elections have become due are given below against each :—

Serial No.	Name of Municipal Committees where elections are due	Date since when Elections have become due
	District Ambala	
1	Ambala City	3-8-67
	District Karnal	
2	Karnal	24-2-64
3	Thanesar	7-7-67
4	Pehowa	22-6-67
	District Rohtak	
5	Bahadurgarh	15-1-68
6	Sonepat	27-2-64
7	Beni	17-8-67
	District Gurgaon	

8	Gurgaon	21-8-67
9	Farida bad (Old)	25-8-67
10	Ballabgarh	25-8-67
11	Sohna	19-12-67
12	Nuh	9-9-67
13	Hodal	28-8-67
14	Bawal	21-2-64
	District Hissar	
15	Hissar	20-2-68
16	Hansi	4-6-67
17	Bhiwani	16-8-64
18	Dabwali	26-8-67
19	Uklana Mandi	15-6-67
	District Jind	
20	Safidon	22-3-64
	District Mahendragarh	22-6-67
21	Narnaul	

Elections to the Panchayats

84. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Health be

pleased to state -

(a) whether the elections to the Panchayats are due in the State ;

(b) if so, the reasons, if any, for not holding the same ;

(c) within what period the said elections arc likely to be held ?

चौधरी खुरशीद अहमद : (क) हां जी ।

(ख व ग) गांव निवासियों के बहुत से प्रतिवेदन पंचायतों को अलग करने के लिए इन दिनों में सरकार को मिले हैं और पंचायत निर्वाचन की तिथि ऐसे सव मामलों का निपटान कर के 1969 में निश्चित की जाएगी ।

मार्किट कमेटियों के चुनाव

8.5 श्री दया कृष्ण : क्या मुख्य मंतरी कृपा करके बताएंगे' किरू ——

(आ) नम्बर और मार्किट कमेटियों के नाम जहां चुनाव होने हैंय

(व) मार्किट कमेटियों के नोम जो अभी तोड़ी गई हैं ।

(स) मार्किट कमेटियों के चुनाव का लगभग समय जो भाग (आ) में ऊपर है, होना हैय

(ड) तारीख जब मार्किट कमेटी, जींद का चुनाव होना सम्भव है?

श्री बंसी लाल रू (आ और व) इस के साथ लगाई हुई सूची में उन मार्किट कमेटियों के नाम जिनके चुनाव होने हैं और जो तोड़ी गई हैं दिये गये हे. ।

(स और ड) अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ।

सूचि

क्र ० सं०	मार्किट कमेटी का नाम
1	अम्बाला शहर
2	अम्बाला छावनी
3	जगाधरी
4	कालका
5	नारायणगढ
6	साडौरा
7	गडगांव
8	फिरोजपुर झिरका
9	फरीदाबाद
10	पटौदी

11	बहलभगढ
12	होडल
13	नूह
14	पलवल
15	रिवाड़ी
16	सोहना
17	जींद
18	कैथल
19	लाडवा
20	मढलोढा
21	गुरनडा
22	पानीपत
23	फैतहपुर पूण्डरी
24	सम्भाका
25	शाहवाद

28	थानेसर
29	तारोरी
28	पेहवा
29	भिवानी
30	ढीग
31	हांसी
32	हिसार
33	डबवाली
34	कालांवाली
35	लोहारू
36	सिरसा
37	टोहाना
38	उकलाना
39	ऐलनाबाद
40	फतैहाबाद
41	जाखल

42	बहादरगढ
43	गोहाना
44	रोहतक
45	सांपला
46	सोनीपत
47	गनौर
48	सफीदों
49	नरवाना
50	जुलाना
51	ऊचाना
52	महेन्द्रगढ
53	नारनौल
54	अटेली
55	चरखी दादरी
56	कनीना

Abolition of Jind District

86. Shri Daya Krishan : Will the Chief Minister he pleased to state—

(a) whether Government is considering any proposal to abolish the Jind District ;

(b) whether Government is also considering any proposal to shift the headquarters of Jind District from Jind to any other place ?

Shrimati Om Prabha Jain (Firance Minister) : (a) No.

(b) No.

Construction of Civil Station at Jind

87. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether there is any scheme to construct a Civil Station at Jind

(b) if so, within what period, the construction is expected to start and the extent of funds the Government has granted or is yet to grant for the purpose.

(c) whether land for the construction of the said Civil Station at Jind has since been selected ;

(d) if so, at what place and the area of land selected ;

(e) within what period the said land is likely to be acquired 7

Shri K. L. Poswal : (a) Yes.

(b) Action to acquire land for the Civil Station is being taken by the Chief Engineer, P.W.D., B. & R. and construction work to the extent of funds being provided in the current year's budget will be taken in hand as soon as the land is acquired. Funds will be granted for the purpose as per requirements.

(c) Yes.

(d) A site on Jind-Gohana Road approximately 136 acres in area has been selected.

(e) Action to acquire about 10.6 acres at the new site has already been started by the P.W.D., B & R.

Pension Cases

88. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Finance be pleased to state --

(a) the number of Pension cases pending on 1st April, 1968;

(h) the number out of the above which are one year, two years, three years and more than three years old on 1st January. 1969, separately ;

(c) the number of Pension cases which have been added and disposed of during the period between 1st April, 1968 to 31st December, 1968 ;

(d) within what period the pending pension cases are likely to be disposed of ;

(e) how the Government propose to deal in a way so that the Pensioner may get his pension soon after his

retirement ?

Shrimati Om Prabha Jain : (a) The number of pension cases pending on 1st April, 1968 444

(b) One year old on 1st January, 1969 17

Two years old on 1st January, 1969 77

Three years old on 1st January, 1969 39

More than three years old on 1st January, 1969 51

(c) No. of cases which have been added from 1st April, 1968 to 31st December, 1968 604

No. of cases which have been disposed of from 1st April, 1968 to 31st December, 1968 552

(d) While no specific date can be indicated with regard to final disposal Of these cases, all out efforts are being made to ensure that these are finalised as quickly as possible. The Government have appointed a High Powered Committee to dispose of exclusively such pending cases.

(e) Government have issued elaborate instructions from time to time for guidance of all departments to ensure quick payment of pension immediately after retirement. Proposals to amend the Pension rules so as (i) to initiate and finalise pension cases of gazetted officers by audit and (ii) to allow 75 per cent amount of Pension and Death-cum-Retirement Gratuity to non-gazetted employees in anticipation

of the authority from the Accountant-General are under active consideration of the Government.

Mutation cases in the State

89. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the number of mutation cases pending on 1st January, 1969 in the State ;

(b) the number of the above which are disputed ones :

(c) the number of said cases which are one year, two years and more than two years old on 1st January, 1969 ;

(d) within what period, these old cases are likely to be decided ? **Shrimati Om Prabha Jain :** (a) 19,069.

(b) 157.

(c) 1 year old 2 years old on 1st January, 1969

195 55

(d) Likely to be disposed of within a period of 2 to 4 months depending upon the presence of the parties.

Pay-scales recommended by the Kothari Commission

90. Dr. Malik Chand Gambhir : Will the Chief Minister be pleased to state the reasons for not allowing the

non-teaching staff, the pay-scales as recommended by the Kothari Corr mission ?

Shri Bansi Lal Kothari Commission recommendations do not envisage any revision of pay-scales of non-teaching staff. The grades of such personnel have, however, been suitably revised by Haryana Government in accordance with the recommendations of Pay Revision Committee.

Teachers transferred in the State during the last calendar year

91. Dr. Malik Chand Gambhir : Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) the number of teachers transferred during the last calendar year in the State ;

(b) whether there is still any teacher who is posted at present in his home district and has not been transferred so far ;

(c) the expenditure incurred by the Government on the said transfers ?

Shri Bansi Lal : (a) 15.907.

(b) Yes.

(c) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले अद्यापकों से पेशा–कर की वसूली

92 डा० मलिक चन्द गम्भीर : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने को कृपा करेंगे––

(क) राज्य के देहाती क्षेत्रो में काम करने वाले अध्यापकों से पेशा–कर लिए जाने और शहरी क्षेत्रो में काम करने वाले अध्यापकों से न लिये जाने के कारण, यदि कोई हों?

(ख) क्या कोई ऐसे अद्यापक भी हैजिन से देहाती क्षेत्रो से शहरी क्षेत्रो में बदले जाने पर भी पेशा–कर लिया जा रहा है? यदि ऐसा है तो इस भेदभाव के कारण?

चौधरी खुरशीद अहमद (स्वास्थय तथा विकास मन्त्री) : (क) पेशा–कर पंचायत समितियों हारा लगाया जाता है । नगर पालिकाए, छावनी नथा अधिसूचित क्षेत्र इन संस्थाओं के अधिकार क्षेर मै नहीं है' ।

(ख) जब कोई अध्यापक समिति क्षेत्र से नगरपालिका, छावनी अथवा अधिसूचित क्षेत्र में बदल जाता हुं तो समिति द्वारा उस पर उस समय तक कोई पेशा–कर नहीं लगाया जाता जब तक कि वह सम्बन्धित वर्ष में समिति क्षेत्र में 120 दिन से अधिक न रहा हो और इस प्रकार बिताई अवधि के दौरान उसकी आय 18,00 रुपए से न बढ जाए ।

ADJOURNMENT MOTION

Mr. Speaker : Now, there is an Adjournment Motion given notice of by Sarvshri Fateh Chand Vij, Sat Ram Dass Batra,

Malik Chand Gambhir and Bhagwan Dass Sehgal, M.L.As regarding the alleged abusing of Sardar Piara Singh, M.L.A., and some others by the Deputy Superintendent of Police, Kaithal. I disallow it as it pertains to an ordinary matter of administration.

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहिब, वहां पर मेम्बर को गालियां निकाली गई थीं, यह ठीक बात है । आप को इस एडजर्नमेंट मोशन को डिसअलाउ नहीं करना चाहिए ।

सरदार प्यारा सिंहः स्पीकर साहिब वहां कोई गाली मेम्बर को नहीं निकाले।. गई और न ही को ने झगड़ा हुआ था । (व्यवधान) (विरोधी दल की तरफ से शे म शेम की आवाजे) ।

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा सरदार प्यारा सिंह से दरखास्त करूंगा कि वे ठीक बात करें, क्योंकि उनके हाथ की लिखी हुई दरखास्त मेरे पास है, जिस में उन्होंने लिखा है कि डी. एस. पी. ने उन्हें धमकी दी और गालियां दी थीं ।

Mr. Speaker : That is a separate issue and can be taken up separately.

QUESTION OF PRIVILEGE

Mr. Speaker : Now there is a Privilege Motion No. 3 given notice of by Chaudhri Mukhtiar Singh Malik, M.L.A. regarding alleged misbehaviour shown by Chaudhri Raj Singh, Deputy Superintendent of Police towards Sardar Piara Singh, M.L.A. The matter has been referred to the Government for its comments and I will take a decision on receipt of comments

from the Government.

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Next item is Call Attention Notice No. 2, given by Shri Daya Krishan, M.L.A. He may please read out his Call Attention Notice.

Shri Daya Krishan (Jind) : Sir, I want to draw the attention of the Government towards the fact of out break of malaria epidemic in the State, due to which numerous persons have been affected during the year 1968-69. The Government should find out the main causes of the spread of this disease and the districtwise number of cases affected by this disease during the said year. The House be informed of the concrete steps taken by the Government to check the further spread of the disease and the action taken by the Government against the officers at fault:

The matter is of urgent public importance and requires prompt action by the Government. Hence this call attention motion.

Mr. Speaker : It is admitted. The Health Minister may please make a statement.

Chaudhri Khursed Ahmed (Health Minister) : There has been focal out-break of malaria epidemic in the border areas of Hissar, Jind and Karnal Districts of Haryana in the current year 1968-69. The district-wise number of cases affected by the disease during this year upto the end of December, 1968 as under :--

Hissar	1,483

Jind	1,127
Karnal	3,017
Ambala	36
Gurgaon	261
Mohindergarh	39
Rohtak	154
Total	6,117

The main causes for the spread of this disease during the current year have been-

(i) unprecedented floods and consequent accumulation of water thus giving rise to excessive breeding of mosquitoes :

(ii) the movement of infected population from the adjoining districts of Sangrur, Patiala and Bhatinda in Punjab where there had been major out-break of this disease.

The following immediate steps were taken by the Government :-

(1) The surveillance work was stepped up by taking mass blood slides of patients suffering from fever for detection of any cases of malaria with subsequent radical treatment.

(2) Radical treatment has been given to all the

persons suffering from malaria.

(3) All shortages of malaria staff were made up by transfer from other branches of the department.

(4) The Basic Health Workers in the Primary Health Centres have been exclusively earmarked for malaria work.

(5) Spray work in the affected areas was carried out immediately.

(6) The indents for the supply of D.D.T. (insecticides) have been placed for use in the next season with a view to meet the possible danger of out-break of this disease, and the supplies have started pouring in.

Mr. Speaker : There is Call Attention Notice No. 4 by Shri Mangal Sein, M.L.A., concerning the .arrest of certain ex-M.L.As at Kaithal. 1 disallow it as it relates to an ordinary matter of administration of law.

श्री मगल सैन : स्पीकर साहिब, आपने मुझे कहा था कि यह काल अटैन्शन मोशन एडमिट कर ली है । लेकिन अब आपने उसे डिसअलाउ कर दिया हूं ।

Mr. Speaker : 1 said that I will consider it.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, 24 तारीख को पिछले महीने हमने वहां पर इजलास किया और उसी दिन फायरिंग हुई थी । बहिन जी का एक खास आदमी आया और एम ०एल ० ए० को गालियां देने लगा । जनता ने जब उसे गालियां न देने के लिए रोका, तो

उसने इस ताम लगाया कि हमारी कारतूस की गोलियां चोरी कर लीं । श्री राज सिंह, डी ० एस ० पी ० ने चोरी का इल्जाम लगाकर लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, स्पीकर साहिब, यह बडा संगीन मामला है इस पर बहस होनी जरूरी है । अगर इस किस्म के मामलों पर बहस न की जाए, तो अच्छी बात नहीं है । इस तरह से तो हम में से कोई भी एम० एल० ए० किसी भी मामले पर बात नहीं कर सकता, अगर इस मोशन को डिसअलाउ कर दिया जाए इस प्रकार तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो जायेगी । मेरी आप से दरखास्त है कि इस मामले पर चीफ मिनिस्टर साहिब स्टेटमेंट दें ।

Mr. Speaker ; We might discuss it again.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, मैं जानना चाहता हूं कि वह बहन जी का आदमी कौन था और वह बहन जी कौन थी?

श्री मंगल सेन : फाइनेन्स मिनिस्टर हैं और कौन हूं ।

BILL

THE HARYANA FAMILY PLANNING BILL, 1969.

Shri Daya Krishan (Jind): Sir, I beg to move for leave to introduce the Haryana Family Planning Bill.

I need not make any speech at this stage because it can be made at the time of the consideration of the Bill.

Mr. Speaker : Motion moved--

That leave he granted to introduce the Haryana Family Planning Bill.

श्री मगल सेन : स्पीकर साहिब, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह हं कि मैं इस वात पर आपकी रुलिंग चाहता हूं कि क्या इस तरह का बिल हाउस में लाया जा सकता है, जिस में यह कहा जाए कि यदि कोई दो लड़के या लड़कियां एक साथ पैदा कर दे, तो उसको एक माना जाएगा? स्पीकर साहिब, यह बड़ा सीरियस मैटर है..... (विध्न)

चौधरी चांद राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । डाक्टर साहिब ने तो जो कहा सो कहा, परन्तु मेरी अर्ज यह है कि यदि यह बिल कानून बन जाए, तो यह मुसलमानों के ऊपर तो लागू होगा नहीं, क्योंकि नसबन्दी वगैरह तो उनके धर्म के खिलाफ है । यह केवल हिन्दुओं के ऊपर लागू होगा । तो मेरा प्रीलिमिनरी ओबजैक्शन यह है कि यह कांस्टिच्यूशनली ठीक नहीं है और मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि आया कसिटच्यूशनली यह हाउस में इट्रोडयूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ।

श्री दया कृष्ण : स्पीकर साहिब, मेरे लायक दोस्त ने जो कुछ फरमाया है ये सारी बातें तो कंसिड्रेशन स्टेज पर आयेंगी ।

चौधरी चांद राम : नहीं, इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर आयेगी, क्योंकि जब कोई चीज कांस्टिच्यूशन के खिलाफ है तो हमने निश्चय करना है कि आया उसको कंसिडर किया जाए या नहीं ।

श्री दया कृष्ण : मेरी इतलाह के मुताविक तो स्पीकर साहिब यह कांस्टिच्यूशन के मुताबिक ठीक है । इसके मुताल्लिक सारी बातें सोची जा चुकी हैं । अगर हाउस को यह गलत मालूम होगा, तो कंसिड्रेशन स्टेज पर वे बातें आ जायेंगी । इस वक्त तो गलत मालूम केवल इन्ट्रोड्यूस होना वै ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, आप भी कैसे अलाउ करेंगे? यह एजेन्डे पर ही नहीं आना चाहिए था, जब तक स्पीकर का औफिस यह न देख ले कि आया कोई बात कांस्टिच्यूशन के मुताबिक हूँ या नहीं । हमारे कांस्टिच्यूशन के परिएग्बल में हूँ कि हरेक नागरिक बराबर होगा । हिन्दू कोड बिल तो माना केवल हिन्दुओं के ऊपर ही लागू हुआ, लेकिन जहां तक ''एज ए सिटिजन'' की बात हूँ तो हरेक आदमी बराबर का दर्जा. रखता है चाहे वह मुसलमान है, हिन्दू है, क्रिशिचियन है या कोई भी है । इस लिए इसमें सब से पहले सोचने की बात तो यह है कि आया यह मुसलमानों पर भी लागू होगा या नहीं, क्योंकि नसबन्दी आदि तो उनके धर्म के खिलाफ है? उनका कुरान–शरीफ इस बात को अलाउ नहीं करता । उनके धार्मिक ख्यालात के विरुद्ध यह बात जाती है ।

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहिब, बात यह है कि ऐसा बिल श्री दया कृष्ण जी की तरफ से आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी इंफर्मेशन के मुताविक उनके 11 बच्चे हैं । स्पीकर साहिब, ये

लोगों को तो खस्सी कराना चाहते. हैं, परन्तु अपनी नसबन्दी नहीं कराते ।

Rao Birender Singh: This is playing a fraud on the House. He. himself has 11 children and now he wants others not to have more children.

मलिक मुख्तियार सिंह : ऐसे आदमी को ऐसा दिल पेश करने की इजाजत दी वहीं मिलनी चाहिए । (शोर)

Mr. Speaker : Every member has a right to oppose this Bill, if he so wishes. He may now stand up and briefly say whatever he wants to. Then, Mr. Daya Krishan will make a statement. Thereafter, the second part of the procedure will follow.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, यह तो कांस्टिच्यूशनल प्वायंट है कि यह आईटम एजेन्डा में आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी । कोई बात यहां कैसे डिसक्स हो सकती है जब कि वह कांस्टिच्यूशन के विरुद्ध हो । हमारा तो एक ही सवाल है कि आया हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहिब और खान साहिब डस बात को मानते हैं कि यह बात उन पर भी लागू होगी ।1

श्री बनारसी दास गुप्ता : इनको 11 बच्चों का तजुरुबा हुआ है इसी लिए यह बिल ला रहे है' ।

चौधरी जय सिंह राठी : इन्होंने ओपरेशन भी कराया अब तक या नहीं?

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, बाबू जी को हाउस के सामने ऐसा बिल लाना कुछ शोभा नहीं देता । अच्छा होता यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति इस बात को यहां रखता....

स्वास्थय मंत्री : आप को क्या पता है कि ये बातें क्या हैं?

श्री मंगल सैन : मुझे पता है कि आपको तजुरुबा ज्यादा है । परन्तु खैर, स्पीकर साहिब, मैं आपकी सेवा में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस जबरदस्ती से फैमिली प्लांनिग करने के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं इसी जबरदस्ती का दु:परिणाम यह निकला है कि अभी हात ही में 24 सात्र का एक नौजवान गोली से उड़ाया गया । स्पीकर साहिब, यह गवर्नमेंट की जबरदस्ती का ही परिणाम निकला है और इतना भयंकर परिणाम निकला है कि उस खानदान में और कोई जवान लड़का नहीं है । स्पीकर साहिब, ये एक और तो कहते है' कि हम पिछड़े हुए, पीसे हुए और दबे हुए लोगो को उभारेंगे, ऊपर उठायेंगे, उनको उन्नत और उनका विकास करेंगे लेकिन दूसरी ओर कहते है कि उनकी पकड़ पकड़ कर ले जायेंगे और उनकी नसबन्दी करेंगे । तन दोनों बातों का मेल कहां? यह हाउस के लिए ही खतरनाक बात नहीं, बल्कि उनके लिए भी खतरनाक है । जब लोग सुनेंगे कि बाबु जी, जिनके लगभग दर्जन बच्चे हैं, खुद तो नसबन्दी न करवाकर लोगों को जबरदस्ती खस्सी करवाने का बिल हाउस में लाए है, तो बड़े भारी मजाक की बात होगी । स्पीकर साहिब, यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर ये किस बात से प्रेरित होकर इस बिल

को यहां लाए है' । शायद इनका यह ख्याल हो कि इस तरह से बढ चढ़ कर हिस्सा लेने से जल्दी जल्दी इनकों कोई झण्डी मिल जाए । (विघन) स्पीकर साहिब, आप उस समय देश के रक्षा में लगे हुए थे, जो कि एक बड़ा अच्छा काम था और है, जब आपके सिंहासन पर इनको बैठाने के लिए पंडित भगवत दयाल जी ने कोशिश की थी, परन्तु अफसोस कि जिस किश्ती पर यह सवार होने वाले थे वह इनके पांव रखने से पहले ही घडाम से नीचे गिर पडी.... (विघन)

एक सदस्य : स्पीकर साहिब, ये कैसे यूस स्टेटमेंट को दे सकते हैं ।?

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार किसी बात को जबरन नहीं किया जा सकता । स्पीकर साहिब, एक तरफ तो यह बात हूँ कि यदि कोई चौथा बच्चा पैदा करेगा तो 6 महीने की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना हो जायेगा, मगर दूसरी तरफ कहते हैं कि यदि एक बीबी से तीन बच्चे पैदा करने के बाद कोई चौथे बच्चे का मोह रखता हो, तो वह दूसरी बीवी कर सकता है। हमारी समझ में नहीं आता कि तीन वच्चे होने के बाद चौथे बच्चे के लिए दूसरी बीवी लाने का मतलब क्या है? अगर स्पीकर साहिब, हम इस तरह का लाईसेंस दे देंगे तो सारे देश में ही नहीं बल्कि संसार में हमें बेइज्जती के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा । पहले ही कर्य बातों में हरियाणा का नाम देश में रोशन हो चुका हूँ । इस लिए

हमें चाहिए कि इस तरह का काम करके हम एक और गलत काम न करें । तो स्पीकर साहिब, अब शुगल तो काफी हो गया । मेरी आप के द्वारा श्री दया कृष्ण जी से प्रार्थना है कि वे इन सारी बातों को ध्यान में रहते हुए इस बिल को विदड्रा कर लें वरना इसे टर्न डाउन कर दिया जाएगा ।

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहिब, जैसा श्री मंगल सेन जी ने कहा कि दया कृष्ण जी ने बिल में जो छूट दी है उसके परिणाम भयंकर होंगे, में भी उनसे सहमत हूं । श्री दया कृष्ण जी कहते हैं कि यदि किसी के दो बच्चे हो जायें, तो उसे एक ही माना चाहिए । यदिं किसी के 6 हो जायें तो तीन माने जाएं । तो मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हुं कि वे फेमिली प्लानिंग करवा रहे हैं या फेमिली प्लानिंग को और चढा रहे हैं? इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करके वे क्या चीज करना चाहतें है'?

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक रूल पढ़ दु ।

Chaudhry Chand Ram : I am quoting Rule 124 which reads as under :-

"If the Bill or amendments given notice of by a private mcmt cr is a Bill or amendment which under the Constitution cannot he introduced without the previous sanction of the President or rceommondaion of the Governor, the member shall antics to his notice a copy of such sanction or recommendation, as the

case may he, and the notice shall not be vaild this requirement is complied with,

स्पीकर साहिब मैं यह तो पहले ही एक्सलेन कर चुका हुं कि हमारा कोई भी ऐसा ला नहीं है जो इस सेक्शन को फालो करें । दूसरे हमने यह । माना हुआ है कि हमारी जो धार्मिक बातें हैं खासतौर पर माईनोरेटी जो कि मुसलमानों की है वे इसको छुवेंगे तक नहीं । इसलिए यह बुनियादी एतराजात हैं । हमारे यहां दो मुसलमान मैम्बर हैं श्री खुरशीद अहमद और श्री खां अब्दुल गफ्फार खां, अगर वे इस रेजौयूशन की इजाजत देते हैं, तो हाउस में आना चाहिए वरना खामखाह ही हाउस का समय. नष्ट करने से क्या फायदा। उस में कई एक विचित्र सी बातें लिखी हुई हैं जो कि बुनियादी एतराजात हैं।

Mr. Speaker : You have referred to Rule 124. But I don't think this concerns the question before us. You seem to refer to those resolutions for which prior sanction of the Governor or the President, as the case may be, is to be obtained. Those are normally money bills. But this does not apply to this particular bill. In any case this matter is to come before the House. It is the House that is going to decide whether to accept or reject it. After all I can only follow certain procedures already laid down. So this has been moved.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, सैक्टरी साहिब आपको कुछ सैकेची बातें बतला रहे हैं । हमें जो यह फरीडम आफ रिलिजन दी गयी है वहां इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो

हमारे तीन साथी मुसलमान भाई बैठे हुए है' उनकी भी तो राय लेनी चाहिए । इस बिल में जबरन नसबन्दी की बात कही गयी है जो मुसलमानों के धर्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ । कम से कम उनसे पूछ तो लिया जाये कि वे इस बिल के आने से एग्री भी हैं या नहीं, क्योंकि यह बिल तो उनकी सरीयत के खिलाफ भी जाता है ।

Mr. Speaker : You have said that the Secretary is telling sketchy things. I may point out that you are also telling sketchy things. Some hon. Members also told a number of things. But I do whatever is correct. I don't think there should be objection at this stage. The bill is being moved and it is up to you all and the House to decide it. So why should we fight shy of this thing ? I may assure you once again that **1** do or say whatever **I** think correct.

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहिब, यह जो बिल है यह मेरे विचार के अनुसार श्री दया कृष्ण जी को पेश नहीं करना चाहिए था । हमारे यहां एक देसी कहावत है कि:

''खुद मियां फजीयत औरों को नसीहत''

वैसे बाबू दया कृष्ण जी बडे शरीफ आदमी हैं, मैं उनके प्रति और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी खुद तो उन्होंने 11 बच्चे पैदा कर लिए और हमें अब पढ़ाना चाहते हैंकि कम बच्चे पैदा करो । हां अगर यह बिल खुरशीद अहमद जी की तरफ से पेश किया जाता तो बहुत ही अच्छा होता । क्योंकि वे हैल्थ डिपार्टमेंट

के मिनिस्टर हैं इसलिए इस बिल को पेश करने का राइट श्री खुरशीद अहमद जी को मिलना चाहिए ।

चौधरी अब्दुल रजाक खां (फिरोजपुर झिरका) : स्पीकर साहिब, मैं आपकी मार्फत सरकार से अर्ज करना चाहता हू कि वे इस पालिसी को इसी सत्तह पर ही रहने दे, तो अच्छा ही होगा । अगर अवाम अपनी नसबन्दी अपनी रजामन्दी के साथ कराये तो उस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता । लेकिन यह जो जबर्दस्ती खली बात इस बिल में कही गयी है यह नहीं की जानी चाहिए ।

स्पीकर साहिब, इस बिल के बारे में आपको पूरे अख्तियारात हैं कि इसको आप कबूल करें या इसको वापिस करदें, या श्री दया कृष्ण जी इस बिल को खुद ही विदड़ा कर लें ।

स्पीकर साहिब, यह जो बिल उन्होने पेश किया है, यह बिल्कुल गलत बित है, क्योंकि इस बिल से मुसलमान मजहब पर सीधा हमला है । हमारे मजहब में हर शख्स को यह अख्तियारात हैं कि वह अपनी मर्जी से एक बीवी भी रख सकता है और दो भी रख सकता है उसमें कोई रुकावट नहीं है । श्री दया कृष्ण जी ने यह कहा है कि अगर किसी को दो बच्चे होते हैं तो भी एक ही बच्चा समझा जाना चाहिए । अगर किसी को दूसरी बीवी से बच्चा होता है तो भी कही समझा जाना चाहिए । समझ में नहीं आता कि कैसी अजीबोगरीब बातें इस बिल में हैं ।

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहिब, हमारी यह समझ में नहीं आता कि किसी को दो बच्चे हो जायें तो दया कृष्ण जी कहते हैं कि एक ही समझा जाना चाहिए । मान लो किसी औरत को एक वक्त में एक लड़का और एक लड़की हो जाये तो उस हालत में हम एक ही कहेंगे । (तालियां)

चौधरी अब्दुल रजाक खां : स्पीकर साहिब, मैं आपकी मार्फत सरकार से कहूंगा कि वह इस बिल को विदड्रा कर ले ।

श्री अध्यक्ष : इस से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं हूँ ।

चौधरी अब्दुल रजाक खां : स्पीकर साहिब, मैं आपकॉ एक चीज और बताना चाहता हूं कि यह जो बिल है, यह कुदरत के असूलो के खिलाफ भी हूँ, क्योंकि खुदा इंसान का रिजक उसके सर–जमीन पर आने से पहले ही भेज देता है । जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चा मां के पेट में ही होता है लेकिन कुदरत की तरफ से उसको खुराक मिलती रहती है । जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की मां के सीने में दूध आ जाता है । ये सब चीजे कुदरत की हैं । इन सब चीजों के आगे इन्सान की समझ बिल्कुल समझ है । फिर आप आगे देखिए ज्यों ज्यों बच्चा बडा हो ता जाता है और वह खाना खाने लगता है त्यों त्यों मां के सीने से दूध सूखने लग जाता है । ये सब बातें इन्सान के दिमाग की बातें नहीं है, ये कुदरत की है' । अगर हम इस बिल के मुताबिक चलेंगे तो हम कुदरत के असूलो के खिलाफ जायेंगे ।

इसलिए स्पीकर साहिब इस बिल कौ ला कर श्री दया कृष्ण जी ने हरियाणा के नाम पर आइने हिन्दुस्तान में सब से पहले धब्बा लगाने वाली बात की है । अगर यह बिल पास होता है तो हरियाणा के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा होगा ।

इन अलफाज के साथ मैं स्पीकर साहिब, आपकी मार्फत श्री दया कृ ष्ण जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इस बिल को खुद ही विदड्रा कर ले या आप इस को वापिस कर दें ।

श्री ओम प्रकाश गर्रा (थानेसर) : स्पीकर साहिब, मैं आपकी मार्फत इस बिल के बारे में यह निवेदन करूंगा कि इस बिल मे जो सजाये रखी गयी हैं, अगर वे सजाये उन पुराने जुर्मदारों को दे दी जायें जिन्होंने पहले ही ज्यादा बच्चे पैदा किए हुए हैं और जब पुराने जुर्मदारों को सजायें मिल जायेंगी तो नये जुर्मदार अर्थात् जो अब अधिक बच्चे पैदा करना चाहते हैं वे उनको मिली हुई सजाओं को देख कर ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे । इसलिए स्पीकर साहिब मैइस बिल में यही तरमीम चाहता हूं कि आप नये लोगों को जुर्मदार बनाने की बजाये पुराने जुर्मदारों को ही सजा दे दें तो नये लोगों को उसी से शिक्षा मिल जायेगी ।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ) : एक भाई ने कहा कि यह सरकार का बिल है मगर स्पीकर साहिब सरकार का इस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है । बात यह है कि यह तो एक मैंबर की राए है उसको दूसरा माने या न माने उन की अपनी मर्जी है, लेकिन मैं

यह कहूंगा कि यह जो फैमिली पलैनिग का सारा चक्कर है यह गलत है । इस काम में सरकार को बिल्कुल कामयाबी नहीं हो सकती चाहे जितना मर्जी रुपया खर्च किया जाए, क्योंकि यह तो कुदरत की चीज है ।

इस के लिए मेरी राए यह है कि जब तक इंसान अपनी गलती को खुद महसूस न करे, उतनी देर तब वह इस चीज पर काबू नहीं पा सकता । गलती करते रही और फैमिली प्लैनिंग करते रहो, इस का कोई फायदा नहीं होगा । इस का ऐसे तो इलाज हो सकता है कि हर आदमी सात्विक भोजन करे, और ईश्वर का ध्यान करे, ताकि उस के मन के विचार खराब न हों । दूसरी वात यह है कि हमारे देश में फैशन बहुत बड़ गया है, इस को भी कुछ काबू में करना चाहिए । इस पर एक तो पैसा जाया होताहै औंर दुसरे आदमी के ख्यालात गंदा होते हैं । पहले जब लोग सात्विक भोजन करते थे, फैशन कम करते थे और भगवान् का नाम लेते थे, तो उन के यहां सन्तान कम होती थी । चाहे आप कोई कानून बना लो, उस से आप फैमिली प्लैनिंग पर काबू नही पा सकते । स्पीकर साहिब, यह तो अपनी इंद्रियों पर कण्ट्रोल करने से हो सकती है । इस लिए मै रिक्वैस्ट करूंगा कि यह सारा रुपया इधर से हटा कर ट्यूबवैलों पर लगा दिया जाए और लोगों में प्रचार किया जाए कि तुम अपने ईमान पर चलो, सात्विक भोजन करो और भगवान का नाम लो ।

Mr. Speaker : I wish to make some observations with regard to the remarks made by Chaudhry Chand Ram earlier. This Bill has been examined very carefully and I will now quote the advice that we have received from the Law Department. It reads :-

"As required by sub-rule (2) of rule 45 of the Rules of Business of the Government of Haryana, the Bill has been examined in the Law Department in its technical aspects. The subject-matter of the Bill is relatable to entries I.2 and 20 of the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution of India and the State Legislature is, therefore. compe- tent to enact this measure It will be necessary under article 254 of the Constitution of India to reserve this Bill for the consideration of the President of India after it has been passed by the State Legislature. The Bill is not a Money Bill.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब रूल हमारे अदरवाईज है । इस में लिखा हुआ है कि जिस बिल के लिए मंजूरी लेनी जरूरी है कांस्टिच्यूशन के मुताबिक प्रेजीडेंट की मंजूरी पहलें ले कर बिल हाउस में आना चाहिए । तो विद डियू रिगार्ड फार योर रूलिंग आप से रिक्वैस्ट करूंगा कि आप फिर इस को कंसिडर करें ।

Mr. Speaker : I am prepared to discuss this matter with you in my Chamber. You will then agree with me that what you say is not correct.

Chaudhry Chand Ram : It is a question of interpretation of the Rules.

मेने इसी लिए कहा कि इन्होंने इस मामले मे क्या देखा क्या नहीं देखा लेकिन मैं प्रीजयूम करता हूं कि इन्होंने रूल्ज नहीं देखे । इन्होंने सिर्फ टैक्नीकैलिटी ही देखी है ।

Mr. Speaker : I think, the honourable Member is referring to an entirely different matter. Let me refer to our constitution. Article 207 of the Constitution of India reads :

"(1) A Bill or amendment making provision for any of the matter specified in sub-clause (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not he introduced in a Legislative Council"

चौधरी चांद राम : सवाल तो 124 रूल का है, आप उस की वडिंग पढ लीजिए । इस में एनी बिल का रेकेंस है, कोई भी बिल हो उस की सैक्शन पहले या बाद में लेनी जरुरी है । इस लिए राष्ट्रपति की मन्जूरी साथ लगानी चाहिए ।

Mr. Speaker : The honourable Member should not waste the tim**e** of the House un necessarily.

Chaudhry Chand Ram : I bow before your ruling, Sir.

Mr. Speaker : After all, the whole thing has been examined by the Law Department. I do not, therefore, think it is fair on your part to speak on it any more. We are going to discuss this matter in the House. The House may or may not give leave to introduce the Bill. So, I do not think we should delay matters when the matter has already been examined by the Law Department.

Chaudhry Chand Ram : I have accepted your ruling, Sir.

चौधरी चन्दा सिंह (नीलोखेडी) : स्पीकर साहिब, यह जो फैमिली प्लैनिंग का गैर सरकारी बिल श्री दया कृष्ण जी ने हाऊस में रखा है, इस की इस वक्त बेहद जरूरत हूँ । हुमारे आजाद देश में समाज को ऊचा उठाने के लिए इस चीज की बहुत बड़ी मांग है । सब लोग दिल से फैमिली प्लैनिंग करना चाहते हैं और यह चीज शास्त्रो मे भी लिखी हुई है । हां अगर इसमें कोई जबर की बात है तो उस में बेशक तरमीम कर ले, क्योंकि आबादी को काबू में रखना करीब करीब सब लोग ही चाहते हैं । महाभारत के जमाने मे जब कि हिन्दुस्तान का रक्बा बहुत बड़ा था, उस वक्त भी आबादी 15, 16 करोड़ से ज्यादा नहीं थी और अब जबकि रक्बा बहुत कम हो गया है इसकी आबादी 50 करोड़ से ऊपर हो रही है । इस लिए इस बात से कोई भी मुनकिर नहीं कि फैमिली प्लैनिंग न की जाए । लेकिन सरकार को तरीके ऐसे सोचने चाहिएं कि जो ज्यादा इफैक्टिव हों । इंगलैड जैसे देश में भी आबादी महदूद करने के लिए शादी करने की उमरें बढ़ा दी है जिस का कि उन को काफी लाभ हो रहा है । वहां के कुछ लोग तो देश से बाहिर जा कर शादी करते हैं । इस लिए मैं समझता हूं कि इस काम के लिए सोच–विचार कर अच्छे सुझाव देने चाहिएं और लोगों की राय, ले कर शादी की उमर बढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चे कम पदा हों । बाकी जो संयम करने की बात है वह तौ अब भी है और उस के लिए जनता को कोशिश करनी चाहिए लेकिन यह वक्त की बहुत बड़ी मांग है कि कोई कानून भी पास किया जाए । जहां

तक खर्चे का सवाल है वह बेशक घटा दिया. जाए या किसी तरह से भी किया जाए । सब लोगों को इस में जरूर सहयोग देना चाहिए । अगर अच्छी नौकरियां लेनी हैं, दस्तकारी को बढ़ावा देना है, तो उस के लिए जरूरी है कि फैमिली प्लैनिंग की जाए और इस बिल में अच्छी अच्छी बाते डाल कर इस को पास किया जाए । यह मजाक का मौजू नहीं है, बल्कि बहुत गम्भीर समस्या है जिस पर काबू पाने के लिए सब को सहयोग देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मैबंर साहिबान इस स्टेज पर यह इतनी लम्बी चौड़ी स्पीचे नहीं हो सकती हैं । अब इस पर काफी बहस हो चुकी हैं और यह बिल जब इन्टरोड्यूस हो जाएगा उस वक्त इस पर डिसकशन हो सकेगी and I think, one thing is clear. Whatever progress we have made through the five year plans, it is being eaten away mostly by the rapid increase in population. Although there is no doublt about it, it will be up to you, the honourable Members of this House to consider or not this Bill. But as a sufficient number of honourable Members have spoken on the motion of leave being granted to introduce the Bill, I think, it may now be put to the House.

Khan Abdul Ghaffar Khan : Mr. Speaker, I want to oppose this Bill at the introduction stage, if you allow me some time.

(Thumping from the Opposition Benches)

Mr. Speaker : Certainly.

खान अब्दूल गफ्फार खां (नण्गल) : स्पीकर साहिब, तमाम हिन्दुस्तान में यह बिल अपनी किस्म का पहला बिल है । वैसे सारे

देश भर में फैमली प्लौनिंग पर काफी जोर दिया जाता है लेकिन सव से पहले हमारे हरियाणा मेंही यह बिल आया है । यह ठीक है और इसके हारे में काफी कुछ कहा जाता है कि आबादी बढ़ रही है और इसका रोका जाना बहुत लाजमी हूँ । आपने भी फरमाया कि जो कुछ डिवैल्पमैटं का काम कर रहे हैं और जितनी पैदावार बढ़ रही हूँ वह यह आबादी बढ़ने की वजह से रायेगा जा रही है । यह ठीक है लेकिन सवाल यह है कि इस किस्म का सोशल बिल ऊपर से लाकर लोगों पर इम्पोज करना ज्यादती की बात होगी । महात्मा गांधी जी और तिलक जी ने भी और दूसरे लीडरों ने इस बारे में यही कहा है कि कोई भी सोशल रिफार्म लाने के लिये कानूनी दबाव न डाला जाए और यह लोगों में प्रचार करके ही काम किया जाए डंडे से नहीं । स्पीकर साहिब, अव्वल तो बात यह है कि जो कुछ फैमिली र्प्लौनंग के लिये जिस तरह किया जा रहा है वह इतना काबिले एतराज और नापसदीदा है कि मै समझता हूं कि वह बंद ही कर दिया जाए तो बेहतर है । लोगों के साथ ज्यादतियां की जाती हैं । सरकार का 45 रुपये एक ओपरेशन पर खर्च होता है और उसकी तकसीम आपस में इस तरह से होती है । दस रुपये तो उसको दिये जाते हैं जो ओपरेशन कराता है, दस रुप ये डाक्टर को, दस रुपये उसको जो किसी को फंसा कर लाता है और.....

Mr. Speaker : May I request you, Khan Sahib, to take your seat for a while, and let Shri Daya Krishan speak.

श्री दया कृष्ण (जींद) : स्पीकर साहिब, अपोजीशन की तरफ से और मेरे कुछ साथियों को तरफ से भी इस बिल की अपोजीशन हो रही है और काफी बहस हुई है । यह ए क साधारण सा दिल है और एक प्राइवेट मेबंर की तरफ से पेश किया गया था । जिस तरह से सरकारी बिलों की अपोजीशन होती है उसी तरह से इसकी नहीं होनी चाहिए थी । कुछ बातें अपोजीशन की तरफ से कही गई हैं । एक नेकहा कि उसके 11 बच्चेहे, दूसरे नेकहा इस ने ओपरेशन नहीं कराया है । मैं अर्ज करता हूं कि अपोजीशन को रिसपोसीबल बात करनी चाहिए । डाक्टर साहिब ने कुछ और बातें भी कहीं, मै उनकी इज्जत करता हूं और मैं उनमें जाना नहीं चाहता, लेकिन वह उस मिनिस्टरीमें शामिल थे और उनको पता है कि वह किस तरह उसे साथ ले डूबे । उनको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए (विध्न) यह बिल जो है, मैं ने बड़ी मेहनत और बड़े उत्साह के साथ तय्यार करके पेश किया है और मैंनहीं समझता था कि इसकी अपोजीशन होगी । मैं समझता हूं कि यह बिल बजट से भी और प्लान से भी ज्यादा जरूरी है । इसके पास होने से देश की इकोनोमिक हालत अच्छी होगी और लोगों की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा

एक आवाज : सीवन वाला केस भी बता दें कि क्या होता है ।

श्री दया कृष्ण : इस किस्म के केस स्पीकर साहिब अब भी होते हैं मैं मानता हूं और इन बातों को रोकने के लिये ही मैंयह बिल लाया हूं । वह जो पैसे दे कर ओपरेशन करते हैं यह ठीक बात

नहीं है । जिनके ज्यादा बच्चे होतेहै, वह अच्छी इकोनोमिक हालत न होने की वजह से उनको पाल नहीं सकते हैं और नतीजा यह होता है कि बीमारियां बढ़ती हैं हस्पतालों में खर्च बढता है, लेकिन फिर भी इकोनोमिक हालत अच्छी न होने की वजह से हजारों मर जाते हैं । इन हालात में यह निहायत जरूरी बिल है । हम पढ़े–लिखे हैं, हमारे पास साधन हैं और उन साधनों से बर्थ कन्ट्रोल कर सकते है' और हमें करना चाहिए, लेकिन जो भाई अनपढ़ है उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता है और नतीजा यह हो रहा है कि पापूलेशन तेजी से बढ्ती जा रही है और इस के बढ़ने के जो नतायज होंगे वह आप जानते है' । ब्रूस लिये मैं समझता हूं कि यह बिल सब कें फायदा के लिये है । मैइस बिल पर अगर कसिडरेशन सटेज होती तो तफ्सील से सारी बातें बताता लेकिन अब ज्यादा न कहता हुआ, यही कहना चाहता हूं कि अपोजीशन वालों ने तो इसकी अपोजीशन की ही है और मेरी साइड से भी मेरे कुछ दोस्तों ने इसे अपोज किया हे । इस लिये मै समझता हूं कि इस वक्त शायद इस बिल के पेश करने का मौजूं वक्त नहीं है । इस लिये मैं इसे वापिस लेता हूं और मौजूं वक्त पर इसको फिर हाउस के सामने पेश करूंगा ।

Mr. Speaker : Has the honourable Member the leave of the House to withdraw the motion ?

(Voices : Yes.)

The motion was, by leave of the House, withdrawn.

RESOLUTION REGARDING PROHIBITING THE MANUFACTURE AND SALE OF ALCOHOLIC DRINKS IN THE STATE

Shri Daya Krishan (Jind) : Sir, I beg to move—

That this House recommends to the Government to take steps to enact law for prohibiting the manufacture and Sale of Alcoholic drinks in the State with effect from the 1st April, 1969.

चौधरी बनवारी राम : स्पीकर साहिब, अब जब कि 26 जनवरी, 1969 से प्रान्त की भाषा हिन्दी हो गई हे, तो अब अंग्रेजी में काम क्यों किया जा रहा है?

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, श्री दया कृष्ण जी ने जो रैजोल्यूशन पढ़ा है, यह अंग्रेजी भाषा में है, हमारी समझ में नहीं आता, इसे हिन्दी में क्यों नहीं ट्रांस्लेट करवाया गया ।

श्री अध्यक्ष : मेम्बर साहिबान हिन्दी में जानना चाहते हैं, इसलिए दया कृष्ण जी, आप हिन्दी में तर्जमा करके बता दें ।

श्री दया कृष्ण : स्पीकर साहिब, इस रैजोल्यूशन में यह लिखा हुआ है कि एक अप्रैल, 1969, से हमारे प्रान्त में शराब बन्दी हो जाये । यह रैजोल्यूशन मैं सदन के सामने पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन इसको पास करेगा ।

Mr. Speaker : Motion moved —

That this house recommends to the Government to take steps to enact law for prohibiting the manufacture and sale of alcoholic drinks in the State with effect from the 1st April, 1969.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, जो पहले नोटिस दिया गया था उसमें 1 अक्तूबर, 1968, लिखा हुआ था और रिवाइज होने पर एक अप्रैल, 1969 किया है । तो क्या यह मेम्बर ने गलत लिख कर दिया था या दफतर से गलती हुई है?

Mr. Speaker : That does not make much difference who has done it.

चौधरी चांद राम : मैं जानना चाहता हूं कि यह भूल हमारे मेम्बरों से हुई है या किसी और की वजह से हुई है ।

Mr. Speaker : I hope, the honourable Members will not waste the valuable time of the House on such trifling things.

Chaudhry Chand Ram : I protest against this.

स्पीकर साहिब, जब यह सरकुलेट हुआ था तो उस में 1 अक्तुबर, 1968, लिखा हुआ था और उसके बाद ए 6 अप्रैल, 1969, लिख दिया । मैं आपसे सिंसीयरली और औनेस्टली इन्फर्मेशन लेना चाहता हूं कि यह गलती किस तरह हुई, और कोई खास बात नहीं है । (व्यवधान)

Mr. Speaker : I would request the honourable Members not to waste the valuable time of the House by raising such trifling matters.

श्री दया कृष्ण : स्पीकर साहिब, मैने शराब बन्दी के लिए यह रैजोल्यूशन सदन के सामने पेश किया है । शराब, जैसा कि इसका नाम है, इससे इसकी विशेषताओं का अपने आप पता चलता है । जैसे शर के मायने शरारत और आब के मायने पानी । यानि शरारत से भरा हुआ पानी है । जब यह पानी इन्सान के अन्दर जाता है तो उसे शरारत ही शरारत सूझती है । किसी भी धर्म ने शराब को अच्छी नहीं बतलाया । अंग्रेजी में कहते हैं "No religion has blessed the bottle" हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई यानि किसी भी धर्म ने इसको अच्छा नहीं समझा है । (व्यवधान) (इस समय डिप्टी स्पीकर चेयर पर बैठीं) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कह रहा थाकि शरारत से भरा यह पानी जब इन्सान के अन्दर जाता है तो शरारत ही पैदा होती है । इसके मुताल्लिक कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियो के विचार आपके सामने रखना चाहता हूं– साक्रेटीज, एरिस्टोटल, प्लेटो, तथा सिसरो ने कहा है––

"Wins is debasing to the dignity of man"

शैक्सपीयर ने भी कहा है "If they has no name. Let me call you devil"

चौधरी साहिब ने भी ही कहा है––

"Character and same depart when wine comes in"

गान्धी जी ने भी यही कहा है––

"If I was appointed dictator for one hour for all India, the first thing I would do would be to close without compensation all the liquor shops."

ये विचार बड़े बड़े आदमियों ने जाहिर किये हैं । हमारे कांस्टीच्चूशन में जो आर्टिकल 47 है उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें लिखा है कि––

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the stand-of living of its people and the improvement of public health as a nong its primary duties and in particular the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intovicating drinks and of drugs which are injurious to health"

हमारे कांस्टीच्चूशन का भी यह मेंडेट हूँ, इसमे भी लिखा हुआ है कि प्रोहिबीशन लागू होना चाहिए । शराब की खराबियां किसी से छुपी हुई नहीं हैं । सबसे पहले में इकोनोमिक प्वायंट आफ व्यू से आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं । शराब पीने से सब से ज्यादा नुक्सान

ज्यादातर गरीब आदमियों का होता है । उनकी बहुत थोड़ी आमदनी होती है, वह इस सारी आमदनी को शराब पर ही खर्च कर देते है' । घर में जो जरूरी सामान लेना होता है वह नहीं खरीद पति जो पेसा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होना चाहिए, मकान बनाने की तरफ इस्तेमाल होना चाहिए या और जरूरी चीजों पर इस्तेमाल होना चाहिए उसे ये लोग शराब के लिए इस्तेमाल करते

हैं । आपने देखा होगा जिन आदमियों को यह ज्यादातर आदत होती है वे खास कर गरीब आदमी होते हैं । वे जमीन बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं कर्जदार हो जाते हैं लेकिन शराब नहीं छोड़ते । हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, अगर किसी बे समझी की वजह से वे किसी खराबी में पड़ जाते हैं तो हमें कानून के जरिये से इसको बन्द करना चाहिए ।

इसके अलावा दूसरा आस्पैक्ट सोशल प्वाइंट आफ व्यू है । जिस घर के अन्दर कोई व्यक्ति शराब पीता है, वह सब से पहले अपने घरवालों से लडता है, भाई–बहनों से झगड़ता है, पड़ोसियों से झगड़ता है, गांव में लड़ता है और इस लड़ाई–झगड़े से कई प्रकार के जुल्म होते हैं । इस प्रकार सोसायटी को बड़ा नुक्सान होता है सोशल प्वायंट आफ व्यू से भी शराब का पीना ठीक नहीं है ।

शराब पीने से आप ठीक से काम नहीं कर सकते । अपने मुंह से अक्ल की बात नहीं कर सकते, दूसरा आदमी, जिससे बात कर रहे होते हैं, वह समझता है कि इस आदमी से इस वक्त बात न को जाये, अगले दिन की जाये तो ठीक है । शराब पीने से व्यक्ति ठीक ढंग से सोच नहीं सकता, चल नहीं सकता और न ही कोई काम कर सकता है । इसके बाद में हैल्थ पुआइट आफ व्यू सदन के सामने अर्ज करूंगा । हर डाक्टर यह कहता है कि इसके इस्तेमाल से इन्सान की सेहत बेहद खराब हो जाती है । सिर्फ हमारी एनर्जी कुछ वक्त के लिए एक्साइट हो जाती है लेकिन जब

उसका असर खत्म हो जाता है तो उसका री–एक्शन होता है और 'शरीर में कमजोरी रहती हूँ । सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल से इन्सान का पेट खराब रहता है । फेफड़े खराब हो जाते हैं और इन सवकी वजह से इन्सान की सेहत बिल्कुल खराब रहनी शुरु हो जाती है । तो हैल्थ पुआइट औफ व्यू से भी इसका इस्तेमाल बहुत खराब है ।

चौधरी जय सिंह राठी : बाबू जी इसका टेस्ट कैसा होता है?

श्री दया कृष्ण : मैं अपनी दाई साईड वालों से पूछ लूं क्योंकि मैं तो पीता नहीं (विघ्न) खैर, फिर मोरल पुआइट औफ व्यू से भी मेरी अर्ज यह है कि शराब पीने के बाद आदमी बहुत सी ऐसी बातें कर जाता है या करने की कोशिश करता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए । ला एंड आर्डर पुआइट औफ व्यू से भी यह चीज निहायत ही खराब है । अगर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्वैस्टिगेशन कराया जाए या पुलिस से पता लिया जाए तो बहुत जुरमो की जड़ यह शराब है । जब कोई आदमी झगड़ा करने जाता है तो शराब पीकर जाता है । तो कहने का मतलब यह कि सब प्रकार से शराब का पीना खराबी पैदा करता है । इन सब बातों के बावजूद भी, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार क्यों इसको बेचने की इजाजत देती है इसका कारण मैं एक ही समझता हूं वह यह कि इससे इसको करोड़ों रुपये की आमदनी होती है । तेकिन मेरी सरकार से प्रार्थना छै कि उसे आमदनी का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि शराब की वजह से जो लोगों को नुकसान हो रहा है वह कहीं

ज्यादा है, उसकी ज्यादा अहमियत है । सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए । इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए । और अगर सरकार इन बातों के बावजूद भी शराब का पीना ठीक समझती है तो फिर इसे चाहिए कि वह हर आदमी को इजाजत दे दे कि वह खुब शराब बनाए, पीये और पिलाए । सरकार को फिर उसे अपने. हाथ में ही नहीं रखना चाहिए बल्कि हरेक आदमी को बनाने की इजाजत होनी चाहिए । इस तरह से तो सरकार ही फायदा उठाती है क्योंकि यह एक रुपये की बोतल को 8– 9 रुपये तक बेचती है, पब्लिक को इससे नुकसान ही है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि शराब के पीने को सारे धर्म खराब समझते है' । इससे होने वाले नुकसान भी मैने बता दिए । इसलिए अब मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस रैजोल्युशन को हमें पास कर देना चाहिए । इससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं । और अगर नुकसान भी हो तो हमें रिस्क ले ही लेना चाहिए । मैं तो चाहता हूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि शराबन्दी को एक दम सारी स्टेट में लागू कर देना चाहिए मगर मगर सरकार एक दम रिस्क नहीं लेना चाहती हो तो मेरी अर्ज है कि हमारे छोटे से जिले में इसे ट्रायल के तौर पर लागू कर देना चाहिए । परन्तु मेरी यह भी अर्ज है कि हमें अपने कदम को आगे की ओर ही बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, पीछे लौटाने का नहीं जैसा कि रोहतक में किया गया । पहले वहां शराब बन्दी थी लेकिन अब वहां फिर छूट दे दी है । (विध्न) सो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो इतना ही कहकर समाप्त करता हूं क्योंकि मेरी दायें तरफ बैठे

भाई अपने तजुरुबे की बातें कहना चाहते है'. .विघ्न.. मेरा तजुरुबा तो दूसरों के तजुरुबे पर ही निर्भर करता है । उपाध्यक्षा रू मित्तल साहिब की तरफ से एक अमैन्डमैन्ट आई है । मैं उनसे रिक्वैस्ट करती हूं कि वे उसे मूव करें ।

श्री मंगल सैन : उपाध्यक्ष महोदया, प्रैक्टिस तो यह है कि संशोधन रैड एरण्ड मूवड समझे जाते हैं ।

उपाध्यक्षा : रवायत तो यह भी है कि जिसने अमैण्डमैण्ट दी हो उसको बोलने का टाईम दिया जाता है ।

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल) : माननीय उपाध्यक्षा महोदया, मेरी जो अमैन्डमैन्ट है उसे मैं अंग्रेजी और हिन्दी लोगों में सुना देता हूं । अंग्रेजी में इस प्रकार है :——

"In lines 7-9, for the words and figures with effect from the 1st April, 1969' substitute 'according to a phased programme to be drawn up by the Government.'

हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :——

''पंक्ति 2 में 1 अप्रैल 1969 से' शब्दों तथा अंको के स्थान पर 'सरकार द्वारा बनाए जाने वाले प्रावस्था–भाजित कार्यक्रम के अनुसार' रखिए ।

मलिक मुख्तियार सिंह : बड़ी मुश्किल हिन्दी लिखी है मित्तल साहिब ने।

श्री राम सरन चन्द मित्तल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चौधरी मुख्तियार सिंह जी की बात मानता हूं कि बड़ी मुश्किल हिन्दी है । दरअसल बात यह है कि मैने अमैण्डमैण्ट को औफिस को भेज दिया था । उन्हें ने यह अनुवाद किया है । आपको शायद यह ख्याल हो कि मैने ही इसका ट्रांसलेशन किया होगा ऐसी बात नहीं है । उसे तो दफतर वालों ने किया है । खैर, मैडम मैं इस अमैण्डमैण्ट के मुताल्लिक भी अर्ज करूंगा और इस रेजोल्यूशन के मुताल्लिक भी दो–चार शब्द संशोधन की शक्ल में पेश करना चाहता हूं । मेरा यह ख्याल हे, पता नहीं और साहिबान एग्री करें या न करें क्योंकि शराब का मामला है । जहां तक शराब की अच्छाई और बुराई का ताल्लुक सै, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज जो हमारे कांस्टीच्यूशन के हैं, उनमें भी यही है कि स्टेट गवर्नमैण्टस शराब को बंद करें, प्रोहिबिशन लागू करें और यह बात भी बहुत कुछ हद तक मानी जाएगी कि शराब के पीने वाले भी यह नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे शराब पीए । धार्मिक नीति से या इखलाकी नीति से, वह बात अलाहिदा है, लेकिन इस बात पर ज्यादा झगड़ा नहीं होगा कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं । परन्तु अफसोस इस बात का है कि सब कुछ होते हु ए भी शराब का इस्तेमाल ज्यादा होता जा रहा है । जव अंग्रेजों का यहां राज्य था और गुरबत काफी थी, उस वक्त शराब पीने के नतीजे सामने आया करते थे कि मजदूर फैक्ट्री से तनख्वाह लेकर घर नहीं पहुंचकर शराब पर सब खर्चा कर देता था । घर के बाल–बच्चे भूखे मरते थे और लोग भी जो अच्छी

तनख्वाह लेते थे वे विदेशी शराब पीकर अपने घर के इण्ट्रेस्ट को, अपनी फैमली के इण्ट्रैस्ट को बच्चों की देख रेख को उनकी शिक्षा को इनोर करके, पैसे को खर्च किया करते थे । महात्मा गांधी ने भी आवाज उठाई इसके बारे में ।

उस समय शराबबन्दी के लिए दुकानों पर पिकटिंग बडे जोर से हुआ करता था । पहले अमेरिका में भी प्रोहिबिशन थी । वहां उस समय के एक नेता पुसीफुट जानसन जो शराब बन्दी का काम करते थे शायद भारत् आए । उनका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा लेकिन उन्होंने अमेरिका मे आन्दोलन किया था । हिन्दुस्तान के अन्दर भी उन्होंने अपने ऐक्सपीरियन्सिज बतायें और यहां कहा कि शराबबन्दी होनी चाहिए ।

महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले ही यह कहा था कि शराबबन्दी होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो अंग्रेज थे और शराब से उनकी आमदनी होती थी । इसलिए उन्होंने बन्द नहीं की, परन्तु महात्मा गान्धी ने जरूर कहा कि यह बन्द होनी चाहिए । फिर हमारा देश आजाद हो गया और फाईव–ईयर प्लान बने और उन पर अमल किया गया । उन प्लानों से खुशहाली मैटीरियल परोसपैरिटी देशमें हो गयी, लेकिन असल चीज जो हम चाहते थे, जो गान्धी जी चाहते थे वह नहीं आयी । पहले जो लोग शराब पीते थे, उनको नफरत की निगाह से देखा जाता था । अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ पकड़ा जाये तो लोग उसको शराबी–कबाबी पुकारा करते थे और उसकी सोहबत अच्छी नहीं समझ ते थे ।

उस समय यह देहात में, शहर में, हर जाति में यह नफरत की चीजें समझी जाती थीं, लेकिन अब उस टाईम में और इस टाईम में बड़ा फर्क हो गया है । आज के वक्त में शराबी को नफरत की निगाह से नहीं देखा जाता है । हमारी जनता ने, हमारी गवर्नमैंट नै मेहनत करके अंग्रेजों के टाईम से बहुत ज्यादा खुशहाली हासिल की है । लोगों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन इन सब बातों के होने के बावजूद भी हम उस पैसे को अच्छे कामों मे नहीं लगाते हैं । मुझे अफसोस हूँ कि उस पैसे का माकूल हिस्सा शराब में जाता है । सब से बड़ी दु:ख की बात तो यह? कि स्कूलों में और कालेजों के अन्दर लड़के और मास्टर–प्रोफेसर मिल कर एक जगह पर शराब पीते है । हमारे भारत का इनटैलीजैन्सिया जो यह कहता है कि शराब एक जहर है और यह पुकारते है' कि शराब नहीं पीनी चाहिए लेकिन फिर भी जरूर पीते है' । इन बातो को वड़े लाइटली लेते हैं, इफैक्टिवली इसको बन्द नहीं करना चाहते ।

हमारे कई एक साथी कहते हैंकि हम इसके हक में हैं और इस रैजोल्यूशन को पास कर देना चाहिए । मैं भी इसके हक में हूं । लेकिन में कुछ अमैंडमैएट चाहता हूं । हमारे मित्र श्री दया कृष्ण जी ने कहा है कि यह एक अप्रैल 1969 से अमल में आ जादे । मैने इसके लिए एक अमैण्डमैण्ट मूव की है :––

In lines 7-9 for the words and figures 'with effect form the 1st April, 1969 substitute 'according to a phased programme to be drawn up by the Government.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह अमैण्डमैण्ट मूव करने की इसलिए आवश्यकता हुई कि एक्साइज डिपार्टमैटं कुछ समय के लिए मेंरे चार्ज में रहाहै । 1962 से लेकर 1 964 तक । मैने श्री जयसवाल जी जो यहां पर एम. एल. ए. है' उनकी डिसलरी फैक्टरी का इन्सपेक्शन भी किया है । मैं तो यह चाहता हूं कि यह शराब बिल्कुल बन्द कर दी जाए और लोगों कों बिल्कुल पीनी छोड़ देनी चाहिए । अगर लोग पीना छोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हूँ । शराब के वन्द करने से गवर्नमै.ण्ट को फाइनेन्स का कितना ही' नुकसान क्यों न उठाना पड़े, गवर्नमैण्ट को जरुर इनफारस कर देना चाहिए । लेकिन मैने तजुर्बे से यह देखा है कि शराब पीना एकदम से बन्द नहीं हो सकता । अगर शराबी लोग शराब पीना बन्द कर दे तो मे श्रीमती ओमप्रभा जैन से यह निवेदन करूंगा कि वे इस चीज को बिल्कुल माइन्ड नही करें कि गवर्नमंट को इसके बन्द करने से कितना नुक्सान होता है । लेकिन मैं इस बात से डरता हूं कि शराबी लोग शराब पीना बन्द नहीं करेंगे । मिसाल के तौर पर अगर कोई पंचायत गांवों में यह रैज्योलूशन पास कर दें कि हमारे गावों में कोई देसी शराब का ठेका नहीं होना. चाहिए तो मुमकिन है .कि गवर्नमैटं उसका लाईसेंस न दे, लेकिन होता यह है कि दो चार अहम आदमी अच्छा लिबास पहन कर पेश होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सरकार शराब का ठेका बन्द कर देवे । नतीजा ये होता है कि वहां पर काटेज इण्डस्ट्री के रूप में शराब का कारोबार चलता है । इस तरह से गवने मैट का तो रेविन्यू बन्द हो जाता है और खुद वे लोग शराब पीते हैं ।

मलिक मुख्तियार सिंह : आप डस रैजोल्यूशन की स्पोर्ट कर रहे है या इसका विरोध कर रहे है ।

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं अमैण्डमै ण्ट के साथ स्पोर्ट कर रहा हूं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह बताना चाहता हूं कि एकदम से तो हैबिट लोगों की चेंज नहीं हो सकती । इसके लिए भी गवर्नमैटं को काफी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे । आप देखिए पहले रोहतक जिले में शराब बन्द थी । मेरे विचार के अनुसार अगर वहां बन्द ही रहती तो अच्छी थी, लेकिन अब अगर वहां के एक्जिक्टिव अफसर, यूरलिस अफसर शराब पियें, तो वे दूसरे लोगों को कैसे रोक सकते हैं कि शराब पीना वन्द करो । अगर कालेज के अन्दर प्रोफैसर, गांवों के अन्दर पंच, सरपंच यत्र प्रापेगण्डा करें कि शराब पीना बन्द करो । तब शराब पीना बन्द हो सकता है । जब रूल के अनुसार शराब किसी इलाके मे बन्द है तो वहां के लोग दूसरे इलाकों से लाते हैं या खु द नाजायज शराब बनाते हैं । इसलिए इस नाजायज (इल्लिसिट) शराब को रोकने के लिए हमें पुलिस फोरस की जरूरत पडेगी । पुलिस के लगाने से एक तो हमारा पुलिस का खर्चा बढ़ेगा, दूसरे जो शराब से आमदनी होती थी वह कम हो जायेगी । काफी समय पहले हमारी सैन्ट्रल गवर्नमंट ने लिखा था कि शराब के बन्द करने से जो नुक्सान होंगा उसका पचास फी सदी नुकसान केन्द्रीय सरकार हमें देगी । मैंने उस समय स्कीम बनायी थी, और हम यह शराबबन्दी की स्कीम लागू करना चाहते थे । परन्तु उस वक्त चाईना एग्रैशन (

चीनी हमला) शुरू हो गया । इसलिए उस वक्त हमे यह प्रोहिबिशन का काम भारत सरकार की हिदायत पर बन्द करना पड़ा वरना कुछ दिनों में उसको चालू करने वाले थे । उन इलाकों में जहां पर और इलाकों के मुकाबले में आसानी से प्रोहिबिशन लागू हो सकती है जैसे महेन्द्रगढ का जिला है वहां फिरोजपुर और अमृतसर की निस्बत आसानी से यह स्कीम इंट्रोड्यूस हो सकती थी । तो मैं अर्ज करूंगा कि शराब को बन्द करने के लिये हमें महज इस रैजोल्यूशन को ही पास करना काफी नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमैटं को बड़े स्टैप्स लेने होंगे । लोगों की हैबिट्स चेंज करनी होगी । इसीलिए मैं ने यह अमैण्डमैण्ट पेश की हे कि बजाए इस के कि इस को पहली अप्रैल से इण्ट्रोडयूस किया जाए, इसके लिए कोई फेजड प्रोग्राम हो और गवर्ममैट अपने फाईनेसिज के मुताबिक तमाम बातों को मद्देनजर रख कर स्टेट में इट्रोड्यूस करे । लोगों की हैबिट्स भी चेंज हो, और फाईनेंसिज में भी दिक्कत न आए तभी बात बनती है । लेकिन अगर आज फैसला कर दिया जाये कि पहली अप्रैल से हो जायेगी तो वह प्रैक्टीकेबल चीज नहीं है । इन बातों को सामने रख के मैं आप से निवेदन करूंगा कि मेरी अमैडमैट मान ली जाए और कोशिश जरूर की जाए कि प्रोहिबिशन जल्दी से जल्दी हों, और इफैक्टिव (effective) हो । लेकिन इफैक्टिव प्रोहिबिशन तब तक नही हो सकती जब तक लोग अपनी हैबिट्स चेंज न करें । आप जानते हैं कि हमारे देश में कैरेक्टर बिल्डिंग जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ । इसके लिए जो इटैलीजेंसिया क्लास

है उन की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है । इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहिब, मै' निवेदन करूंगा कि वाईन इफैक्टिव तरीके से बन्द होनी चाहिए और मेरी जो अमैडंमैटं है वहू मान ली जाए ।

Deputy Speaker : Motion moved—

In lines 7-9, for the words and figures "with effect from the 1st April, 1969" substitute "according to a phased programme to be drawn up by the Government."

मेजर अमीर सिंह चौधरी (बाढरा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री दया कृष्ण जी को आप तो जानते हैं और हमारे भी वह पुराने साथी है' । वह बहुत मेहनत के साथ काम करने वाले लैजिसलेटर्ज में से हैं और उनकी नियत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन वह फंसे हुए ऐसे चक्कर में हैं कि अगर हम उनकी सपोर्ट भी करेंगे तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात होगी । उनके अपने ही साथी उनको यह रैज्योल्यूशन वापिस लेने पर मजबूर कर देंगे और जितना भी इस पर टाईम लगेगा वह सारे का सारा जाया जाएगा । मित्तल साहिब ने इस मे तो पेच रख लिया है । स्पीकर साहिब, कांग्रेस वालों के साथ मैं 24 साल रहा हूं यह कभी भी प्रोहिबिशन नहीं कर सकते । अगर यह कर दें तो मैं लैजिसलेटर बनना छोड दूंगा बेशक मुझे से लिखवा लो । यह बिलकुल नहीं करेंगे । यह करेंगे उस दिन जिस दिन इनका राज छिनने को होगा और दूसरे के हाथमें आ जाएगा । मित्तल साहिब मेरे पुराने साथी हैं, इन्होंने यह पेच रख दिया है फेज्ड प्रोग्राम का और यह

फेज्ड प्रोग्राम उनका उस दि न खत्म होगा जिस दिन राज इन के हाथ से जाएगा । इस किस्म का रैजोल्यूशन लाने से पहले इन को चाहिए था कि अपनी पार्टी में डिसकस कर लेते ।

वित मंत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम, मेजर साहिब ने फरमाया है कि जब कांग्रेस का राज खत्म हो जाएगा तब इस को लागू करेंगे । मेजर साहिब को पता होना चाहिए कि यहां कांग्रेस का राज खत्म हो गया था और इन को मिल गया था लेकिन जनता ने इन से छीन कर फिर हमको सौंप दिया ।

(श्री ओम प्रकाश गर्ग की ओर से विध्न)

मेजर अमीर सिंह चौधरी : गर्ग साहिब जैसे लैजिस्लेटर्ज अगर और पैदा हो गए, तो हरियाणा का नाम ही खत्म हो जाएगा । इस किस्म का आदमी जिसने अपने गुरू को भी धोखा दिया हो और कई बार साईड्ज बदलीं हों, वहू क्या टीका–टिप्पणी कर सकता है ।.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : मेजर साहिब नें फरमाया है कि इधर से उधर कई बार साईजज बदलने वाले क्या बोलेंगे । मगर मेजर साहिब तो खुद ऐसे आदमियों की पनाह में रहते हैं जो ज्यादा इधर से उधर होते रहे हैं ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : मैं उन आदमियों में से हूं जो बिल्कुल इस बात के बारे में किसी से कलाम तक नहीं करता । तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि मित्तल साहिब ने वह पेच रख दिया जिससे

सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जायेगी । मैं उनको मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने बहिन ओमप्रभा जी के लिए रास्ता खोल दिया । मगर ऐसे हाउस का टाईम खराब करने का कोई फायदा नहीं । इसके लिए अगर आप सीरियस हैं तो आप इसके लिए एक तारीख मुकर्रर करें अगर अप्रैल मे नहीं कर सकते, तो मई, जून, जुलाई, या दिसम्बर में कर लो, वरना फेदड प्रोग्राम की क्या लिमिट है । इन्होंने रोहतक के अन्दर प्रोहिविशन की ।

चौधरी लाल सिंह : आन ए पुआयंट आफ आर्डर मैडम, इस प्रस्ताव की मुखालफत करना हरियाणा की सब से बड़ी मुखालफत है ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : इन्होंने रोहतक के अन्दर प्रोहिबिशन की, मैं उस के साथ महेन्द्रगढ जिले का हूं । रोहतक के चारों तरफ इस कदर शराब बिकने लगी कि उस ने रोहतक की प्रोहिबिशन को न्यूट्रेलाईज कर दिया । ऐसी प्रोहिबिशन का क्या फायदा । अखबारों के अन्दर आज चर्चा है कि महेद्रगढ में प्रोहिबिशन की जाएगी । आप करिए बेशक करिए, लेकिन यह बात न हो कि रेविन्यू भी जाए और बात रोहतक वाली ही हो । वहां पर प्रोहिबिशन तब तक कामयाब नहीं होगी, जब तक कि आप साथ के जिलों में दस दस मील की बैल्ट को ड्राई नहीं करार देंगे । राजस्थान का तकरीबन सौ मील बार्डर भी साथ लगता है अगर उनका आप सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर भी आप की प्रोहिबिशन कामयाब नहीं हो सकेगी । इसलिये मैंबहिन ओम प्रभा जी से कहूंगा कि अगर आप महेन्द्रगढ में यह काम कर दें तो हम

आप को मुबारिकबाद देंगे । हमारा इलाका गरीब है और हम तो शराब पीना अफोरड ही नहीं कर सकते । जो नासमझ है वही पीते हैं । लेकिन आप ऐसा न करें जैसा आपने रोहतक में किया था । वहां कम से कम दस मील की बार्डर से मिलती ड्राई बैल्ट होनी चाहिए । यह ध्यान हो कि हमारे तो शराबबन्दी है और उधर साथ में छूट है । जिस वक्त रोहतक में शराबबन्दी थी, तो मैं ने एक्साईज वालों से पूछा कि यह रोहतक के साथ महेन्द्रगढ में जो आपने दुकानें खोल रखी हैं, वहू क्यों? वह कहने लगे कि हमें कोटा मिला हुआ है कि इस जिला में उतनी बोतलें और इस जिला में इतनी इतनी बोतलें शराब की खपत करनी हैं और अगर यह कोटा खत्म नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? मित्तल साहिब ने यह तो बताया कि वह एक्साईज के मिनिस्टर रहे है लेकिन यह नहीं बताया कि मन्त्री होते हुए शराब का कितना कोटा हर जिला के लिये मुकर्रर कर रखा था । एक तरफ तो यह ऐसी बातें करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं ठेके से कि अगर इतनी बोतले नहीं उठाओगे तो इतनी पैनलटी पड़ेगी । जब इन्होने शराब बेचने के कोटे मुकर्रर कर रखे हैं कि इस शहर में और इस गांव में रोजाना इतनी बोतलें शराब की बेचनी हैं, तो आप बताएं कि यह प्रोहिबिशन कैसे करेंगे । मैं आशा करता हूं कि वहन जी अपनी इस नीति को स्पष्ट करेंगी कि यह जो ठेकेदारों को मजबूर किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा शराब बेचो और आज हर जिला में ठेकेदार घाटे में जा रहे हैं । तो क्या इससे प्रोहिबिशन होगी । आप देखना मैं अगले सैशन में कवैश्चन पुट करूंगा कि कितने

ठेकेदार जेल में गए, कितनों की जायदादें नीलाम हुई और सरकार ने उनको शराब बेचने के लिये कितना कोटा मुकर्रर कर रखा था और फिर आपने देखना इनकी तरफ से क्या जवाब आता है । मैं पूछता हूं कि जब इस सरकार ने शराब बेचने के कोटे मुकर्रर कर रखें हैं और ठेकेदारों को कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा शराब बेचो तो उस सरकार को क्या अधिकार है कि उसके मैम्बर इस किस्म के प्रस्ताव हाउस में लायें । पहले आप फैसला तो करें कि आप चाहते क्या हैं । हम आपोजीशन वाले तो इसकी पुरजोर ताईद करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा या तो यह इसे खत्म नही करेंगे या फिर मूवर साहिब बड़ी शान के साथ इसे विदड्रा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को स्पोरट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह भाई इसे वापिस नहीं लेंगे । हम सब इस की ताईद करते. हैं । लेकिन मित्तल साहिब ने जो तरमीम दी है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि अगर वह मानी गई तो इस प्रस्ताव का सारा मतलब ही फौत हो जाएगा ।

चौधरी नेकी राम (नरवाना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, दया कृष्ण जी ने जो रैजोलूशन हाउस में लाया है वह बहुत ठीक है और मैं पुरजोर अलफाज के साथ इसकी ताइद करता हूं । यह मामला ऐसा है कि इस पर कोई लम्बी–चौड़ी तकरीर करने की कोई जरुरत नहीं और इसे बगैर किसी देरी के पास कर देना चाहिए । साफ बात है कि यह शराब की बिमारी इतनी खतरनाक है कि

अगर इस पर काबू न पाया गया और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो इस स्टेट के हालात खराब हो जाएंगे । हम देहात में रोजाना देखते हैं कि वहां क्या हालात हो रहें हैं । गांव में जितने झगड़े, मुकदमेबाजी और कत्ल की वारदातें हो रही हैं उन में सब से बड़ा हाथ शराब है । यह लानत है और इसे जितनी जल्दी खत्म किया जाए उतना ही बेहतर होगा । सरकार जो होती है वह जनता की बेहतरी के लिए होती है और यह काम नहीं होना चाहिए कि वह हर बात में मुनाफा की बात ही देखें । अगर जनता की भलाई के लिए माली नुकसान भी बरदाशत करना पड़े तो सरकार को करना चाहिए । मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो शराब के हक में हो, सब कहते हैंकि लानत को खत्म करना चाहिए । इस बिमारी में जो फंस जाता है वह आदि हो जाता है और बेकाबू हो जाता है लेकिन दिल से तो वह भी यही चाहता है कि इससे छुटकारा मिले । इस लिए बगैर किसी देरी के इस रैजोलूशन को कानूनी शकल दी जाए और शराब को हुकमन बंद किया जाए । हरियाणा में पहले शराब का बहुत कम रिवाज था और अगर कोई पीता था तो कहीं शहरों में ही चंद लोग पीते होंगे लेकिन अब यह बीमारी तेजी के साथ हर जगह फैल रही हे । मेजर साहिब ने बड़े अच्छे तरीके के साथ इसकी वजाहत की है लेकिन चूंकी यह बात कांग्रेस की तरफ से पेश की गई है इस लिए वह खुले दिल से इसकी हिमायत नहीं कर सके हैं । जो अच्छी बात हो चाहे वह अपोजीशन की तरफ से आए या सरकार की तरफ से उसकी खुले दिल से ताइद होनी चाहिए ।

मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि ऐसे नेक काम के करने में देरी क्यों की जा रही है । जब हर तरफ से इस के हक में आवाज आ रही है तो फिर जल्दी ही इसे कानूनी शकल देनी चाहिए और हाऊस का टाइम किसी और काम के लिए लगाना चापहिए । इन अलफाज के साथ मैं इसकी पुर जोर ताइद करता हूं ।

चौधरी बनवारी राम (जुडंला ऐस० सी०) : डिप्टी स्पीकर साहिबा रैजोरेल्यूशन जो पेश किया गया है वह बहुत अच्छा है लेकिन मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि यह कांग्रेस वाले इसे पास करेंगे । हम पिछले 22 साल से देख रहे हैं इस कांग्रेस को । इन्होंने रैजोलूशन तो बहुत रखे है' लेकिन अव्वल तो इन्होंने वह पास ही नहीं किए है' और अगर पांस हौ भी गया हे तो उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है । 1956 की बात है हमारे करनाल में एक सरदार के खिलाफ शराब का केस चल रहा था और वह अदालत में पेश था । अदालत ने उस पर जुरमाना किया और अदा करने को कहा । उसने कहा कि जुरमाना तो दे दूंगा लेकिन देने में कुछ समय लगेगा । जब उससे पूछा गया कि समय क्यों लगेगा तो उसने कहा कि पहले गुड़ लाउंगा फिर उसका साडा डालू गा उसके बाद शराब निकाल कर उसे बेच कर जुरमाना अदा कर दूंगा (हंसी) हरियाणा की बात ही मैं करता हूं औरों की नहीं करता । हरियाणा में कभी शराब बंद नही हो सकती । अगर ठेके बंद करेंगे तो सरकार को पता नहीं सरकार को कितनी पकड़

धकड़ करनी पड़ेगी और कितने केस चलेंगे । इससे बड़ा नुकसान होगा । पहले तो इन कांग्रेस वालों को अपने घर से बंद करनी होगी लेकिन ऐसा यह करेंगे नहीं । इनकी तो मियां जी वाली बात हे । एक मियां जी अपने लिए तो घर में बैंगन लाए लेकिन बाहर जलसा में तकरीर करने लगे कि बैंगन बहुत बुरी चीज है इसे नहीं खाना चाहिए । घर पर आ कर उसने पूछा कि क्या पकाया है तो उसकी औरत ने कहा कि कुछनहीं क्योंकि आपने ही जलसा में कहा था कि बैगन नहीं खाने चाहिए और मै ने वह उठा कर फैक दिए । उसने कहा कि बेअकल यह बात तो दुनियां के लिए है हमारे ऊपर यह लागू नहीं होती (हंसी) । इसी तरह स्पीकर साहिब प्रोहिबीशन वाली बात दूसरों पर ही लागू होती है मिनिस्टरों पर लागू नहीं होंती । जब यहां पर मिनिस्टर खुद शराब पीते हैं तो ये कैसे शराब बन्दी कर सकते हैं । इसलिए हरियाणा की सरकार प्रोहिबीशन के लिए कोई रैजोल्यूशन पास नहीं कर सकती ।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : उपाध्यक्ष महोदया मैं श्री दया कृष्णा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जहां तक शराब बन्दी का ताल्लुक है वह दरअसल मैं किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है वह तो देश के आचार व्यवहार का सवाल है । जहां हमारे देश में पिछले बीस सालों में जिसमें हमारा हरियाणा प्रान्त भी शामिल है. बहुत तरक्की हुई और हर क्षेत्र में आगे बढे हैं । लेकिन कुछ बातों में देश पीछे भी गया है । जिन कारणों से देश पी छे रहा

है उन में से एक कार ण शराब का प्रयोग करना है । शराब दो तीन किसम के आदमी पीते हैं । एक तो वे भाई पीते हैं जो अपनी जिन्दगी से बेजार हो जाते हैं जिनकी जिन्दगी से हर प्रकार की आशा टूट जाती है । ये लोग निराशा को भुलाने के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं । इनके अतिरिक्त दूसरे वे भाई शराब पीते हैं जिनके पास आमदनी ज्यादा होती है । खाने. पीने के बाद जो पैसा बच जाता है उसे शराब में इस्तेमाल करते हैं । पैसा ज्यादा होने से देश का स्टेंडर्ड ऊंचा हुआ, लोगों की आमदनी ज्यादा हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग शराब पीन ए लगे । लोगों का स्टैंडर्ड अगर ज्यादा ऊंचा हुआ तो शराब पीने से गिराना नहीं चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक शराब को पीने से रोकने का ताल्लुक हूँ, इसको किसी भी पुलिटिकल पार्टी की सरकार से नही जोड़ा जा सकता है । कांग्रेस पार्टी की कई सरकारों ने शराब–बन्दी की और मद्रास में डी. एम.के. की सरकार ने, जो कि विरोधी दल की सरकार है उसने शराब–बन्दी की हूँ । इसलिए यहां पर कांग्रेस पार्टी या विरोधी दल की पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल देश के आचार और स्तर को ऊंचा करने का है । यह बड़ा गम्भीर सवाल है, मुझे मालूम नहीं कि जो भाई इसको बन्द करने में गिला करते हैं वे शराब इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, अगर वे नहीं पीते तो अच्छा है न पियें अगर पीते ए हैं तो कोई अच्छी बात नहीं हूँ । इसको छुड़वाने में सरकार का जितना भी सहयोग

हे सके, देना चाहिए । यह बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि राष्ट्र पिता गान्धी ने ती यहां कहा था कि ' 'शराब की आमदनी से अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देगे तो बच्चे बुरे कर्म करेंगे' ' क्योंकि जैसी चीजें हम खायेंगे हुमारे दिमाग पर वैसा ही असर पड़ेगा उद्देश्य पर जदियो का असर होता है । हो सकता है यही कारण हो कि आज देश के बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे है । पढ़ाई की तरक्की तो हुई लेकिन विधार्थियों में अनुशासन गिर गया । जैसा कि बापू गान्धी ने कहा था कि जैसी जैसी चीजों का सेवन हम लोग करेंगे उसका असर और छाप बच्चों पर जरूर पडेगा, वह आजकल की घटनाओं से साबित हो गया । इसलिए सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए । मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस सरकार ही शराब बन्दी कर सकती है, गुजरात की सरकार ने भी नशाबन्दी की, मैसूर की सरकार ने भी शराब बन्दी की है, इसके इलावा और भी कांग्रेस सरकारें या गैर–कांग्रेसी सरकारें है' जिन्होंने शराब बन्दी मुकम्मल तौर पर की है । लेकिन जिन जिन सरकारों ने शराब–बन्दी पर रोक लगानी चाही उससे उनकी अपनी समस्याएं पैदा हो गई । लोग नाजायज तरीके से शराब निकालने लग जाते हैं । हरियाणा सरकार ने रोहतक जिले में शराब बन्दी की । रोहतक में शराब बन्दी होने से आस पास के इलाकों से शराब ज्यादा बिकने लगी और सरकार की आमदनी उतनी ही रही जितनी कि रोहतक में शराब बन्दी होने से पहले थी । इस हिसाब से अगर एक जिले के बजाय दो जिलों में शराब बन्दी कर दें तो भी सरकार की आमदनी उसी हिसाब से बढ़ती हे क्योंकि शराब

पीने वाले दूसरे इलाकों से खरीद लाते है' । इसका क्या कारण हे कि शराब बन्दी होने के बावजूद भी शराब पीने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आती । इसका कारण यह हूँ कि हमारे आचार विचार ठीक नहीं हैं हमारे क्केटर का स्तर ऊंचा नहीं है । इसी लिए लोग चोरी से शराब बना लेते हैं, चोरी से पीने लगते हैं, जिसके कारण प्रदेश में और कई प्रकार की खराबियां पैदा हो जाती हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपने तो रोहतक में भी प्रोहिबीशन खोल दी थी ।

चौधरी रणबीर सिंह : इसके बारे में राव साहिब से इतना ही कह सकता हूं कि खोलने वाले तो राव साहिब के बहुत करीबी दोस्त बन गये हैं और राव साहिब ने उनको अपना नेता मान लिया है (व्यवधान) । जिस वक्त यह शराब बन्दी खोली गई थी उस वक्त मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूं क्योंकि उस वक्त इनके दोस्त मुख्य मन्त्री थे और मैं उनके मन्त्रीमण्डल में एक मेम्बर के तौर पर था । ठीक है मैं अपनी कमजोरी मानता हूं, मैंने उस वक्त हौसला नहीं किया कि मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे देता ।

वित मंत्री : यह खोती तो राव साहिब के समय में गई थी ।

चौधरी रणबीर सिंह : ठीक है, सरकार के कई ऐसे कानून होते हैं जिनके फैसले पहले हो जाते है' और कार्यरूप देर से होते हैं । फैसला तो हमारा था । यह ठीक है कि फैसला हमारा था .लेकिन

आप फैसले को बदल सकते थे । इस बात से हम बच नहीं सकते कि यह फैसला कांग्रेस सरकार का था और यह फैसला कोई अच्छा फैसला नहीं था । इसके सम्बन्ध में मित्तल साहिब ने जो संशोधन दिया है वह ठीक है क्योंकि मित्तल साहिब को इस लाईन का काफी तजरुबा है, पंजाब में वे शराब के महकमें के इंच्चार्ज थे और उस वक्त उन्होंने एक नया तजरुबा करने की कोशिश की थी । इसके बारे में दो तीन किसम के विचार हो सकते हैं, कई भाई इसका विरोध करते हैं, कई नहीं करते हैं । हो सकता है कि कई भाई मुझे यह कहें कि मैं भी उस वक्त के मंत्रिमण्डल का मेम्बर था और मित्तल साहिब के फैसलों के साथ हम भी सहमत थे क्योंकि वह फैसला कैबिनैट में हुआ था । एक बात में जरूर मानता हूं कि शराब बन्दी करने से सरकार के खजाने पर बोझ पड़ता है, सरकार की आमदनी कम हो जाती है और खर्च ज्यादा हो जाता है । इसके इलावा शराब बन्द होने से लोग चोरी से शराब इस्तेमाल करते है' जिससे कुरप्शन बढ़ती है । एक तो शराब पीते हैं और वह भी चोरी से, इस तरह उन को चोरी की आदत पड जाती है । जब तक हम अपने भाईयों का जीवन स्तर, चरित्र निर्माण नहीं करते है' तब तक यह शराब बन्दी हीं हो सकती । शराब बन्दी से तो क्रैक्टर और भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि लोग चोरी से शराब भी न पीये और इसकी तजारत भी खत्म हो जाये, हमने यह फैसला किया था कि शराब के अन्दर नशे की जितनी माता है उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाए । इससे शराब पर लागत कम लगेगी और सस्ती होने से सरकार को आमदनी बढ़ेगी

। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारी सरकार के बाद जो दूसरी आने वाली सरकार थी, अगर वहू इस फैसले को लागू करे रखती तो सरकार और प्रदेश को फायदा हो सकता था मित्तल साहिब ने जो संशोधन दिया हूँ उसके पीछे भावना यह ही है कि यदि सरकार एक दम आमदनी के साधन को बंद कर देगी तो उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा । बात है भी ठीक क्योंकि यदि आमदनी के एक साधन को दूसरे साधन के ढूंढे बगैर बंद कर दिया जाए तो रास्ते में मुश्किलें आएंगी ही । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सरकार अख्तियारात होने के कारण सब कुछ कर सकती है, उसके बारे में तो मेरी अर्ज यह है कि राव साहिब के मंत्रीमंडल को तथा मेजर साहिब के मंत्रीमडल को भी उतने ही अख्तियारात थे जितने हमारे मंत्रीमंडल को थे या हैं । इन अख्तियारात के होते हुए न तो वे ही बंद कर सके और न हम ही कर सके । मैं मानता हूं कि शायद राव साहिब की ख्वाहिश थी, मेजर साहिब की भी होगी और हमारी भी थी कि शराब बंद हो लेकिन कुछ मुश्किलात रास्ते में आती रहीं, जिन्हैं प्रैक्टिकल मुश्किलात कह सकते हैं, जिनकी बजह से कुछ फैसला करने के कदम आगे नहीं बढ़ सके । मैं यह भी मानता हूं. कि पंडित भगवत दयाल के मंत्रीमंडल ने जो फैसला किया था वह भी शायद कुछ मुश्किलात को ही सामने रख कर किया होगा क्योंकि उनका हल्का झज्जर था और झज्जर में बहुत सारे फौजी हैं । फौजी भाई आप जानते हैं मिल्टरी के अन्दर रहकर शराब पीने के आदी हो जाते हैं । हरियाणा में सबसे ज्यादा फौजियों की तादाद उसी

इलाके में थी, उसी जिले में थी और वे लोग मुझे याद है कहा करते थे कि शराब–बन्दी शायद उन्हीं को सजा देने के लिए की जा रही है । तो इन सब बातों का असर तो पड़ता ही है । मेरा ख्याल है कि राव साहिब भी शायद इसीलिए' ही नहीं कर सके होंगे क्योंकि एक तो ये खुद भी फौजी है और दूसरे इनके इलाके में भी फौजी बहुत है' । कहने का मतलब यह कि कई बार काम इसि लिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके बारे में समाज का दवाव पड़ता' है । परन्तु फिर भी, मैं मानता हूं कि कारण कुछ भी हों, कमजोरी कमजोरी ही रहती है, बुरी बात बुरी ही लेती है और उसे दुर करने का हमें प्रयत्न करना ही चाहिए । एक दम तो शराब, जैसा मैने पहले कहा, बंद नहीं हो सकेगा और न ही ऐसा करने से फायदा होगा मगर जैसा कांग्रेस पार्टी मानती है, देश की दूसरी पार्टियां भी शायद मानती हैं, कि सदस्यों को शराब नहीं पीनी चाहिए । यह भी मेरा विश्वास है कि यदि कोई सदस्य पीते भी होगें तो वे भी खास करके सदन में यह नहीं कह सकते कि शराब पीनी चाहिए..

चौधरी जय सिंह राठी : पहले वजीरों को शराब पीने से बंद होना चाहिए ।

चौधरी रणबीर सिंह : वजीर तो पहले भी पी जाते थे ।

मलिक मुख्तियार सिंह : आपने भी कभी पी?

चौधरी रणबीर सिंह : अपने बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि मैने कभी शराब नहीं पी । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं यह बात कह रहा था कि जनता के नुमांयदे जो यहां आते हैं, चाहे वे इधर वे बैठे हों या उधर बैठे हो, उनको शराब नहीं पीनी चाहिए । (तालियां) डिप्टी सगझकर साहिबा, आप यकीन मानिए कि हरियाणा को राजनीति के अन्दर आज जो गिरावट आई है उसका एक कारण शराब ही है क्योंकि शराब पीकर मनुष्य अपनी मर्जी के खिलाफ ऐसा फैसला कर जाना हूँ जिसके बारे में उसे बाद में पछताना पड़ता है । यदि शराब न हो या हम शराब न पीएं तो कम से कम आदमी अपने दिल से फैसला तो करेगा चाहे वह सही हो या गलत हो ।

राव बीरेन्द्र सिंह : शराब पीकर लोग कई दफा सच भी बोल जाते हैं ।

चौधरी रणबीर सिंह : हो सकता है, क्योंकि राव साहिबा को ज्यादा तजरुबा है लेकिन हम .तो ऐसा समझते हैं कि बिना शराब पीए आदमी सही बात करता है । (विन्न) तो खैर, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा की राजनीति के अन्दर जो गिरावट आई, हमारे कुछेक सदस्यों के पहले तो किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर आने परन्तु बाद में लोगों की राय लिए बिना दूसरी पार्टी में शामिल हो जाने की वजह से, उसके पीछे. शराब पीने का काफी असर रहा । मैं यह नहीं कहता कि जो लोग इधर से उधर गए वे ही शराब पीने वाले हैं, ऐसी मेरी धारणा नहीं हैं ।

पीने वाले तो दोनों तरफ हो सकते हैं और न पीने वाले भी दोनों तरफ हो सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि शराब का काफी असर रहा है । इसलिए मैं इस हक में हूं कि शराब–बन्दी होनी चाहिए ताकि समाज का सामाजिक स्तर ऊंचा हो । शराब पीने वाले, उपाध्यक्ष महोदया, सामाजिक स्तर को नीचे गिराते हैं अपने खानदान और अपने बच्चों के साथ ज्यादती करते है, जो.पैसा खानदान और बच्चों की तरक्की के लिए खर्च करना होता है उसे वे फज्ल व्यय कर देते हैं और अपने बच्चों और खानदान को बरबादी की तरफ ले जाते हैं । इन सव बातों को देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदया, मुझे तो बड़ी खुशी होगी यदि यह प्रस्ताव सदन में पास हो जाए क्योंकि मैं तो हमेशा इस राय का रहा हूं कि अगर गुजरात की सरकार वगैर शराब की बिक्री के अपने काम को चला सकती है तो हरियाणा के लोग और हरियाणा की सरकार भी जरूर अपने काम को चला सकती है । कोई काम मैं समझता हूं शराब के बिना रहने वाला नहीं है । मगर यदि किन्हीं कारणों से हम अभी पूरी शराब बन्दी कर भी न पाएं तो भी मैं चाहता हूं कि थोड़े बहुत कदम तो हमारे आगे बढ़ने ही चाहिएं । हमें चाहिए कि हम समाज.को शराब–बन्दी की बात को मानने के लिए तैयार करें । आज तक तो, जैसा मैने पहले कहा और अपनी तथा अपनी पार्टी की जिम्मेदारी भी मानी, हम लोगों को आगे ले जाने की बजाए पीछे धकेलने में ही ज्यादा कामयाब या नकामयाब रहे हैं । जैसा मैने पहले अर्ज किया कि यदि प्रस्ताव पास हो जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है परन्तु यदि प्रस्ताव भी हो

तब भी मैं समझताहूं कि इससे फायदा ही है क्योंकि इसकी वजह से शराबबन्दी के बारे में लोगों के विचार, कि आया शराब बन्दी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए, सदन में आएंगे । मैं मेजर साहिब, को तरह विचार नहीं रखता कि यदि सारी स्टेट में शराब बन्द न होकर कहीं महेन्द्रगढ में ही हो गई तो क्या फायदा नहीं होगा ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : मैं तो वैलकम करता हूं ।

चौधरी रणबीर सिंह : वैलकम करते हैं, तब तो ठीक हूँ । परन्तु इससे भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पहले महेन्द्रगढ से शराब रोहतक आया करती थी और अब यदि महेन्द्रगढ में शराब बन्दी हो जाए तो रोहतक से वहां चले जाया करेगी । खैर, अपने अपने विचार हैं लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह समझता हूं कि हमारी पार्टी के आज के कांग्रेस प्रधान, श्री रामसरन चन्द मित्तल जी ने शराब बन्दी या शराब बनाने की कुछ ही कह लें, जो नीति बताई है वह शायद ज्यादा अच्छी रह सकती है । तो हमें चाहिए कि नशे की परसैन्टेज धीरे धीरे कम करके कोको कोला तक पहुचा देनी चाहिए । अब कुछ लोग कहेंगे कि चौधरी साहिब आप कोको कोला क्यों पीते है'? कोको कोला तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पीता हूं क्योंकि मेरा ख्याल हो गया है कि मेरी सेहत के लिए यह अच्छा है । हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो । लेकिन बहरहाल, मै तो यह कहता हूं कि अगर धीरे धीरे हम नशीली चीजों का अंश

घटाएं तो उससे सरकार को जो एक आर्थिक संकट आ सकता है वह नहीं आएगा और शराब–बन्दी की तरफ भी हमारा कदम बढ़ेगा । सरकारी कामकाज को चलाने के लिए हमेशा पेचीदगी होती है क्योंकि कोई बेचने वाला चोरी करता है, कोई शराब निकालने वाला चोरी करता है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : फिर आप वीयर को चालू कर दें जैसा कि मित्तल साहब ने कहा है ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं इस बात से सहमत हूं जो श्री मित्तल जी ने कहा था । फिर राव साहब भी बहां गुड़गांव के अन्दर एक कारखाना लगवा लेंगे । दूसरा हरियाणा के किसानों को यह फायदा होगा कि उनको उनके जी की कीमत पूरी मिल सकेगी । एक फायदा यह होगा कि उस शराब के मुकाबले में इस शराब में नशे का अंश कम है । जैसा कि मित्तल साहब ने प्रोग्राम रखा है पहले बीयर शुरू कर दें और बाकी दूसरी शराबों को बन्द कर दें यह ठीक ही रहेगा ।

(एक सदस्य की ओर से विघ्न)

आप शोर न करें और बलवन्त राय तायल जी आप तो वैसे ही भाग गये मैं तो आज भी आपकी मित्तल साहब से सिफारिश करने को तैयार हूं कि तायल साहब के साथ जो पहले अन्याय हुआ था उसके लिए आप लीनियंट व्यू लें । (शोर)

चौधरी जय सिंह राठी (नौलथा): डिप्टी स्पीकर साहिबा यहां काफी देर से नशा– बन्दी के सिलसिले में बात चल रही है । इस हाउस में जो भी स्पीकर उठता है वह एक ही बात कहता है कि शराब बन्द होनी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस दुनियां में केवल एक शराब ही नशा नहीं है और भी बहुत से नशे हैं । किसी आदमी में ताकत का नशा, किसी में हुसन का नशा, किसी में दौलत का नशा और इन नशों के अलावा अफीम का, भांग का और चरस का भी है । इस तरह से कितने ही नशे है' । अब मेरी यह समझ में नहीं आता कि ये शराब के नशे को छोड़ कर और सब नशों को अपने पास रखना चाहते हैं । किसी भी स्पीकर ने यह नहीं कहा कि हम सब नशों को छोड़ने के लिए तैयार हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा एक ही नशे का फिकर रहा । चोधरी रणबीर सिंह जो मैने तो अभी बोलना ही शुरू किया था आप उठ कर ही चल दिये ।

चौधरी रणवीर सिंह : नहीं बैठ जाता, हुं ।

चौधरी जय सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिबा चौधरी रणबीर सिंह जी ने बड़ी समझदारी और सच्चाई के साथ कहा कि शराब ने इस हरियाणा की सियासत में बड़ी उथल– पूथल की और दल–बदली की और यह भी कहा कि हरियाणा को शराब से बहुत भारी नुक्सान हुआ । डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं कुछ दिनों उस तरफ कांग्रेस बैंचिज पर भी बैठा हूं मुझे सारी बातें मालूम हैं, लेकिन इस तरह से दूसरों पर दोष देना ठीक नहीं है जैसा कि अभी

रणबीर सिंह जी कह रहे थे कि लीनियंट वयू लेले तायल साहब के लिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आपके जरिए इस हाउस को बता देना चाहता हूं कि हमने तो दल बदले और उथल– पुथल की, लेकिन इन के लीडरों ने अपने घर बदते, गुरु बदले, धर्म बदले । इतना ही नहीं

इन्होंने तो वे लोग भी बदल दिये जिन्होंने इनका दिल बदला था । (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । आनरेबल मेम्बर शराब–बन्दी पर बोल रहे हैं या किसी पोलिटिकल विषय पर बोले जा रहे हैं ।

चौधरी जय सिंह राठी: शराब के बारे में ही बोल रहा हूं । जैसा कि चौधरी रणबीर सिंह ने कहा है उसी के बारे में मैं कह रहा हूं कि शराब का नशा हरियाणा में है । जो आदमी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां कृष्ण ने भगवत् गीता का उपदेश दिया था यह कहता है कि मेरा लीडर फलां आदमी है .मेरा गुर फलां है । और उस पवित्र भूमि पर तो वह इन बातों को मानते हैं लेकिन अब वह युद्धिष्टर हो गया कि मैने कुछ नहीं कहा यह सव झूठ है । क्या यही हमारे दिमाग हैं? इसीलिए शराबबन्दी करते है'? शराब–बन्दी तो यह करना चाहते हैं लेकिन और जो भी नशे है' क्या वह इसी प्रकार से रहेंगे? मैं तो कहता हूं कि हरियाणा के अन्दर नशा बन्दी होनी चाहिए न कि शराब–बन्दी । मेरे विचार सै शराब–बन्दी नहीं

करनी चाहिए क्योंकि शराब तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कहा गया है । मैं केवल अपने मामले में खासतौर पर कहता हूं :——

पीऊ तो पीऊ और न पीऊ परसों साकी ।

तोबा करते ही बदल जाती है नीयत मेरी ।

तोड़ू कर तोबा नजामत तो मेरी होती हे कोशिश ।

क्या करूं नियत बदल जाती है सागर देख कर । ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा इन सब पीने वालों की सागर देखते ही नीयत बदल जाती है । अगर इन्होंने शराब–बन्दी करनी ही है तो अपनी नीयत को ठीक करें । उस पर जम कर रहे । मुझे तो ऐसा लगता है कि हरियाणा के चरित्र को उंचा करने की बजाए कोई और कबाड़ा न कर दें । अगर इन्होंने शराब को हटा दिया 'तो कोई और जरिए तलाश कर लेंगे जिससे हरियाणा की जनता को नुक्सान होगा । जब हम ने शराब–बन्दी के लिए कहा था तो कहने लगे कि दो करोड़ का हरियाणा को घाटा होगा ।

वित मंत्री : आपने कब कहा था?

चौधरी जय सिंह राठी : आप रिकार्ड मंगा कर देख लें । आपने कहा था कि दो करोड़ रुपये का घाटा हरियाणा को पड़ेगा ।

असल बात तो यह है कि 25 परसैन्ट का जो खसारा है उसको किसी तरह से पूरा करना चाहते है' और वह जमींदारों से ही पूरा करेंगे । अगर यह सरकार चाहती है कि हरियाणा का भला हो और उनकी तरक्की दा तो मेरा तो ख्याल यह है कि इस नशा–बन्दी की बातों को बन्द करें और अगर आपने नशा–बन्दी करनी है तो आपने यह जो मुनिया भर की प्लान बना रखी है यह नमिली प्लेनिंग और दूसरी हैं इनको बन्द कर के इस खराब–बन्दी के खसारे का पूरा करें । एक और चीज डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं अर्ज करना चाहता हूं । नशेबन्दी की जो बात है, नशे सो मँने बता दिए हैंऔर नशे का सेवन जो है उस के बारे में थोड़ी सी बात चौधरी रणबीर सिंह जी ने कही थी जैसे कि उन्होंने सुझाव दिया कि शराब की डिगरी घटा कर कोका कोला की तरह कर दें, कीमत बेशक उतनी ही रखो लेकिन घटा कर कोका कोला जरूर कर दो ताकि वह भी पी सके । कमाल की यह नशाबन्दी कराने लगे है । (विघ्न) यह तो नशा बढ़ाने की बात करते हँ' । मँ यह कहूंगा कि अगर आप ने सिर्फ शराब घटाने की ही स्कीम रखनी है तो यह उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक आप दूसरे नशे बंद करने की बात नहीं करते । अगर यह चाहते है कि वाकई नशेबंदी हो जाए तो यह मैं इन से जरूर कहूंगा कि वह इन के जितने रिसोर्सिज हैं उनके लिए तैयार रहें । लेकिन सिर्फ कह देने से कोई बात नहीं बनती ।वह तो बहुत पुराने' कांग्रेसी है । कांग्रेस का तो सिद्वान्त हूँ कि नशाबंदी होनी चाहिए हम भी यह कहते हैं कि बंद करदो और लोग भी चाहो है' कि नशाबंदी होनी

चाहिए। तो फिर कर दो बड़ी अच्छी बात दै, आज ही इस पर बहस और वोटिंग हो जाए । मैं अर्ज करूंगा कि मेरे बोलने के बाद और किसी के बोलने की कोई खास जरूरत नहीं रहती । इसलिए इस पर वोटिंग करके पास कर दें । ख्ररगीद साहिब तो उठ कर बाहिर चले गाए क्योंकि मैं ने बोलना था । मैं ने उनको कहा था कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं शराब के बारे में आओ कुछ बात हो जाए । मगर उन्हेंने कहा कि में आऊंगा ही नहीं क्योंकि शराब की बातें मन कर मेरी तबीयत मचल जाती है । खैर डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यह पास किया जाए, यह अच्छी बात है अगर हरियाणा मे' नशा बंदी हो जाए ।

श्रीमती चद्रावती (लोहार) : डिप्टी स्पीकर साहिबा यह जो प्रोहिबीशन का रेजोल्यूशन हमारे सामने आया है इसके बारे में बहुत कुछ कह जा चुका है और इस के बारे में कोई नई बात करने की नहीं रहती । आप जानते हैं कि संसार के विचार को और दूसरे लोगों ने इस के खिलाफ यानी शराब के खिलाफ काफी लिखा है । यह ठीक है जो पीने वाली वृति के लोग है' उन्होंने और कई शायरों ने इस के हक में कुछ लिखा शुगल के तौर पर लिखा या जैसे उनको अच्छा लगा लिखा लेकिन दुनियां के विचारकों ने या जो समाज की हालत को अच्छा बनाना चाहते हैं उन्हों ने इस को खराबी के रूप में, वाईस के रूप में बताया । यह ठीक है कि पूरी तरह इसको समाज से हटाने में कोई भी देश

अभी तक कामयाब नहीं हुआ । उस की कई एक वजूहात हैं । सब से बड़ी वजह तो यह रही है कि जो हरेक देश में समाज के मुखिया कहलाने वाले लोग हैं उन्होंने कभी भी इस को उस नजर से नहीं देखा या देखना ही नहीं चाहते थे कि प्रोहिबीशन हो । बल्कि वह हमेशा पीते रहे और पीते है' । मे समझती हूं कि बम्बई में या रोहतक में जो प्रोहिबीशन कामयाब नहींहो पाई उस की सब से बड़ी वजह यही थी और इस के अलावा दूसरा सब से बड़ा कारण यह है जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जो एक्साईज इन्सपैक्टर या पूलिस अफसर छापा मारने के लिए जाते हैं वह खुद पीते हैं । बिल्ली कोअगर दूध का रखवाला बनाया जाएगा तो जरूर पी जाएगी । तो नाकामयाबी की यह वजह रही कि जो लोग इस को इम्पलीमट करने जाते थे उनको इस में यकीन नहीं था । अभी चौधरी रणबीर सिंह जी ने कहा था कि अगर इस को कोका कोला का नाम दे दिया जाए और इस की डिग्री नीचे कर दी जाए तो बुराई गी । मैं भी समझती हू कि यह बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम सब चाहते है' कि देश के नागरिकों का स्वास्थय अच्छा रहे । जितने कबरखाने के मजदूर है' या जो किसान है' वह जितना कमा कर लाते हूँ' वह सारे का सारा उन के बच्चों तवा नहीं पहुंचता और उनकी कमाई का बहुत सा हिस्सा शराब पर खर्च होता है और फिर जो शराब बिकती लू उस की डाक्टरों से जांच नहीं करवाई जाती कि उस का लोगो को सेहत पर क्या असर होगा । उस में जहरीली चीजें इस्तेमाल होती है' जिस से लोगों की मौत हो जाती है । चन्द रोज हुए हम ने

अख्बारों में पढ़ था कि मद्रास में काफी लोग शराब पीने से मूर गए थे । हम चाहते है कि हम को देश की डिफैसं केलिए अच्छे जवान मिले और आप जानते हैकि जो अच्छा सिपाही होता हूँ वह किसान ही हो सकता है, क्योंकि उस का काम इतना मुश्किल होता है कि वह घर पर भी सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है और उस का रोज का काम काज फौज के काम से मिलता जुलता है लेकिन उस की सेहत का कोई ख्याल नहीं किया जाता । इस लिए यह जरूरी हूँ कि इस के बारे में कोई कदम उठाया जाए । बड़े लोग जो पीते है, वह कीमती शराब पीते हैं, हो सकता है वह सेहत के लिए अच्छी हो लेकिन उन को देख कर दूसरे घटिया पीते है' । इस लिए उन का भी वह चार्म दूर होना चाहिए । हम जो आदर्शवाद मे चले जाते है' वह आदर्शवाद कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि उस के पीछे रिऐलिटी नहीं होती, प्रेक्टीकेबिलिटी नहीं होती । इसी लिए वह चीज कामयाब नही होती और दूसरे जो लोग उस को इम्लीमैटं करने वाले होते हैं' उन का उस में यकीन नही होता । डिप्टी स्पीकर साहिबा मै इस को सपोर्ट करते हुए मुख्य मंत्री साहिब से कहूंगी कि अगर वह प्रोहिबीशन करना चाहते हैंतो हम को इस के लिए समाज को तैयार रखना चाहिए और जो लोग समाज के मुखिया कहलाते हैं, जिन्होंने उनकी अगवाई करनी है उन को भी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा आदमी जौ काम करता है दूसरे उस को नकल करते है और उस के पीछे चलते है' । इसलिए अगर हम प्रोहिबीशन करना चाहते है' तो हम कों सोसाइटी के अपर स्ट्रेटा से शुरू होना

चाहिए । लेकिन अगर अगर सोसाईटी सहयोग नही देती तो हम समझेगें कि न हम इस को करना चाहते है' न इसके लिए सोचो और न ही वहू देश के वफादार है' । जो यह सोचते है' कि कुछ लोग फ्लरिश करे कुछ न को और दूसरी तरफ यह भी कहे कि हम समाजवाद लाना चाहते है । मै तौ यह समझती हूं कि हम अव जितना कैपीटलिस्ट तरीके से रहना चाहते हैं उतना शायद अमेरिका में भी नहीं होगा । हम ने हर चीज में कलास पैदा कर दी है । शराब में भी कलास है बड़े लोग क्या पता इस लिए पीते होंगे रिस उनकी सेहत अच्छी करती होगी लेकिन गरीब लोगों के लिए तो स्प्रिट ही बेची जातीहै जौ कि उनकी सेहत को खराब करती है । हमारे अंदर छोटे बड़े की भावना रुस कदर है कि हम वाईसिज में भी कलास पैदा करते है' । जो सोसाइटी का अपर स्ट्रेटा है उस के लिए वाईसिज अच्छे रूप में होंगे और जो गरीब हैं उनके लिए दूसरे खराब तरीके से ले । जन तक यह चीज खत्म नही होगी, प्रोहिबीशन कामयाब नहीं ही सकती । इस लिए हम को इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें । यह ठीक. है कि प्रोहिबीशन अच्छी चीज है लेकिन इस. की नाकामयाबी की वजह यह है जो इस को इम्पलीमैटं करने वाले थे उन्होंने इस में यकीन नहीं किया । क्या किसी को पता नहीं कि चोरी से शराब निकाली जाती है और पी जाती है । हर एक पुलिस के थाने में रिकार्ड होता है और उनको एक एक आदमी का पता होता है कि कौन कौन शराब निकालता है, लेकिन असल बात तो यह है कि वह खुद भी पीते है' । कई दफा छापा मारने गए

और खुद भी पी ली साथ मिलकर और अब पकड़े कौन किस को? इस तरह चोरी छिपे यह काम चलता रहता हे । जो पीते हैं वह भी समझते हैं कि बुरा कर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी कहना नहीं चाहते और छुप कर ही रहना चाहते हैं । नशे तो और भी हैंऔर कई दूसरी खराबियां हैं, जैसे हुक्का हैलेकिन यह वाईस इतनी ज्यादा वाईस नहीं है और ज्यादा खराबी करने वाली बात नहीं है । मुझे चौधरी जय सिंह की बात याद आ गई है । उन्होंने गुरु और शिष्य की बात की । कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी ने जो उपदेश अर्जुन को दिया था उसकी बात की । भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि जो गलत काम करत है चाहे वह गुरु है उसे तीर मार । अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को जब तीर मारने से इन्कार किया था तो उन्होंने यही कहा था कि जो गलती करता है चाहे वह कोई भी है उसे दण्ड मिलना चाहिए और अर्जुन ने उसका शिष्य होते हुए भी उसे तीर मारा... शोर

चौधरी जय सिंह राठी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम । मैं पूछना चाहता हूं कि जो यह कह रही हैं क्या वह रैलेवैटं बात है और जो मैं ने गुरु की बात की थी उससे रैलेवैटं है?

श्रीमती चंद्रावती : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस हिसाब से इन्होंने बात की उसी हिसाब से मैने जबाब दे दिया है । मेरे कहने का मतलब यह था कि अर्जुन समझता था कि जिस द्रौणाचार्य ने एकलव्य को विद्या देने से इनकार कर दिया उससे अच्छी बात नहीं. हो सकती और वह गलत काम था कि एकलव्य के शूद्र पुत्र

होने के कारण उसे शिक्षा नही दी और यह उन्होंने गलत काम किया था । अगर गुरु. गलत काम करता है और देश का नुक्सान करता है, तो गुरु को सजा देने का विधान हमारे शास्त्रो में है । गलत आदमी चाहे बड़ा हो या छ ट, उसे पूज्य नहीं मानना चाहिए और उस को सजा देनी होगी चाहिए ।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, काफी समय से इस शराबबंदी के प्रस्ताव पर बहस चल रही है और इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि शराबबंदी जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतनी जल्दी कर देनी चाहिए । मैं समझता हूं इससे आपकी जो यह फैमिली प्लानिंग है इस में काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी गलतियां शराब से ही होती हैं । शराब ऐसी नामुराद चीज है कि अपने पराए को नहीं देखती है । यह डाक्टरी बात है कि इन्सान के अन्दर और हर चीज के अन्दर कीड़े होते हैं और इन कीड़ों के बगैर कोई नहीं रह सकता । आदमी के अदंर भी कीड़ों की पोटली सै और जो आदमी शराब पीता है उसके कीड़े मर जाते हैं और वह आदमी किसी काम का नहीं रहता । जैसे कि बैल को अगर कीड़े पड़ जाए, तो आप भाई जानते हैं कि उस पर अगर स्प्रिट डाल दी जाए, तो कीड़े मर जाते हैं इसी तरह शराब पीने वाले आदमी के भी कीड़े मर जाते हैं और उससे सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और आप जानते हैं कि सोचने के वगैर आदमी आदमी नहीं रहता जानवर बन जाता टेप । तो मै सारे हाउस से अर्ज करता हूं कि सरकार

को चाहे कितनी ही पुलिस बढ़ानी पड़े और घाटा उठाना पड़े लेकिन ईमानदार आदमी लगा कर शराब बंद कर देनी चाहिए । अगर सरकार कहती है कि इससे नुक्सान होता है । तो मैं साबित कर सकता हूं कि इससे नुक्सान नहीं दस गुणा फायदा होगा । अगर सरकार के पास इसे बंद करने का कोई रास्ता नहीं है तो मैं कहूंगा कि शराब के ठेके पुलिस स्टेशन के साथ होने चाहिए । मैं सरकार कौ मुबारिकबाद दूंगा अगर वह शराब को बन्द कर देगी तो इस सारे देश में एक मिसाल होगी और बाकी प्रांत भी हरियाणा को फालो करेंगे । मैं यह भी जानता हूं कि कई आदमी शराब के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि आदत जो पड़ गई है । मुझे पता है कि मे सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता । एक दफा मैंने छोड़ी तो दस रोज तक परेशान फिरता रहा । स्वामी दयानन्द जी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि गो से जहर अच्छा है । मै' अपोजीशन के भाइयों से कहता हूं कि वह इसे पास करने में मदद करें, क्योंकि इसके पास करने से बड़ा फायदा होगा (अपोजीशन की तरफ से आवाजें रू हम सब आपके साथ है' अपने साथी कां ग्रेसयो को समझाओ) अगर मेरे साथ है' तो मेरे साथ आकर बैठ जाओ । आप तो मुझे छोड़ कर चले गए हैं (हंसी), मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि जितना जोर उस ने फैमिली प्लानिंग के लिये लगाया है उतना ही जोर अगर वह शराबबंदी पर लगा दें तो इससे फैमिली प्लानिंग भी हो जाएगी और लोगों से यह शराब की बीमारी भी छूट जाऊगी और आदमी आदमी वन कर रह सकेगा । मुझे एक बात याद आ गई है । मैं एक जगह जा रहा था और

रास्ते में मुझे राठी साहिब जैसा दोस्त मिल गया । उसने तीन चार सौ रुपये का सूट पहन रखा था लेकिन शराब पीने के बाद वहू अपना सूट भी भूल गया और अपने आप को भूल गया (शोर) ।

उपाध्यक्षा : ऐसी बाते आप न करें ।

चौधरी लाल सिंह : अगर यह ठीक नहीं तो मैं यह वापिस ले लेता हूं लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था कि शराब पी कर अच्छे से अच्छा आदमी पागल हो जाता है और अपने आपको भूल जाता है ।

चौधरी जय सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, में इसके बारे मैं पर्सनल एक्सलेनेशन देना चाहता हूं । इन्होंने मुझे एक किस्सा याद दिला दिया.....

उपाध्यक्ष : इन्होंने अपने लफ्ज वापिस ले लिए है, आप बैठ जाइए ।

चौधरी लाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कह रहा था कि इसका चालू रखने में बहुत से आदमी किसी न किसी ढंग से कोशिश करते रहते है' इसके लिए तो आपको सक्त कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि यह छोटी बीमारी नही है, बहुत बड़ी बीमारी है जो कि हर आदमी के दिल को प्यारी लगती है । यह आसानी से छूटने वाली चीज नहीं । मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा से कहना चाहता हूं कि शराब को बन्द करने से अगर बजट में घाटा आये तो आने दो । जौ रुपया आप इस पर लगायेंगे उसको जमीन में

ट्यूबवैल्ज लगाने पर खर्च करो । शराब पर खर्च किया हुआ पैसा किसी काम नही आता । मैं शराब तो क्या, चाय, तम्बाकू के भी खिलाफ हूं । हमारे देश में चाय नही पीते थे लेकिन अब लोग बिस्तरो से सोये हुए बाद मे उठते हैं चाय पहले मांगते है' । अगर यह बन्द, हो जाये तो लोग तरक्की पाएगे और देश का कल्याण होगा ।

श्री बलवन्त राय तायल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस रैजोल्यूशन पर बहुत बहस हो चुकी हूँ । मैं इसकी क्लोजर मोशन मूव करता हूं । आप इस पर हाउस को राय ले ले (विध्न)

चौधरी जय सिंह राठी: मैं इसको सैकंड करता हुं ।

उपाध्यक्षा : अभी एक घंटा बाकी है मेम्बर साहिबान एक घटे तक बोल सकते हैं ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (इन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय शराब के विषय में जो रेजोल्यूशन हाउस में पेश किया है, मै उसके साथ सहमत हूं क्योंकि शराब मे कोई फायदा तो नहीं दिखाई देता, नुक्सान ही नुक्सान है । इसके अवगुण इतने हैं' जो यहां पा गिनाये नहीं जा सकते । इससे खास तौर पर गरीब लोग ही अधिक नुक्सान उठाते है, जिनको पेट भर कर रोटी नही मिलती, थोडी–बहुत कमाई दाती है, उसे भी शराब पीने मै लगा देते है' ।

चौधरी जय सिंह राठी. : आन एर प्वायंट आफ आर्डर मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्लोजर मूव किया था और मैने उसको

सैकण्ड किया था, लेकिन बहस वैसे ही चल रही है । मै इस बात पर आपका स्टलिंग चाहता हूं कि क्या क्लोजर मोशन मूव करने के बाद बहस आगे चल सकती है या नही ?

श्री बनारसी दास गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप कंटिन्यू रखें, आगेजीशन वाले इसको लौंग करना चाहते हूँ' । आप जल्दी जल्दी बहस करके खत्म करें ।

चौधरी जय सिंह राठी : हम ना पहले ही चाहते है' कि तुमको खत्म करो ।

उपाध्यक्षा : देखिए, यह चेयर की मर्जी है कि आपकी क्लोजर मौशन मूव को मानें या न माने । मैंने रूल पढ़ लिया है, बहस जारी रहेगी ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : मैं कह रही थी कि बड़े आदमियों को तो इससे इतना नुक्सान नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसे की कगी नही होनी हे, अगर फर्क पड़ता है तो गरीब लोगों कौ ही पडता है । हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा ज्यादा में गरीब लोग ही रहते है, उनके पास गुजरा करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी होती है उसको शराब पीकर खत्म कर देते है' । इससे उनकी सेहत पर बुरा अमर पडता है । उमर कम हॉ जाती है जिससे नेशन को वड़ा नुक्सान दाता है । शराब पीने से बड़े बड़े कत्ल हो जाते है, गोलियां चलती हैं, इस तरह इससे कोई फायदा तो है नही, नुक्सान ही

नुक्सान है । जहां तक शराब से होने वाली सरकारी आमदनी का सवाल डै. अगर इसका हिसाब लगाया जाये तो उमसे कही ज्यादा रुपया लोग शराब पीने में खर्च करते है' जो कि देश का ही पैसा है । इसमे जो घाटा होगा उस घाटे को पूरा करने के लिए अगर सरकार बजट में कटौती कर ले तो अच्छी बात है । जब तक समाज में अच्छे आदमी पैदा करने के लिये अच्छा वातावरण न पैदा ही, तब तक इस शराब से होने वाली आमदनी का कोई फायदा नहीं है । आज मे बहुत पहले हरियाणा में शान्ति का वातावरण था लेकिन आज कल यह हालत है कि रोज बड़ी संख्या मे लोग शराब पीये हुए मिलेंगे । कई लोग चोरीं से पीते हैं । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि इस बुराई को दूर करने के लिए चाहे उन्हें बजट में कटौती करनी पड़े, चाहे इन्कम–टैक्स लगाना पड़े, लेकिन इसको जरुर कानूनी तौर पर बन्द कर देना चाहिए । मैं समझती हूं कि जो भाई मेम्बर साहिबान यहां बैठे हैं, वे भी इस बात का प्रण ले कि हमने इस शराब–बन्दी पर अमल करना है तो समाज में अच्छा वातावरण पैदा कर सकते है' । (चौधरी जय सिंह राठी की तरफ से विघ्न) राठी साहिब को शायद यह बात बुरी लग रही होगा, क्योंकि यह बात उनके लिए अच्छी नहर है ।

चौधरी जय सिंह राठी : मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि आप इस प्रस्ताव को पास करो, आप वैसे ही बहस कर रहे हैं ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रांत वह भूमि है जहां पर ऋषियों औरमुनियों का निवास

रहा है । यहां पर धर्म को ही श्रेष्ठ माना है। लेकिन जब शराब को बात आती है तो आजकल के नौजवान सब धर्म–कर्म भूल जाते हैं और धर्म–कर्म के स्थान शराब से इन्सान की जितनी भी कमियां हैं यानि बुराईयां हैं वे इन्सान पर काबू पा लेती है' । शराब को इस्तेमाल' करने से इन्सान बूरे मे बुरे रास्ते पर जा सकता है । स्वास्थय की दृष्टि सें भी इसका कोई फायदा नहीं है । क्योंकि जो शराब पीने वाला व्यक्ति हैं और जो शराब नहीं पीता है, इन दोनों में सेहन और मम्तिष्क की दृष्टि से बहुत फर्क है । इसलिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए सरकार सें यही प्रार्थना करती हूं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, चाहे घाटा उठाना पड़े, बजट में कटौती करनी पड़े, लेकिन तुम शराब को कानूनी तौर पर बन्द किया जाए ।

श्रीमती शकुन्तला (सल्हावास, एस०सी०) : उपाध्यक्ष. महोदया, मैं श्री दया कृष्ण जी के शराब–बन्दी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । वैसे तो नशा–बन्दी के बारे में कहने को कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि सभी भाईयों ने अपने अपने विचार प्रकट करके और समर्थन देकर बहुत कुछ कह दिया है । मगर फिर भी बैठे वैठे शराब की एक झलकी मुझे याद आ गई जिसे बताए वगैर भँ रह नहीं सकती । मेरे साल्हावास हल्के में इलैक्शन चला हुआ था । एक तरफ तो मै इलैक्शन लड़ रही थी और दूसरी तरफ मुझे अपोज करने के लिए कांग्रेस के एक भाई थे । इलैक्शन का प्रापोगेन्डा बड़े जारी मे चल रहा था । एक दिन शराब का एक

ठेकेदार मेरे पास आया और कहने लगा कि बहिन जी आप तो इलैक्शन हारेगी । मैने कहा क्यों? कहने लगा कि कांग्रेस कैन्डिडेट के यहां तो 70 हजार की शराब पहुंच गई है जबकि आपने एक भी बोतंल नहीं ली । आप कैसे इलेक्शन जीतेगी? मुझे सचमुच बड़ी परेशानी हुई और मैं सोच में पड़ गई कि कैसे बात बनेगी? खैर, एक बात मेरे दिमाग में आई और वह यह कि मुझे घर घर औरतो के पास जाना चाहिए क्योंकि औरतें शराब से बहुत नफरत करती हैं ।

चौधरी लाल सिह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये झूठे इलजाम कांग्रेस के ऊपर लगा रही है' ।

श्रीमती शकुन्तला : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये झूठे इलजाम नहीं बल्कि सच्चे हैं । अगर आप कहें तो मै बहिन ओम प्रभा जैन जी से जो यहां बैठी हुई हैं गवाही दिला सकती हूं (विरोधी दल की तरफ से तालियां) तो मैं कह रही थी कि मैने घर–घर औरतों के पास जाकर बात करने की योजना बनाई और काफी दिनों तक मै घुमती रही और औरतों मै. कहती रही कि बहिनों कहीं शराब के चक्र में न आ जाना, बल्कि वोट मुझे देना । उन सबने मुझ से कहा कि बहिन जी वोट तो हमने आपको ही देने है, परन्तु किसी तरह सै यह शराब बंद करा दो । क्योंकि इसने हमारे आदमियों को बिगाड़ दिया है । मुझे शराबियों के बारे में तौ ज्यादा पता नही कि उन पर क्या बीतती है और क्या क्या वे. करते है' मगर यह शक जरूर पैदा हेता है कि जब यह काग्रेस बोले अपने

नुमांयदो को जिताने के लिए 70– 70 हजार रुपये की खराब खरीदने है तो यह इसे कैसे बंद करेंगे (विरोधी दल की ओर से तालियां) और यदि बंद करेंगे तो इन्हें इलैक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं बात और कर्ज कर दु क्योंकि भाई लाल सिंह जी कहते हैं कि बहिन जी झूठ बोल रही है' । अभी जाटुसाना का इलैक्शन हो रहा था बहिन ओम प्रभा जी ने वहा जाना था । सब गांवों वाले वहां खुश थे और मै' भी खुश थी कि हमारी एक बहिन जो स्टेट की फाइनैन्स मिनिस्टर है' आने वाली हैं, लेकिन जब इनकी कार में से मैने शराबियों को निकलते देखा तो मुझे बड़ी शर्म आई (विरोधी दल का तरफ से शेम शेम की आवाज) मैने बहिन जी से कहा कि बहिन जी यह तो बहुत बुरी बात है । आपको शराबियो को साथ लेकर नही चलना चाहिए । खैर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन बातों में न जाकर, मैं अन्त में अपना समर्थन देते हुए आपके द्वारा इनसे यही प्रार्थना करती हूं कि अगर ये इलैक्शन में जीत–हार के डर को छोड़कर नशाबन्दी कर दें तो अच्छा ही रहेगा ।

WALK OUT

Chaudhry Jai Singh Rathi: Madam, I rise to move "That the question be now put."

Since many hon. Members have participated in the discussion on this resolution, and almost everyone has supported it, I move this motion.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, टाईम पौने छः हो गया है । सारा हाउस इस बात के हक में है कि डिसकशन वेद होनी चाहिए क्योंकि अव कोई चीज ऐसी रह नहीं गई है जिसकी वजह से डिसकशन जारी रहे.. शोर.

(सरकारी बैंचों की तरफ से कुछ सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : बहुत सी बातें रह गई हैं जिनको अभी तक टच नहीं किया गया थैं । फिर बहुत से सदस्य अभी बोलना चाहते है.... शोर.. आर्डर, प्लीज, आर्डर।... शोर.... देखिए, हाउस के अन्दर जो मेम्बर का राइट है उसे मै छीन नहीं सकती।

महंत्त गंगा सागर अगर : ये पास करना चाहते है' तो सामने आएं ।

उपाध्यक्षा : मैं ने जैसे पहले कहा, अभी बहुत से मेम्बर साहिबान बोलना चाहते हैं । इसी लिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप शोर न करके आराम से सुनिए.... शोर..

राव बीरेन्द्र सिंह : ये तो इसे टाक–आउट कराना चाहते है' ।

चौधरी जय सिंह राठी : अगर ऐसी ही बात है और ये इसे पास नही करना चाहते तो हम बाहर जाते हैं । (विरोधी दल के सभी सदस्य बाहर चले गए) शोर

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE RESOLUTION REGARDING PROHIBITING THE MANUFACTURE AND SALE OF ALCOHOLIC DRINKS IN THE STATE

चौधरी हरकिशन लाल कम्बोज (रोड़ी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज विधान सभा के सामने शराब–बन्दी के लिए श्री दया कृष्ण जी ने एक रैजोल्यूशन रखा है । अब तक काफी मैम्बरान इस सम्बन्ध में बोल चुके हैं । वैसे तो इसके समर्थन और विरोध में बातें काफी कही जा चुकी है, मगर मैं भी अपने जजबात हाउस के सामने रखना जरूरी समझता हूं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो मोटे तौर पर इंसान और हैवान में कोई फर्क नही, क्योंकि इन्सान भी हैवान की तरह खाता है, पीता है, सोता है और आखिर में मर जाता है, लेकिन फिर भी इन्सान और हैवान में थोड़ा सा जो फर्क है वह यह है कि इन्सान में अक्ल हूँ. सोचने की ताकत है । वह अपने बुरे भले को सोझ–समझकर फैसला करता हूँ । इसी फर्क की वजह से इन्सान को हैवान से अच्छा समझा जाता हे । मगर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्सान जब शराब पी लेता है या शराब का नशा जब उसके दिमाग में दाखिल हो जाता है तो उसे हम या तौ पागल कह सकते है' या हैवान । अव्वल तो उसकी अक्ल शराब पीकर काम ही नहीं करती और अगर थोड़ा बहुत करे भी तो वह उस वक्त इन्सानियत के काम नहीं कर सकती. । इस वक्त, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे सर्वे के अन्दर शराब पीने की आदत बहुत खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है । आज देहात के अन्दर जितने लड़ाई झगड़े होते है' उनमें 50/60 फीसदी शराब की

वजह से होते है । उनका मूल कारण शराब पीना ही होता हूँ । मैं समझता हूं कि यदि इस स्टेज पर हम प्रान्त में शराब का पीना बंद नहीं करेंगे, तो कुछ दिनों बाद यह बीमारी ऐसा भयंकर रूप अख्तियार कर लेगी जिसे कन्ट्रोल करना मुश्किल होगा । बाबू दया कृष्ण जी ने यह बड़ा अहम काम किया हे कि वे इस रैजोल्यूशन को ले आए । इसकी मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हैं कि शराब बुरी चीज है । कोई भी व्यक्ति, चाहे वहइस सदन के मैम्बरान हों या सुनने वाली जनता हो, कोई यह कहने की जुर्रत नहीं कर सकता कि शराब पीना अच्छा है । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन लफ्जों के साथ मैं बाबू दया कृष्ण जी के रैजोल्यूशन की पूरे जोर के ताईद करता हूं और आपके द्वारा गवर्नमैंट से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी शराब को बंद किया जाए और मेरे मोहतरिम दोस्त बावू रामसरन चन्द मित्तल जी ने जो तरमीम पेश की है वह नहीं होनी चाहिए । यह जौ छूट उन्होंने दी है कि गवर्नमैंट किसी प्रोग्राम के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता शराब को बन्द करे, यह तो वही बात हुई कि मकान को तो आग लगी हुई है, मगर कोई हमदर्द बजाय आग बुझाने की कोशिश करके यह कहे कि छोटा सा फायर ब्रिगेड लगा दो, आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाएगी । यह बात ठीक नहीं है । इसके लिए हमें इन्कलाबी कदम उठाने पडेगे । कांग्रेस के प्रोगाम में यह बहुत पहले का फैसला है कि आहाद हिन्दुस्तान में नशाबदी की जो और खासतौर पर गान्धी जी के ये विचार थे कि शराब–बन्दी करें। हमारे हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज 22 साल हो गये हैं लेकिन आज तक शराब–बन्दी नहीं हो

सकी । इसलिए हरियाणा सरकार ने यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ।

दूसरी बात यह है कि हमें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि शराब के बन्द कर देने से हरियाणा को कितना नुक्सान होगा । अगर शराब से सरकार को कुछ आमदनी होती है तो वह हरियाणा की जनता की जेबों से ही वह रुपया आता है न कि बाहर से । अब आप यह देखें कि सरकार को तो आमदनी हो गयी लेकिन उस शराब से हरियाणा के लोगो का इख्लाक गिरा और उनकी सेहत बरबाद हुई उसके बारे में कोई नहीं सोचता । अगर हमें शराब बन्दी करके कोई और टैक्स लगाने पड़ते हैंतो लगा देने चाहिए । टैक्सों के लगने से केवल लोगों को पैसा ही तो देना पड़ेगा । उनको सेहत का नुक्सान तो नहीं होगा । शराब से तो सेहत और इख्लाक भी गिरता है । इसलिए इसके लिए हमें एक इन्कलाबी कदम उठाना चाहिए । इस कदम को उठाने के लिए हमें डेट मुकरर्र कर देनी चाहिए कि फलां तारीख को हरियाणा में शराब–बन्दी होगी ।

मेरा एक और सुझाव यह है कि अगर सब से पहले हरियाणा की जनता की तरफ से चुने हुए एम० एल० एज० और ब्लाक समितियों के मेम्बर, जिला परिषदों के मेम्बर शराब का पीना बन्द करें तो बहुत अच्छा होगा । दूसरे हमारे जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनको भी पीनी बन्द करनी चाहिए । अगर ये लोग पीना बन्द कर देंगे तो उसका और लोगों पर भी असर पड़ेगा । अगर कोई

मुलाजिम शराब पीता हुआ पकड़ा जाये तो उसको सजा मिलनी चाहिए ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : डिप्टी स्पीकर साहिबा आनरेबल मेम्बर ने केवल एम० एल० एज ० और ब्लाक समितियों के मेम्बरों का जिक्र किया है हम यह चाहते हैं कि उनको मिनिस्टरों को भी कहना चाहिए था कि वे भी पीना बन्द करें ।

चौधरी राम प्रकाश (मौलाना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे विचारों के अनुसार तो शराब पीने से पहले आदमी एक इन्सान होता है और शराब पीने के बाद वह हैवान हो जाता है । मैं यह बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी क्राईम होते हैं पचास फीसदी तो शराब की मेहरबानी से ही होते हैं । शराब पीने के पश्चात् इन्सान अपने होश–हवास को भूल जाता है और फिर यह इन्सान न रह कर एक हैवान बन कर गन्दे से मन्दे क्राईम करता हूँ ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी तो सारी जिन्दगी ही पब्लिक लाइफ में गुजरी है कि शराब के पीने से तपेदिक कीबीमारी भी हो जाती है । हमारे देश में हर चीज में मिलावट होती है । इस मिलावट ने हमारे देश को तबाह कर दिया है । आप चाहे किसी देसी शराब के ठेके पर चले जायें या अंग्रेजी शराब के ठेके पर वहां आप यह मालूम कर सकते हैं कि उन ठेकदारों के पास एक केवल होता है जो केवल चालिस पैसे का

आता है जो कि बिल्कुल जहर होता है । ये ठेकेदार लोग उस चालिस पैसे के कैप्सूल को पानी में मिला कर बोतल भर देते हैं । फिर लोगों को शराब बताकर बेचते हैं । फाइनैस मिनिस्टर साहिबा के नोटिस में इस बात को पहले भी लाया था और अब फिर ला देना चाहता हूं कि जो इस तरह की हेरा–फेरी करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाये ।

(इस समय विरोधी दल के कुछ सदस्य सदन में आ कर बैठ गए)

हां फारन कन्ट्रीज में तो प्योर शराब मिलती है लेकिन हमारे यहां हिन्दुस्तान में प्योर शराब बिल्कुल नहीं मिलती है और इस मिलावट वाली शराब से लोगों की सेहत का बडा नुक्सान हो रहा है ।

मेरे अपोजीशन के साथी श्री जयसवाल जी जो अब यहां हाउस में नहीं बैठे हैं, उनसे कहूंगा कि उनको अपनी यह शराब की फैक्टरी बन्द कर देनी चाहिए।

श्री मंगल संन : आप शराब पीना बन्द कर देंगे आपके लिए फैक्टरी बन्द हो गयी । चौधरी राम प्रकाश रू मैं भाई दया कृष्ण जी का बहुत मश्कूर हूं कि उन्होंने यह एक इन्कलाबी कदम उठाया है । मैं समझता हूं अगर हरियाणा में मुकम्मल ही नशा–बन्दी हों जाए चाहे अफीम है, चरस है, भांग है । इन सब नशीली चीजों की नशा–बन्दी हो जाये तो और भी अच्छा होगा ।

अगर यह कदम हम उठाते हैं तो सारे देश में सबसे पहले हरियाणा सूबा होगा जिसने इतना बड़ा इन्कलाबी कदम उठाया है । सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा की तारीफ होगी । जिस तरह से हमारे फौजी जवान सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा के मशहूर है अपनी बहादूरी के कारण उसी तरह से अगर यह शराब–वन्दी हो जाये तो हरियाणा इस लिहाज से भी मशहूर हो जायेगा ।

एक और बात मुझे करनी है वह यह है कि बड़े दुःख और शर्म की बात है कि यहां बहिन ओम प्रभा जैन जी पर यह इलजाम लगाया गया कि वह जाटुसाना के इलैक्शन के अन्दर दो शराबियों को साथ लेकर गयी और वहां पर राव साहब और दूसरे लोगों को गालियां दी ।

इस प्रकार से बहिन ओम प्रभा जी पर जो कि एक निहायत शरीफ और पाक औरत है, उनपर इलजाम लगाना बड़ी ही गलत बात है । जहां तक पोलिटिकल बातों का सम्बन्ध है आप कुछ कहें, लेकिन इन पोलिटिकल बातों की आड़ ले कर बहिन ओम प्रभा जी पर कीचड़ उछालना ठीक नहीं । अगर मैं कोई घृणित काम करता हूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है । दूसरे लोग मुझे ही कहेंगे कि बहुत बुरा किया लेकिन जब मैं कोई बुरा काम नहीं करता हूं और फिर कहे तो यह कितने शर्म की बात है । यहां पर बात शराब–बन्दी और नशा–बन्दी की चल रही है और कीचड़ बहिन ओम प्रभा जी पर उछाला जा रहा है ।

चौधरी जय सिंह राठी : शराब–बन्दी के विषय को ले कर उन पर कोई कीचड़ नहीं उछाला गया । यह बिल्कुल गलत बात है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : चौधरी साहब आप इस रैजोल्यूशन को पास नहीं होने देंगे । आप फिर हाउस में शराब पी कर आ गये ।

चौधरी जय सिंह राठी : मैं तो कहता हूं या तो आप इसको पास कर दें या वापिस ले ले ।'

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा मोशन मूव हो चुकी है अगर आप इसको पास करना चाहते हैं तो कर दें वरना क्यों हाउस का टाईम जाया किया जा रहा है । श्री राम प्रकाश जी जो कुछ आप कह रहे हैं वे बातें और थी जो कि राव साहब ने कही थीं । उन बातों का इस रैजोल्यूशन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

चौधरी राम प्रकाश : राव साहिब ने जो कुछ भी यहां कहा वह गलत कहा है । ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

WALK OUT

श्री मंगल सैन : भाई राम प्रकाश जी मुझे अफसोस कराने की बात कर रहे हैं मगर डिप्टी स्पीकर साहिबा, अफसोस तो मुझे उन के उपर भी है ।

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज ।

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बात कों काफी बार कहा जा चुका है कि इस प्रस्ताव को पास कर' दिया जाए । मेरा आप से निवेदन है कि अब इस को पास करवा दिया जाए ।

सूबेदार प्रभु सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा डाक्टर साहिब और श्री राम प्रकाश दोनों ही इस बात का फैसला कैसे कर सकते है' । हम भी तो लोगों से वोट ले कर आऊ हैं । इम लिए जो बोलना चाहें उनको बोलने देना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : मैं भी समझती हुं कि मेम्बर को वोलने का राईट है, जहां तक मंगल सैन जी की बात का ताल्लुक है मैं पहले भी अपना रूलिंग दे चुकी हुं कि रूल्ज के मुताविक अगर क्लोजररू मोशन आए तो चेयर को अधिकार है कि उस को माने या न माने । तो मै मेम्बरो के बोलने के अधिकार को छीनना नहीं चाहती ।

श्री मंगल सैन रू डिप्टी स्पीकर साहिबा आप हमें बताएं कि आग साढे छः बजे के बाद भी चलाएगी या इसे अगले हफ्ते पर डाल दिया जाएगा।

उपाध्यक्षा : अगले हफ्ते भी यह रैजोल्यूशन चलेगा ।

डाक्टर मंगल सैन : अच्छा इस का मतलब है कि आप की नियत खराब है । इस लिए हम वाक आऊट करते हैं ।

(इस समय विरोधी दल के सारे मैंबर दूबारा वाकआऊट कर गए)

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE RESOLUTION REGARDING PROHIBITING THE MANUFACTURE AND SALE OF ALCOHOLIC DRINKS IN THE STATE

चौधरी राम प्रकाश : जो मेरे भाई साहिबान बातें करते है उन का हमें बहुत अफसोस होता है । अब सवाल यह है कि कोई इस के हुक में है कोई इस के खिलाफ भी हो सकता है । अभी अभी एक बहिन ने यह कहा कि कांग्रेस कैडीडेट इलैक्शन में 70, 70, 80–80 हजार रुपये की शराब लोगों को पिलाते हैं । मै ईमानदारी से कस्म खा कर कहता हूं कि मैं सन् 1952 से एम० एल० ए० बनता चला आ रहा हूं लेकिन मैं ने आज तक एक पैसे की शराब वोट लेने के लिए नहीं पिलाई, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हुं ।

श्री ओम प्रकाश गर्रा : मैं नहीं समझ सका कि इन्होंने. क्या कहा है? एक पैसे की शराब पी नहीं या पिलाई नहीं । इस वात को जरा फिर क्लियर कर दें ।

चौधरी राम प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा शराब का असर इस के ऊपर भी हो रहा है । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं कह रहा था कि मैं इलैक्शन 1952 से लगातार जीतता आ रहा हूं लेकिन मैने गक पैसे की भी शराब नहीं पिलाई है उस की वजह यह है कि मैं लोगों का काम करता हूं । जो आदमी काम करता है उस को हमेशा ही लोग वोट देते हैं और जो लोग शराब पिला कर वोट लेते है वह दूसरी बार इलैक्ट हो कर नहीं आ सकते । तो मैं

समझता हूं कि इस रैजोल्यूशन को पासकर देने से हरियाणा की 75 फीसदी जनता खुश होगी । डिप्टी स्पीकर

साहिबा जो 8.50 रुपए की बोतल आती है वह गरीबों के लिए होती है अमीर आदमी के लिए तो स्कौच या बलैक नाईट होती है । गरीब आदमी तो सारा दिन मजदूरी करता है और उस का दिल जब करता है शराव पीने को, तो उस को घटिया किस्म की शराब मिलती है जिस का एक पव्वा पी कर वहू पागल हो जाता है और घर में जा कर वह अपनी बीवी बच्चों को पीटता है । मैं दावे से कह सकता हूं कि जो शराब टेंस वह तीस साल की उम्र में' आदमी के बाल सफेद कर देती है और 40 साल तो गुजर ही नहीं सकते । मेरी उम्र 52 साल की है अभी तुक मेरे बाल काले हैं । तो मै ज्यादा न कहता हुआ यही अर्ज करूंगा अपनी बहन जी से कि वह प्रोहिबीशन को लागु कर दें । यह ठीक हूँ कि ऐसा करने से फाइनैसिज में कमी जरूर होगी लेकिन गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि लोगों की सेहत को ठीक रखे इस लिए हमारे खजाने में जो खसारा होगा उस को पूरा करने के लिए सैटर सै मदद लेनी चाहिए और शराब बंद कर देनी चाहिए । आप को लोग दुआएं देंगे । आप की मेहरबानी सै लोगों की सेहत अच्छी रहेगी । मैं कई लोगों सै पूछता हूं कि आप शराब क्यों पीते है' तो वह कहते हैं कि गम गलत हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ जब वह घरों में जा के पीटते है' तो घर वालों पर गम पड़ जाता है । इस लिए मैं बहन जी से प्रार्थना करूंगा कि चाहे कुछ

भी नुक्सान उठाना पड़े वह इस को जरूरर ही लागू कर दें और खसारे को पुरा करने के लिए और दूसरी कई किस्म की स्कीमें बनाई जा सकती हैं । हम टैक्स देना बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं लेकिन सेहत को खराब करना बर्दाश्त नहीं कर सकते । तो मैं ज्यादा न कहता हुआ इस रैजोल्युशन को स्पोर्ट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टी इस को पास कर देगी ।

मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने शराब बंदी कर दी तो ऐसा करके यह सरकार हरियाणा की जनता पर बड़ा भारी ऐहसान करेगी और अगली नस्लें इसे याद करेंगी । आज हर आदमी चाहता है कि शराब बंदी होनी चाहिए । मै उम्मीद करता हूं कि इस रैजोल्यूशन को यह हाउस एक जबान से पास करेगा और हरियाणा के लोगों पर ऐहसान करेगा ।

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश है यह बहुत अच्छा है और डस पर बड़ी देर से वादविवाद चल रहा है । मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वहू किसी भी दल से संबंध रखता है इस बात से विरोध न ही कर सकता खि शराबबंदी न हो । यह बडा ही नेक ख्याल है । हमारे धर्म क्षेत्रो ने हमारे गुरुओं ने और खासतौर पर इस युग के महान् व्यक्ति महात्मा गांधी जी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि देश में शराबबंदी हो । शराब से कितना नुक्सान होता है इस बात से आप सब अच्छी तरह परिचित है और मेरे से पहले बोलने वाले मैबंरान ने इस पर काफी प्रकाश डाला है

। इस बात में कोई संदेह नहीं कि देश का बहुत भौतिक विकास हुआ है । लेकिन इसके साथ ही यह बडी शर्म की बात है कि उतना ही देश का नैतिक पतन हुआ है और मैं समझता हुं कि इसका मुख्य कारण शराब है । अगर शराबबंदी कर दी जाए तो इसमें शक नहीं कि देश का नैतिक विकास होगा और मैं समझता हुं कि भौतिक विकास के कोई मायने नहीं रहते जब तक हमारी नैतिक शक्ति प्रबल न हो । मैं समझता हूं कि यह जो इतना निर्माण कार्य हुआ हूँ यह ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है अगर हमारी नैतिकता सशक्त न हो । जितना हम ने देश के विकास के लिये जोर लगाया है उतना ही जोर हमें सदाचार को ऊंचा उठाने के लिये जोर लगाना चाहिए । यह ठीक है कि जब से देश आजाद हुआ हूँ तब से लेकर ज्यादातर देश में कांग्रेसी सरकारें ही रही हैं, 1967 के इलैक्शन के बाद जरूर कुछ प्रदेशो में गैर कांग्रसी सरकारें बनी हैं । मै मानता हुं कि कांग्रेस सरकारें भी और गैर कांग्रस सरकारें भी अपने अपने प्रदेश में इस शराब की लानत को खत्म करना चाहती हैं और वह इस तरफ कदम उठा भी रही है' । विरोधी दल के भाई चले गये. है, लेकिन मैं तो चाहता था कि मैं उनकी मौजुदगी में उनसे प्रार्थना करता कि इतने अच्छे प्रस्ताव को वह व्यक्तिगत रस्साकशी में न डालें जौर न ही इसे राजनैतिक इशु बनायें । चौधरी रणबीर सिंह जी ने जो हमारे बड़े सीनियर मैंम्बर हैं बड़ी उदारता से अपने विचार प्रकट किए हैं और उन्होंने माना है हमारी पार्टी की कमजोरी थी कि वह शराबबंदी न कर सकी । अगर विरोधी दल के भाई भी ऐसा

स्वीकार करें तो अच्छी बात है और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए । इस में कोई शक नहीं कि ऐसा करने से कुछ प्रैक्टीकल कठिनाइयां हैं और यही वजह है कि जो भी सरकार आई वह इसे बंद नहीं कर सकी । मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज तक अगर किसी प्रान्त में किसी ने शराबबंदी की भी है तो कांग्रेस सरकार ने ही की है और किसी गैर कांग्रेस सरकार ने बंद करने की हिम्मत नहीं की है । आज भी इस बारे में जो प्रस्ताव आया है वह कांग्रेसी मैबंर की तरफ से ही आया है और इस हाउस को बहस करने का मौका दिया है । यह कहना कि कांग्रेस वाले शराबबंदी करना नहीं चाहते केवल प्रापेगडा की बातें हैं यह गलत है । मेरे एक सीनियर साथी मेजर साहिब चले गए हैं, लेकिन मैं उन से कहना चाहता था कि उन्होंने बार बार कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस सरकार ढकौसला करना चाहती है । लेकिन वह तीन दफा मंत्री रहे हैं मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि शराबबंदी की आवाज उठाते । हॉ अगर उन्होंने आवाज उठाई और अगर उनके साथी वह समझते हैं उनसे सहमत नहीं हुए, तो उनमें अगर हिम्मत थी तो मन्त्रिमण्डल छोड़ कर बाहर आ जाते । बात करना बहुत आसान है, लेकिन अमल करना कठिन होता है । आप देखें हमारे सामने कितनी दिक्कतें हैं । हरियाणा छोटा सा प्रदेश है और इसकी आमदनी के साधन सीमित हैं । यह वह कली है जो अभी तक पूरी तरह खिल नहीं पाई है । हमें ज्यादा से ज्यादा धन की आवश्यकता है ताकि हम इस पिछड़े हुए प्रदेश का निर्माण कर सकें । हमें शराबबन्दी करनेसे कोई 9 करोड़ रुपए का घाटा

पड़ता है और यह विचार करने वाली बात है कि क्या हरियाणा इस घाटे को बरदाशत करके अपने निर्माण कार्यों को चला सकता है । मैं चाहता था कि विरोधी दल के सदस्य और कांग्रेस वाले भी ऐसे सुझाव पेश करते कि जिससे यह घाटा पूरा होता । कांग्रेस तो पूरी तरह चाहती है कि शराबबन्दी हो । यही वजह है कि हमारे भारत के वित्त मन्त्री श्री मुरारजी डेसाई ने कहू दिया है कि जो भी प्रान्त की सरकार शरावन्दी करेगी उसका 50 प्रतिशत घाटा वहू पूरा करेंगे । यह ठीक है इससे आधा संकट तो दूर होता है लेकिन बाकी का आधा कैसे हो यह सोचने वाली बात है । मेरी तो यह इच्छा है कि चाहे कुछ समय के लिये कुछ विकास कार्य ही क्यों न बन्द करने पड़े, लेकिन इस लानत को एक दफा बन्द कर ही देना चाहिए । मुझे. पता है कि शराब से क्या क्या नुक्सान होते है । और जनता को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं । मुझे. कुछ दिनों मजदूरों में काम करने का मौका मिला है । मुझे पता है कि किस तरह मजदूर दिन रात सर्दी गर्मी में मशीन की तरह काम करते हैं और उसके औरत और बच्चे भी साथ मिलकर पैसा कमाते हैं लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कि जब कोई मजदूर मरता हूँ तो उसकी फैमिली के पास उसके कफन के लिये पैसे नहीं होते है, क्योंकि वह सब शराब की भेंट. हो जाते हैं । इतनी मेहनत के बाद भी जो पैसे मजदूर को मिलते हैं । उसकी वह शराब पी जाता है और उसके बच्चे जो पहली तारीख की इन्तजार में होते हैं कि उनके लिये. कपड़े आयेंगे और दूसरी ' घर की चीजें आयेंगी मायूस हो जाते है' । मुझे याद हूँ कि बम्बई

में जब शराबबन्दी की गई थी, तो वहां मजदूर औरतों ने खुशी में दीवाली मनाई थी और जलूस निकाले थे. और उन्हेंने कहा कि आज सही मायनों में आजादी आई है । आप हरियाणा में देखें कि किसान कितनी मेहनत करता है और गरमी सरदी की परवाह किए बगैर अनाज पैदा करता है लेकिन देखा जाता है कि वह अपना बहुत सारा धन अपने फायदे के काम पर खर्च न करके शराब पर खर्च कर देता हूँ जिसे देख कर मेरा सिर शर्म से नीचा होता है । आजकल इसी तरह से शहर के नौजवान नजदीक वाले गांवों में टोलियां बनाकर सैर को जाते हैं और बुरे बुरे कर्म करते हैं । बाजार में चलते चलते भी कई बुरे काम करते हैं । इसके प्रयोग से जहां नवयुवकों का आर्थिक विनाश होता है वहां उनका नैतिक चरित्र भी भ्रष्ट हो जाता है, सदाचार बिल्कुल समाप्त हो जाता है । मैं अपने ह्यदय से इस बात को चाहता हूं कि इस शराब की लानत को हरियाणा प्रान्त से समाप्त किया जाये ताकि हरियाणा हिन्दुस्तान में गर्व से अपना मस्तिष्क ऊंचा उठा सके और बाहर जाकर यह कह सकें कि हमने इस सर्वनाश के रास्ते को छोड़ दिया हूँ क्योंकि हम अपने देश की और नेश्न की उन्नति चाहते हैं । लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि हमारे बहुत सारे भाई शराब बन्दी के ऊपर बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण देते हैं, दलीलें देते हैं, लेकिन जब से स्वयं इस को इस्तेमाल करते हैं तो उन के प्रति नफरत और घृणा पैदा होती है । इससे पता चलता है कि कथनी और करनी में कितना अन्तर है लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव है कि व्यक्ति की बाणी में एक विशेष शक्ति होती है, जो

उसके जबान से निकलता है वह उसको पूरा करने में सक्षम हूँ । आप जानते हैं कि महात्मा गान्धी कितने दुबले पतले व्यक्ति थे., वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे, बड़े साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जब वे अपने मुख से एक शब्द निकालते थे तो हिन्दुस्तान के नेता क्या 'जर्मनी तक के नेता हिल जाते थे । इसका सब से बड़ा कारण यह था कि वे जो कुछ कहा करते थे उसको अमली रूप दिया करते थे । जब उन्होंने. खदर पहनने का नारा लगाया, तो अपने आप सब से पहले लंगोटी पहनी । जब उन्हेंने हरिजनीं के उत्थान के लिए नारा लगाया तो सब से पहले उनकी झोपड़ी में ठहरना शुरू कर दिया । यह उस महापुरुष का आत्मबल था । अगर हम इस बात को ईमानदारी से महसूस करते है' कि शराब बहुत बुरी लानत है, यह समाज का सर्वनाश करती है तो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि इस भ्रष्ट करने वाली बुरी चीज का सेवन न करें । हमें इस बात का प्रचार करना चाहिए कि यह बहुत बुरी चीज है, अगर शराब पीकर, शराब को खत्म करने का प्रचार करते हैं तो वास्तव में इसका प्रचार नहीं होगा । इसके लिए कानून बनाना बड़ा आवश्यक है, विशेष वातावरण तैयार करना जरूरी है । जव तक यह लोगों के दिलो में समाई हुई है और जव तक लोगों के दिलों में इसके प्रति नफरत नहीं हो जाती, तब तक यह दुर नहीं हो सकती । यह ठीक हूँ कि जव एक जिला में शराब–बन्दी कर दी जाती है तो लोग अपने घरों में शराब निकाल कर पीना आरम्भ कर देते हैं, पड़ोसी जिलों में शराब निकालने लग जाते' हैं । जिस से समग्लिंग होती है और भ्रष्टाचार फैलता है । शराब की

लानत से तभी हमारे अन्दर बुराई पैदा होती है जब कि हमारे दिल में बुराई की जड पहले से ही मौजूद कप । हमने पहले इस बुराई को दूर करना है और लोगों के दिलों में हस के लिए नफरत पैदा करनी है । यह ठीक है कि लोग घरों में नाजायज शराब बनाते हैं लेकिन मैं इसी दलील पर ज्यादा विश्वास नशे करता, क्योंकि बहुत से लोग कानून पसन्द होते है' । अगर कानून के जरिये शराब निकालना बन्द कर दिया जाए, तो वे नाजायज काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे । वे अपने घर निकलाने की बजाये ठेके से लेकर पी सकते हैं । अगर कानून के द्वारा इस पर पाबन्दी होगी तो हमारी नई पीढ़ी के नौजवान इस बात को सोचेंगे कि शराब नहीं पीनी चाहिए, वे इस बुराई के अन्दर नहीं फंसेंगे । लेकिन आज अगर आप कालेज के अन्दर जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि विद्यार्थी जिनका जीवन ब्रहमचर्य का जीवन होना चाहिए, सदाचार का जीवन होना चाहिए, आज वे. होस्टलों में शराब पीते हैं । मैंने यहां तक सुना है कि लड़कियों के होस्टलों में लड़कियां शराब पीती हैं । आप देख ही रहे है कि यह बीमारी कितनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और इसके कितने घातक परिणाम होंगे, यह आपको मालूम हो रहा है । आप कितनी ही लम्बी चौड़ी सड़कें बना लें, कितने ही बड़े बड़े प्लेन बना लें.. अगर आप ने इस शराब को बन्द नहीं किया तो यह प्लेने वगैरा ऐसी की ऐसी ही रह जायेंगी और नेशन चरित्र के बिना हवा के एक झोंके से ही ढय जाएगा ।

इसलिए मैं मुख्य मन्त्री साहिब से और वित्त मत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले को गहराई से सोचें । इससे होने वाले घाटे को पूरा करने. के लिए नये रिसोर्सिज तैयार करें ताकि हमारा देश आगे बढे और तरक्की करे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा हाउस के सदस्यों से कहना चाहता हुं कि इस अभिशाप को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये जाये । इन शब्दों वे साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै अर्ज करना चाहता हूं कि श्री दया कृष्ण जी ने जो बिल हाउस में पेश किया, वह वाकई ही उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया, मुझे इससे बड़ी खुशी हुई । जब यह प्रस्ताव रखा तो मेरे अपोजीशन के भाई चुपके से बाहर चले गये । बजाये इस के कि प्रस्ताव पर बोलने में भाग लेते, कुछ अच्छे सुझाव सदन के समाने' रखते और एक दूसरे के विचारों को सुनते, वे सदन छोड़ कर चले गये । डिग्री स्पीकर साहिबा, मैं आपकी बिसातत से कर्ज करना चाहता हूं कि अगर शराब बन्दी हरियाणा प्रान्त में हो जाये तो यह सब से बड़ा काम होगा । आपको पना ती है कि शराब पीने से क्या क्या नक्स इन्सान मे पड़ जाते हैं । मैं एक छोटे से गांव लाडवा का रहने वाला हूं । दस गांव के मोटर अड्डे पर सड़क पर ही शराब का ठेका है । मैं अक्सर देखता हूं कि यहां पर शराब की वजह से रोज लडाई झगड़ा होता रहता है जितने भी केस कत्ल के हुए हैं ये सब शराब की वजह से ही है जिन का अभी तक कोई पता

नहीं लगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारे इलाको में लोग बड़े खुशहाल रहते थे, बड़ा खुशहाल इलाका माना जाता था, लेकिन आज कल शादियों में आप जाकर देखें तो प्रस्ताव पिलाकर शादियां की जाती है । एक एक जमीदार ने शादी करने के लिए पचासों बोतलों का इन्तजाम करके रखा हुआ होता है, क्योंकि लोंगो के दिलों में यह ख्याल बैठा हुआ कि शराब के बिना शादी नहीं होनी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा मैने यह तक देखा है कि सरकारी दफतरो में प्रमोशनज शराब के वेसिज पर होती है । लोगों को शराब देनी पड़ती है. अदालतों में फैसले कराने के लिए शराब देनी पडती है । लेकिन इस किसम की शराब नहीं देनी पडती जो आम आदमी पीता है । प्रमोशन और फैसले के लिए अच्छी किसमे की शराब देनी पड़ती है । ऐसे मोंको पर दी गई शराब, केवल शराब देने और पीने तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि इससे और भी भयानक परिणाम निकलते है । इस लिए मेरी अर्ज है कि शराबबंदी निहायत जरूरी है । डिंप्टी स्पीकर साहिबा, आपके पता होगा कि शराब से पहले अफीम और सुलफे का ठेका हुआ करता था । जब अफीम और सुलफे पर पाबन्दी लगा दी गई तो आपने देखा होगा यहां पर अफीम और सुलफा मिलना ही बन्द हो गया । उस प्रकार सुलफा और अफीम इस्तेमाल करने वाले भी नहीं रहे ।

उपाध्यक्षा : हाउस करन साढ़े 9 बजे सूबह तक के लिए अडर्जन किया जाता है ।

6.30 P.M.

(The House then adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 31st January 1969).